






सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24



**Ministry of Information & Broadcasting
Government of India**

91 AIR FM Transmitters
Inaugurated by


Shri Narendra Modi
Prime Minister
(Through Video Conferencing)

in the august presence of :-

Shri Anurag Singh Thakur
Union Minister for Information
& Broadcasting, and
Youth Affairs and Sports

Dr. L. Murugan
Union Minister of State for Information
& Broadcasting, and
Fisheries, Animal husbandry &

Friday, 28th April, 2023



वार्षिक रिपोर्ट

2023-24



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 सितम्बर, 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं (दाएं से बाएं), अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बाइडन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री सिरिल रामफोसा, ब्राजील के राष्ट्रपति श्री लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा, और विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री अजय बंगा के साथ।



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

विषय-सूची

1.	एक अवलोकन	9
2.	नई पहल	13
3.	प्रमुख गतिविधियां	23
4.	सूचना क्षेत्र	45
5.	प्रसारण क्षेत्र	83
6.	फ़िल्म क्षेत्र	111
7.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	135
8.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण	139
9.	सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व	143
10.	राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग	145
11.	महिला कल्याण संबंधी गतिविधियां	147
12.	सतर्कता संबंधी मामले	149
13.	नागरिक घोषणा-पत्र और शिकायत निवारण	151
14.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	155
15.	लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा	159
16.	लेखा पैरा	167
17.	कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन	169
18.	योजना परिव्यय	171
19.	मीडिया इकाई-वार बजट	173
20.	सांगठनिक ढांचा	177



नई दिल्ली में भव्य भारत मंडपम ने 9 से 10 सितम्बर, 2023 तक ऐतिहासिक 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार का नेतृत्व किया तथा जनता और मीडिया को प्रभावी ढंग से शामिल किया।



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 21 नवम्बर, 2023 को गोवा में 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के दौरान कला अकादमी में केंद्रीय संचार ब्यूरो की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जन संचार के मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयां रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, प्रेस तथा प्रिंट प्रकाशनों, डिजिटल और सोशल मीडिया, पोस्टरों, विज्ञापनों के साथ-साथ जन संचार के पारंपरिक तरीकों- नृत्य, नाटक, लोक गायन, कठपुतली शो के जरिए जनसामान्य तक जानकारी के मुक्त प्रवाह और प्रसार को सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाती हैं।

मंत्रालय राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का ध्यान केंद्रित करने और विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने में सरकार की सहायता करता है।

मंत्रालय निजी प्रसारण क्षेत्र, लोक प्रसारण सेवा (प्रसार भारती) के प्रशासन, भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के मल्टीमीडिया विज्ञापन और प्रचार, फिल्म प्रचार एवं प्रमाणन तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया के विनियमन से जुड़े नीतिगत मामलों का केंद्र भी है।

मंत्रालय को कार्यात्मक रूप से तीन क्षेत्रों- सूचना, प्रसारण और फिल्म में विभाजित किया गया है। मंत्रालय अपनी सात मीडिया इकाइयों/संबंधित तथा अधीनस्थ कार्यालयों, दो स्वायत्त निकायों, तीन प्रशिक्षण संस्थानों और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के प्रमुख सचिव होते हैं। सचिव की सहायता के लिए एक अपर सचिव, एक अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार (एएसएंडएफए), एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, चार संयुक्त सचिव और एक संयुक्त सचिव (इन-सीटू) होते हैं। निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक/अपर आर्थिक सलाहकार/पीएसओ/वरिष्ठ पीपीएस स्तर पर 25 अधिकारी तथा अवर सचिव/उप निदेशक/पीपीएस स्तर पर 34 अधिकारी एवं 69 सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव स्तर

के अधिकारी और 291 अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी होते हैं।

सूचना क्षेत्र प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों तथा गतिविधियों के बारे में सूचना और जागरूकता पैदा करने; और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरकारी विज्ञापनों की दर तय करने के लिए नीति निर्देशों के निर्धारण और प्रेस तथा आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 तथा प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 को लागू करने का कार्य करता है।

प्रसारण क्षेत्र, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से सरकार की योजनाओं एवं पहल को जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय की सहायता करता है। यह क्षेत्र प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को प्रशासित करके लोक प्रसारकों की देख-रेख का कार्य भी करता है। यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी चैनलों और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स तथा स्थानीय केबल ऑपरेटर्स के नेटवर्क को भी विनियमित करता है। यह डीटीएच/हिट्स (एचआईटीएस) ऑपरेटर्स को संबंधित परिचालन के लिए लाइसेंस देता है। निजी एफएम रेडियो नेटवर्क को मंत्रालय द्वारा एफएम चैनलों की नीलामी और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

फिल्म क्षेत्र, फिल्मों और फिल्मी सामग्री के उत्पादन, प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसमें वृत्तचित्रों का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सवों का आयोजन, पुरस्कार की संस्था द्वारा अच्छी फिल्म का संवर्धन शामिल है। यह सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन, विकास तथा संवर्धन गतिविधियों सहित फिल्म उद्योग से जुड़े अन्य मामलों को देखता है।

(i) डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों के प्रकाशकों की सामग्री (ii) ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री

(ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों से जुड़े विषयों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कार्य आवंटन नियमावली, 1961 में संशोधन के बाद 9 नवम्बर, 2020 को जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमिडियरी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2022 को अधिसूचित किया गया था, ताकि डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशकों (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के विनियमन के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान किया जा सके। इन नियमों का भाग-III, अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता और ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है।

केंद्र सरकार ने 28 जुलाई, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कार्य आवंटन नियमावली में संशोधन किया और ऑनलाइन विज्ञापनों से संबंधित विषय और ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं/प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जनादेश में लाया गया है। मंत्रालय के कार्य आवंटन नियमावली के तहत संशोधित प्रविष्टि इस प्रकार है:

“डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया

22क. ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं/प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम/सामग्री।

22ख. ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों की सामग्री।

22ग. ऑनलाइन विज्ञापन।”

मंत्रालय का संगठनात्मक स्वरूप

मीडिया इकाई/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
2. केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी)
3. भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई)
4. प्रकाशन विभाग (डीपीडी)
5. न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू)
6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
7. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

स्वायत्त संगठन

1. भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई)
2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)

शैक्षणिक संस्थान

1. भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)
2. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)
3. सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल)
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)





माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसम्बर, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर 'पंडित मदनमोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय' के विमोचन के अवसर पर।



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 22 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के चार ऑनलाइन पोर्टलों के शुभारंभ के अवसर पर।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान अपने सभी संगठनों और विभागों में कई पहल की है। मुख्य पहल का अवलोकन इस प्रकार है :

प्रशासन और नीति

- **सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023** : सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 को 'पायरेसी' के खतरे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 4 अगस्त, 2023 को अधिसूचित किया गया था। प्रावधानों में न्यूनतम 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपये के जुर्माने की सख्त सजा शामिल है, जिसे 3 साल की कैद और ऑडिट की गई सकल उत्पादन लागत के 5% तक के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने हर 10 साल में फिल्म के लाइसेंस को नवीनीकृत करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है और इसे आजीवन वैध कर दिया है। इसके अतिरिक्त प्रमाणन की मौजूदा 'यूए' श्रेणी को तीन आयु-आधारित श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् 7 वर्ष से अधिक, 13 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से अधिक जो केवल प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं, जिसका उद्देश्य है कि माता-पिता या अभिभावक यह विचार करें कि उनके बच्चों को ऐसी फिल्म देखनी चाहिए या नहीं।
- **प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023** : प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 : 29 दिसम्बर, 2023 को अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार औपनिवेशिक युग के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के कानून को निरस्त कर दिया गया है, जिससे आवधिकों के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया बिना किसी भौतिक इंटरफेस की आवश्यकता के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सरल और समकालिक हो गई है। प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास घोषणा-पत्र दाखिल करने और ऐसी घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस को भी कोई घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि केवल सूचना ही पर्याप्त होगी। पीआरपी अधिनियम, 2023 प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने और पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित/रद्द करने में सक्षम और सशक्त बनाता है। इस कानून को पीआरबी अधिनियम, 1867 के मुकाबले काफी हद तक अपराधमुक्त कर दिया गया है और यह प्रेस की स्वतंत्रता और व्यापार करने में आसानी के एक नए युग की शुरुआत करता है। पीआरपी अधिनियम, 2023; 1 मार्च, 2024 से लागू हुआ है।
- **डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023** : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा डिजिटल मीडिया में अभियान चलाने के लिए डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 तैयार की है। यह नीति डिजिटल युग में व्यापक सरकारी पहुंच का मार्ग प्रशस्त करेगी और लक्षित तरीके से नागरिक-केंद्रित संदेश के प्रभावी पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके परिणामस्वरूप लोक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता आएगी। यह नीति सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों और संगठनों को शामिल करने, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से पॉडकास्ट के श्रोताओं की बढ़ती संख्या का लाभ उठाने और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने लोक सेवा अभियान संदेशों को प्रसारित करने में सक्षम बनाती है।
- केंद्र सरकार ने दिनांक 28 जुलाई, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कार्य आवंटन नियमावली में संशोधन किया और ऑनलाइन विज्ञापनों से संबंधित विषय और ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं/प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। मंत्रालय के कार्य आवंटन नियमावली के तहत संशोधित प्रविष्टि इस प्रकार है:
- **“डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया**
 - 22क. ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं/प्रकाशकों द्वारा

- उपलब्ध कराई गई फिल्मों और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम/सामग्री।
- 22ख. ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों की सामग्री।
- 22ग. ऑनलाइन विज्ञापन।”

नियम और दिशानिर्देश

- सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024** : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 15 मार्च, 2024 को सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया, जो सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 का स्थान लेगे। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रिया शुरू करके, लेन-देन के समय को समाप्त करके और फिल्मों की प्राथमिक स्तर पर स्क्रीनिंग को लागू करके फिल्म उद्योग में पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। प्रमुख सुधारों में दिव्यांगजनों हेतु फिल्मों को समावेशी बनाने के लिए एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के प्रावधान, आयु-आधारित प्रमाणन श्रेणियां (यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+) और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) तथा सलाहकार पैनलों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व शामिल है।
- केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन** : मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2023 को एक राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 719 (ई) जारी की जिसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन किया, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) कहा जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 को संशोधित किया जो केबल ऑपरेटर्स द्वारा ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति देता है ताकि अंतिम मील तक इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। यह मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) के लिए सेवा निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु समय पर नवीनीकरण करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा संशोधित नियम ‘नामित अधिकारी’, ‘स्थानीय केबल ऑपरेटर’, ‘प्लेटफॉर्म सेवाएं’ और ‘पंजीकृत कार्यालय’ को परिचालित करता है।

- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 का गैर-अपराधीकरण** : केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसमें कारावास और जुर्माने के पिछले कई उपायों को अधिक लचीले दृष्टिकोण से बदल दिया गया है, जिसमें पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी, सलाह, निंदा अथवा/और दंड के लिए 20,000 रुपये तक और दूसरी बार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक के दंड की अनुमति दी गई है, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का गैर-अपराधीकरण किया जा सकता है।
- फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में सुगमता मानकों के लिए दिशानिर्देश** : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 15 मार्च, 2024 को ‘श्रवण एवं दृश्य बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थिएटरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में सुगमता मानकों के दिशानिर्देश’ जारी किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य श्रवण एवं दृश्य बाधित व्यक्तियों के लिए फिल्मों की सुगमता सुनिश्चित करना है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक रूप से सिनेमा हॉल में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों को एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणित फिल्मों के लिए 6 महीने के भीतर और अन्य सभी के लिए 2 साल के भीतर इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। एक्सेसिबिलिटी मानकों में श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित, प्रत्येक के लिए कम से कम एक एक्सेसिबिलिटी फीचर का प्रावधान अनिवार्य है, जिसमें क्लोज्ड कैप्शनिंग और ऑडियो विवरण शामिल है। सिनेमा थिएटरों के लाइसेंसधारियों को नियमित शो के दौरान थिएटरों, मोबाइल ऐप या अन्य उपलब्ध तकनीकों में अनुकूलित उपकरण लगाने होंगे।
- निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों के लिए दरों में संशोधन** : निष्पक्ष और टिकाऊ मूल्य निर्धारण ढांचे को सुनिश्चित करने के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सितम्बर, 2023 में इस उद्देश्य के लिए गठित दर संरचना समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के

लिए निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों हेतु नई दरों को मंजूरी दी है। मंत्रालय द्वारा 7 वर्षों के बाद विज्ञापन दरों में संशोधन किया गया है।

संस्थानों और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना

- 91 स्थानों पर 100 वॉट की क्षमता के कम पावर वाले एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अप्रैल, 2023 को 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में 91 स्थानों पर 100 वॉट की क्षमता के कम पावर वाले एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया, जिससे आकाशवाणी नेटवर्क में 2 करोड़ श्रोता जुड़ेंगे और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवरेज का विस्तार होगा।

ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

- गुजरात में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना की आधारशिला : माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितम्बर, 2023 को गुजरात में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। राज्य के बोडेली में एक कार्यक्रम में परियोजनाओं की शुरुआत की गई। यह स्टेशन आदिवासी जिले दाहोद में रणनीतिक रूप से स्थित है और यह अलीराजपुर और झाबुआ सहित मध्य प्रदेश के पड़ोसी आदिवासी जिलों को आंशिक रूप से कवर करेगा। यह पहल क्षेत्र की सांस्कृतिक



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 सितम्बर, 2023 को गुजरात के छोटा उदयपुर के बोडेली में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के अवसर पर।

और सूचनात्मक ताने-बाने को समृद्ध करती है और जिन समुदायों की यह सेवा करती है उनके लिए बेहतर संचार और संपर्क की सुविधा प्रदान करती है।

- **भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) मानद विश्वविद्यालय घोषित** : शिक्षा मंत्रालय ने 31 जनवरी, 2024 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आईआईएमसी, नई दिल्ली को जम्मू (जम्मू और कश्मीर), अमरावती (महाराष्ट्र), आइज़ोल (मिज़ोरम), कोट्टायम (केरल) और ढेंकनाल (ओडिशा) में स्थित अपने पांच क्षेत्रीय परिसरों के साथ विशिष्ट श्रेणी के तहत मानद विश्वविद्यालय घोषित किया है। इस उन्नत दर्जे के साथ, आईआईएमसी को डॉक्टरेट की डिग्री सहित डिग्री प्रदान करने का अधिकार है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 22 फरवरी, 2024 को चार परिवर्तनकारी पोर्टलों का शुभारंभ किया, जिनका उद्देश्य मीडिया परिदृश्य को आधुनिक बनाना और भारत में व्यापार करने में आसानी लाना है:

क) प्रेस सेवा पोर्टल : प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 (पीआरपी अधिनियम, 2023) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए, भारत के प्रेस महापंजीयक के प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa.prgi.gov.in) को नए अधिनियम द्वारा अनिवार्य आवेदन प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ लॉन्च किया गया है, जो आवधिकों और समाचार पत्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव लाएगा।

ख) पारदर्शी पैनलबद्धता, मीडिया योजना और ई-बिलिंग प्रणाली : यह सरकार के 360 डिग्री संचार में केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) की दक्षता बढ़ाने के लिए कारगर कदम है।

ग) नैविगेट भारत पोर्टल : न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) द्वारा विकसित, यह एकीकृत द्विभाषी मंच, जिसे भारत का राष्ट्रीय वीडियो गेटवे भी कहा जाता है, विकास और नागरिक कल्याण उपायों से संबंधित सरकारी वीडियो के लिए सार्वजनिक पहुंच के साथ एक व्यापक भंडार के रूप में कार्य करता है।

ड) स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर : ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल पर उपलब्ध, इस रजिस्ट्री का उद्देश्य एलसीओ को राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली के तहत लाकर केबल टेलीविजन क्षेत्र में नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

- **अमेज़न इंडिया के साथ सहयोग** : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से 5 अप्रैल, 2023 को अमेज़न इंडिया के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, अमेज़न इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और अभिनेता वरुण धवन की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में इस पर हस्ताक्षर किए गए।

अनुबंध पत्र (एलओई); मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों और अमेज़न के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के बीच बहुआयामी साझेदारी की ओर ले जाता है। इनमें सरकार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), प्रसार भारती, प्रकाशन विभाग और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) के मीडिया प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। अमेज़न की ओर से एलओई में अमेज़न प्राइम वीडियो, एलेक्सा, अमेज़न म्यूजिक, अमेज़न ई-मार्केटप्लेस और आईएमडीबी की भागीदारी शामिल हैं। एलओई जन जागरूकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने, भारतीय प्रतिभा को बढ़ावा देने और वैश्विक मंच पर भारतीय सामग्री का प्रदर्शन करने के लिए अमेज़न के साथ सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

फिल्में

- **'मुजीब - द मेकिंग ऑफ ए नेशन' (बांग्ला)** : बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बहुप्रतीक्षित बायोपिक *मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन*, जिसे भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से निर्मित किया है, 27 अक्टूबर, 2023 को देश भर में रिलीज की गई। इस फिल्म को बांग्लादेश में 13

अक्टूबर, 2023 को रिलीज किया गया और इसे देश के सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार प्रतिक्रिया मिली। 25 अक्टूबर, 2023 को मुंबई में भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई जिसमें फिल्म निर्देशक श्री श्याम बेनेगल, मुख्य अभिनेता श्री आरिफिन शुवू और फिल्म के अन्य कलाकार और कू, प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां और उद्योग जगत के लोग शामिल हुए।

- **राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) :** एनएफएचएम के हिस्से के रूप में, एनएफडीसी-एनएफएआई में 3 प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं: फिल्मों का डिजिटलीकरण, फिल्म रीलों का संरक्षण और फिल्मों का जीर्णोद्धार, जिन्हें वैश्विक स्तर पर इस पैमाने पर पहले कभी नहीं किया गया है। 'बरसात की रात', 'सीआईडी' (1956), 'गाइड' (1965), 'ज्वेल थीफ' (1967), 'जॉनी मेरा नाम' (1970), 'बीस साल बाद' (1962), 'आघात' (1985) और कई अन्य फिल्मों को सिनेमाघरों में

रिलीज होने के दशकों बाद 4 हजार पिक्सल रिजॉल्यूशन में सिल्वर स्क्रीन पर वापस लाया गया है। दिग्गज भारतीय अभिनेताओं, निर्देशकों और विभिन्न महान भारतीय फिल्म निर्माताओं के परिवार के सदस्यों ने एनएफएचएम के माध्यम से भारत की सिनेमाई विरासत को संरक्षित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की है।

- **54वें इफ्फी में नई शुरुआत :** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गोवा सरकार के सहयोग से 20 से 28 नवम्बर, 2023 तक पणजी, गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के 54वें संस्करण का आयोजन किया। 54वें इफ्फी में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एक घोषणा की जिसमें **भारत में विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि** को व्यय के 30% से बढ़ाकर 40% किया गया है, परिसीमा को 2.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये किया गया है और महत्वपूर्ण भारतीय सामग्री (एसआईसी) के लिए अतिरिक्त 5% बोनस दिया गया है।



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 5 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के क्षेत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अमेजन इंडिया के बीच सहयोग समझौता कार्यक्रम में भाग लेते हुए। श्री वरुण धवन (अभिनेता) सहयोग कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे।

'75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो' कार्यक्रम के तीसरे संस्करण के तहत पहली बार चयन अभियान चलाया गया। हर साल दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज (ओटीटी) श्रेणी में एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, वर्चुअल रियलिटी और सीजीआई के क्षेत्र में फिल्म निर्माण तकनीक में नवीनतम नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए 'वीएफएक्स और टेक पैवेलियन' की शुरुआत करके फिल्म बाजार का दायरा बढ़ाया गया है। पहली बार एक 'सिने-मेला' आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय फिल्मों, भोजन, संगीत, संस्कृति आदि के माध्यम से भारत की समृद्ध विविधता का एक भव्य उत्सव दिखाया गया। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के तहत सावधानीपूर्वक जीर्णोद्धार की गई उत्कृष्ट कृतियों के 7 विश्व प्रीमियर की विशेषता वाला एक रिस्टोर्ड क्लासिक्स सेक्शन भी पेश किया गया है। सभी के लिए समावेशिता और मनोरंजन एक मार्गदर्शक सिद्धांत रहा, क्योंकि 54वें इफ्फ़ी के सभी आयोजन स्थल दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं से सुसज्जित थे।

- भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) ने संग्रहालय परिसर जिसे 'सिने संडे' कहा जाता है, में आगंतुकों को परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए 10 दिसम्बर, 2023 को एक नई पहल की। इस पहल के तहत आगंतुकों के साथ आयोजित की गई गतिविधियों में उनकी रचनात्मकता को उजागर करने के लिए 'पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता' और 'एक दम फिल्मी स्टाइल' शामिल थे, जिसमें आगंतुकों ने चिट चुने और उसके अनुसार अभिनय किया, जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया। एनएमआईसी 'भारतीय सिनेमा का पैनोरमा' पहल भी कर रहा है, जो छात्रों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है ताकि उन्हें सिनेमा की दुनिया के अंदरूनी रूप से परिचित कराया जा सके।
- एनएमआईसी क्रॉनिकल्स ऑफ टाइमलेस ट्रेजर्स : राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने एक नई सिनेमाई पहल 'एनएमआईसी क्रॉनिकल्स ऑफ टाइमलेस ट्रेजर्स' शुरू की,

जिसका उद्घाटन 15 जुलाई, 2023 को भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी), मुंबई में किया गया। इस कार्यक्रम को प्रेस द्वारा कवर किया गया और कई फिल्म समीक्षकों ने इसमें भाग लिया। यह पहल दर्शकों को प्रतिष्ठित फिल्मों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है, जो हर सप्ताहांत एनएमआईसी ऑडिटोरियम में दिखाई जाती हैं और दूरदर्शी फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं तथा तकनीशियनों को एक उचित श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग को आकार दिया है।

- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के तहत भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) ने प्रख्यात स्पेनिश फिल्म निर्माता श्री कार्लोस सौरा के कार्यों पर 1 से 15 दिसम्बर, 2023 तक अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी आयोजित की। उद्घाटन में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और प्लेमेंको प्रदर्शन के साथ शुरुआत हुई। इसके बाद अनुभवी फिल्म निर्माता श्री श्याम बेनेगल सहित मुख्य अतिथियों के बीच कार्लोस सौरा पर एक गहन पैनल चर्चा हुई। प्रदर्शनी के अलावा, एनएमआईसी ने कार्लोस सौरा की कुछ प्रतिष्ठित फिल्मों की स्क्रीनिंग की।
- एफटीआईआई द्वारा अमृत महोत्सव समारोह पाठ्यक्रम : भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) ने अमृत महोत्सव समारोह (एएमसी) पाठ्यक्रम पहल के तहत 75 पाठ्यक्रमों की शृंखला का समापन किया, जिसमें विशेष रूप से विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिभागियों के लिए एक पाठ्यक्रम भी शामिल है। स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग (ऑफलाइन) में अंतिम एएमसी बेसिक कोर्स छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आदिवासी विभाग के सहयोग से 29 फरवरी से 4 मार्च, 2024 तक जशपुर में 27 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की भागीदारी के साथ हुआ। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क आयोजित ये एएमसी पाठ्यक्रम फिल्म निर्माण के क्षेत्र में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं।

प्रोग्रामिंग और प्रसारण

- **प्रसार भारती - प्रसारण और प्रसार के लिए साझा श्रव्य-दृश्य (पीबी-शब्द) :** केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में पीबी-शब्द का उद्घाटन किया। पीबी-शब्द; प्रसार भारती, दूरदर्शन समाचार, आकाशवाणी समाचार और अपडेटेड न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप द्वारा **समाचार साझा करने की सेवा** है, जो पचास श्रेणियों में प्रमुख भारतीय भाषाओं में स्वच्छ फीड समाचार प्रदान करती है। यह सेवा पहले वर्ष के लिए एक परिचयात्मक ऑफर के रूप में निःशुल्क उपलब्ध है। विवरण <https://shabd.prasarbharati.org/> पर उपलब्ध है।
- **दूरदर्शन हिमाचल की 24 घंटे की प्रसारण सेवा** का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 16 फरवरी, 2023 को किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह मुख्य अतिथि थे।
- 18 जुलाई, 2023 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने श्री अनुराग सिंह ठाकुर **सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज (ओटीटी) पुरस्कार** के शुभारंभ की घोषणा की, जो नवम्बर, 2023 को गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान दिया गया।
- केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 11 अक्टूबर, 2023 को केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) और ग्राफिटी स्टूडियोज द्वारा निर्मित एनिमेटेड सीरीज **कृष, त्रिश और बाल्टीबॉय-भारत हैं हम** का शुभारंभ किया। सीरीज में कुल 52 एपिसोड के दो सीजन हैं, प्रत्येक 11 मिनट का है, जिसमें सन् 1500 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां हैं और इसे आइकॉनिक एनिमेटेड किरदार कृष, त्रिश और बाल्टीबॉय ने होस्ट किया है। विदेशी भाषाओं सहित 19 भाषाओं में रिलीज हुई यह सीरीज भाषा की बाधा को पार करते हुए दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचती है। 15 अक्टूबर, 2023 से दूरदर्शन, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम एक ही समय पर इस एनिमेटेड सीरीज का प्रसारण कर रहे हैं। न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तस्वीरें, वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ सोशल मीडिया आउटरीच चलाया, जिसे हैशटैग #भारत हैं हम, का उपयोग करके साझा किया गया।
- **अमेजन प्राइम पर 'स्वराज' सीजन का शुभारंभ :** केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 12 मार्च, 2024 को मुंबई में अमेजन प्राइम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 'स्वराज' का पहला सीजन लॉन्च किया। मूल रूप से 'आजादी का अमृत महोत्सव' अभियान के तहत अगस्त, 2022 में दूरदर्शन पर लॉन्च किया गया, 'स्वराज' भारत के स्वतंत्रता संग्राम के असंख्य नायकों और उनके अदम्य साहस की कहानियों को बयां करता है।
- केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 28 अप्रैल, 2023 को लेह में वाई-20 (जी-20 का युवा सहयोग समूह) कार्यक्रम में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों पर दो लघु वीडियो लॉन्च किए, जिनके नाम हैं 'बेगम हजरत महल' और 'मंगल पांडे'। ये वीडियो 'आजादी की अमृत कहानियां' नामक शृंखला का हिस्सा हैं, जिसका निर्माण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नेटफ्लिक्स के सहयोग से कर रहा है।
- **दूरदर्शन पर 'सरदार: द गेम चेंजर' का शुभारंभ :** सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में दूरदर्शन द्वारा 'सरदार: द गेम चेंजर' नामक एक नया 52 एपिसोड का धारावाहिक 10 मार्च, 2024 को लॉन्च किया गया।
- **भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।** भारत पहले ही 2018-2021 और 2021-2023 तक एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में दो कार्यकाल पूरा कर चुका है। यह मील का पत्थर, जो 50 साल पुराने संगठन एआईबीडी के इतिहास में पहली बार हुआ है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रसारण संगठन का भारत पर विश्वास दिखाता है और भारत पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया के मजबूत भरोसे को दर्शाता है।



PB-SHARED AUDIO-VISUALS FOR
BROADCAST AND DISSEMINATION



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में 'पीबी-शब्द' और डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार की नवीनीकृत वेबसाइटों और न्यूज ऑन एआईआर ऐप का शुभारंभ किया।

- 'मन की बात' कार्यक्रम के 100वें संस्करण की तैयारी के हिस्से के रूप में, आकाशवाणी ने भारत के परिवर्तन पर कार्यक्रम के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 15 मार्च, 2023 से एक विशेष शृंखला शुरू की। यह शृंखला प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' के अब तक के एपिसोड में उजागर किए गए 100 पहचाने गए विषयों को सामने लाती है और 100वें एपिसोड से एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल, 2023 को समाप्त हुई। प्रधानमंत्री के 'मन की बात' के 100 विचारों का स्मरण आकाशवाणी नेटवर्क पर प्रतिदिन प्रसारित किया गया।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने और उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2024 में समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी (एनएसडी : एआईआर) द्वारा 'भारत विकास डायरी' नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें मतदाता जनसांख्यिकी, पिछले चुनावों में कुल मतदाता मतदान, आदि शामिल हैं।
- 15 नवम्बर, 2023 से आकाशवाणी द्वारा एक नया कार्यक्रम 'नई सोच नई कहानी - स्मृति ईरानी के साथ एक रेडियो यात्रा' शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा इस शो को संचालन किया गया, जिसमें सरकार की पहल से महिलाओं के सशक्तीकरण की अविश्वसनीय कहानियां शामिल हैं।
- डीडी स्पोर्ट्स अब डीडी स्पोर्ट्स एचडी है : प्रसार भारती ने डीडी स्पोर्ट्स एचडी चैनल के साथ अपने चैनलों में एक और हाई-डेफिनिशन चैनल जोड़ा है। हाल के महीनों में, डीडी

स्पोर्ट्स ने सामग्री की प्रस्तुति के संदर्भ में कई अभिनव और नए दृष्टिकोण शुरू किए हैं। यह चैनल प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों, और खेलो इंडिया गेम्स, शीतकालीन खेलों तथा दिव्यांगजनों के लिए खेल जैसे जमीनी स्तर के परिवर्तनकारी आयोजनों के लिए वन-स्टॉप गंतव्य बन जाएगा।

- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के तहत, 2005 (1995 का 7) की धारा 8 के उप-अनुभाग (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 19 जनवरी, 2024 की राजपत्र अधिसूचना की संख्या 283 के माध्यम से अनिवार्य चैनल का नाम डीडी पोधिगई से बदलकर डीडी तमिल कर दिया गया।

- **क्षेत्रीय समाचारों में पहल** : समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी ने 21 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ में गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू किया। आकाशवाणी देहरादून ने 29 मई, 2023 से प्रतिदिन 10 मिनट के लिए गढ़वाली भाषा में समाचार प्रसारित करना शुरू कर दिया है। समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी ने जून, 2023 के दौरान उत्तराखंड में कुमाऊंनी और नागालैंड में पोचुरी बोली में समाचार बुलेटिन भी शुरू किए हैं।





सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू 10 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 'विश्व पुस्तक मेला' 2024 में प्रकाशन विभाग के बुक स्टॉल का उद्घाटन करते हुए।

3

प्रमुख गतिविधियां

69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 17 अक्टूबर, 2023 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर; सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वर्ष 2021 के लिए **69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार** प्रदान किया। इस अवसर पर, महान अभिनेत्री सुश्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 'रॉकेट्री: द नाबी इफेक्ट' ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और 'एक था गांव' ने सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। श्री अल्लू अर्जुन

को फिल्म 'पुष्पा (द राइज पार्ट 1)' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। जबकि सुश्री आलिया भट्ट और सुश्री कृति सेनन ने क्रमशः 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'मिमी' के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। श्री पंकज त्रिपाठी ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सुश्री पल्लवी जोशी ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।

अयोध्या में श्री राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा

अयोध्या धाम में श्री राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सुचारु रूप से चलाने और व्यापक कवरेज को



माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 17 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में सुश्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर; सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित थे।

सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2024 को समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम का डीडी न्यूज़ और डीडी नेशनल चैनलों द्वारा 4के गुणवत्ता के साथ सीधा प्रसारण किया गया, जिससे व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सका। इसके अलावा, 23 जनवरी, 2024 को आरती और श्री राम मंदिर के आम जनता के लिए खुलने का भी सीधा प्रसारण किया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अयोध्या धाम में राम कथा संग्रहालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न **मीडिया सेंटर की स्थापना** की। 21 जनवरी, 2024 से आरंभ यह मीडिया सेंटर 13,000 वर्ग फीट में फैला है, जिसमें मुख्य परिसर 40 मीटर लम्बाई और 25 मीटर चौड़ाई में है। इसमें 340 वर्कस्टेशन हैं और इसमें 1,000 मीडिया कर्मियों को समायोजित करने की क्षमता है। दूरदर्शन ने 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में कार्यक्रम का एक स्वच्छ फीड एनआई टीवी, पीटीआई वीडियो और उनके ग्राहकों को प्रसारित करने की सुविधा प्रदान की, जबकि स्वच्छ फीड का एक यूट्यूब लिंक अन्य प्रसारकों के लिए प्रदान किया



अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी, 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी।

गया। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन ने 1 से 15 जनवरी, 2024 तक 'राम की पैड़ी' शीर्षक से एक विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किया। 'श्री राम अयोध्या आए हैं' नामक एक लाइव कार्यक्रम भी प्रसारित किया गया, जिसमें अयोध्या राउंड-अप, अतिथि चर्चा, विशेष कहानियां और वॉक्स-पॉप सेगमेंट शामिल थे।

डीडी न्यूज़ ने 4 जनवरी, 2024 से 21 जनवरी, 2024 तक एक **विशेष अयोध्या बुलेटिन** प्रसारित किया, जिसमें अयोध्या महात्म्यम, राम लला (रामानंद सागर), श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री राम - कैलाश खेर (गीत), राम की कहानियां जैसे विविध विषयों को शामिल किया गया। 20 जनवरी, 2024 को, डीडी गुवाहाटी ने विशेष कार्यक्रम 'जय श्री राम - पुरुषोत्तम राम' और 'राम बंदना' दिखाए, जबकि 21 जनवरी, 2024 को 'राम कथा' (असम की लोककथा) दिखाई गई।

आकाशवाणी की विदेश सेवा ने 'आध्यात्मिक सार का अनावरण: अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह' पर चर्चा और टिप्पणियां प्रसारित कीं। आकाशवाणी नेटवर्क पर प्रसारित विशेष कार्यक्रमों में 5 जनवरी, 2024 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय का एक विशेष साक्षात्कार लिया गया। 18 जनवरी, 2024 को प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' द्वारा रचित 'राम की शक्ति पूजा' पर आधारित एक संगीत नाटक और 19 जनवरी, 2024 को 'दास्तान-ए-राम' (उर्दू में काव्य नाटक) शामिल थे।

न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) ने 'अयोध्या धाम' में विकास और बुनियादी ढांचे की प्रगति को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया आउटरीच का आयोजन किया। मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से, एनएमडब्ल्यू ने वीडियो रील और मोटाज साझा किया।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, आदिवासी गौरव बिरसा मुंडा की जयंती को चिह्नित करते हुए, **माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी** ने 15 नवम्बर, 2023 को झारखंड के खूंटी से **विकसित भारत संकल्प यात्रा** को हरी झंडी दिखाई। सरकार के कल्याण कार्यक्रमों के संदेश ले जाने वाले विशेष रूप से डिजाइन



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवम्बर, 2023 को झारखंड के खूंटी में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के शुभारंभ पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन को हरी झंडी दिखाई।

किए गए पांच आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन को खूंटी जिले और आसपास के इलाकों में स्थित महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाले विभिन्न ग्राम पंचायतों में भेजा गया। इसी तरह की आईईसी वैन को देश भर के जहां बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है, वहां के 68 जिलों से राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों जैसे महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा का फोकस लोगों तक पहुंचना, जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना था। विभिन्न जनभागीदारी कार्यक्रम इसकी मूल गतिविधियों का हिस्सा बने।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस विशेष अभियान के लिए **आईईसी वैन** उपलब्ध कराने की पहल की जिसमें इसकी ब्रांडिंग, ऑडियो-विजुअल क्लिप, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट मीडिया (पॉकेट बुकलेट, राज्य विशिष्ट ब्रोशर, कैलेंडर 2024), स्टैंडीज, सेल्फी बूथ और गतिविधियों के संचालन के लिए नगर निगम के साथ

आईईसी वैन को जियो टैग करने में सक्षम बनाना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए पुरस्कार (टी शर्ट/कैप) शामिल हैं।

'विकसित भारत संकल्प यात्रा' अभियान में एक प्रमुख मंत्रालय के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वयन करने हेतु योजना और डिजाइन बनवाया। मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों सहित मीडिया इकाइयों के साथ कार्यान्वयन एजेंसियों की भर्ती, क्रिएटिव और ऑडियो-विजुअल सामग्री की डिजाइनिंग और निर्दिष्ट मार्गों के माध्यम से ऑडियो-विजुअल वैन की सुचारु आवाजाही सहित विभिन्न कार्य कर रहा है। विभिन्न राज्य-स्तरीय 'विकसित भारत' कार्यक्रमों में नागरिकों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की बातचीत को मीडिया कवरेज के माध्यम से प्रभावी ढंग से बढ़ाया गया।

15 नवम्बर, 2023 को शुरु की गई 'विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीवीएसवाई)' पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री और लाभार्थियों



हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में नलेटी ग्राम पंचायत में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' में भाग लेते हुए माननीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर।

के बीच सीधे जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने में सहायक रही है। इस पहल ने प्रमुख सरकारी योजनाओं के व्यापक कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है, जिससे लोगों को समय पर लाभ की गारंटी मिलती है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 9 दिसम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नलेटी ग्राम पंचायत से विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 27 फरवरी, 2024 को फिक्की द्वारा आयोजित एक औद्योगिक-नेतृत्व की पहल पर राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत@2047- विकसित भारत और उद्योग' के आयोजन में मदद की। इस सम्मेलन में 2047 तक एक समावेशी और विकसित भारत के निर्माण के आह्वान का समर्थन किया गया और इसमें 'किसान प्रथम', 'वित्तीय रूप से समावेशी और सशक्त', 'महिला-नेतृत्व विकास' और 'मेक इन इंडिया: आत्मनिर्भर भारत' जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के अग्रणी शामिल हुए।

'विकसित भारत' पहल के अनुरूप एक मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया गया। अभियान में 'नारी शक्ति', 'किसान कल्याण', 'गरीब कल्याण', 'मध्यम वर्ग के लिए जीवन की सुगमता', 'वंचित वर्गों का उत्थान' और 'युवा सशक्तीकरण' जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर रचनात्मक सामग्री का प्रसार किया गया।

केंद्रीय संचार ब्यूरो ने साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं के लिए 'फोकस में 2023' (हमारा संकल्प विकसित भारत) और 'ज्ञान (जीवाईएएन-गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति) का सशक्तीकरण' पर केंद्रित दो प्रिंट विज्ञापन जारी किए। सीबीसी द्वारा निजी केबल और उपग्रह टीवी चैनलों और दूरदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रसारित करने के लिए टेलीविजन अभियान भी चलाए गए, जिसमें आवास, आयुष्मान भारत, हर घर नल से जल, उज्ज्वला, गरीबी मुक्त भारत, किसान और राशन जैसी पहल शामिल थीं।

'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रमुख एफएम चैनलों के साथ एक रेडियो अभियान चलाया गया। एक मूल ऑडियो स्पॉट इन-हाउस तैयार किया जिसे पत्र सूचना कार्यालय

(पीआईबी) द्वारा कई भाषाओं में अनुवादित किया गया और इसे पूरे भारत में एफएम स्टेशनों द्वारा प्रसारित किया।

पत्र सूचना कार्यालय और प्रसार भारती ने 11 दिसम्बर, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'विकसित भारत@2047: युवाओं की आवाज़' के शुभारंभ को व्यापक रूप से कवर किया। दूरदर्शन समाचार ने अपनी 30 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के साथ विशेष कहानियों, प्रतिभागियों के बाइट, विशेष पैकेज, ग्राउंड रिपोर्ट, परिचर्चा कार्यक्रमों और 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले एक विशेष दैनिक कार्यक्रम शृंखला 'संकल्प विकसित भारत का' के माध्यम से यात्रा को व्यापक रूप से कवर किया।

दूरदर्शन समाचार ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विकास कहानी को प्रदर्शित करने के लिए 'नेक्स्टजेन भारत' नामक एक विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम भी प्रसारित किया। समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी (एनएसडी: एआईआर) ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के तहत 6 दिसम्बर, 2023 और 22 दिसम्बर, 2023 को कृषि और स्वास्थ्य के विषयों पर विशेषज्ञों के साथ

परिचर्चा प्रसारित की। एनएमडब्ल्यू ने वीडियो बाइट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, योजना-विशिष्ट रील्स और ग्राफिक्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार किया।

भारत सरकार का 2024 का आधिकारिक कैलेंडर

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 30 दिसम्बर, 2023 को 'हमारा संकल्प विकसित भारत' थीम के साथ भारत सरकार का वर्ष 2024 का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर 2024 में जन हितैषी नीतियों के निर्माण और योजनाओं तथा पहल के कार्यान्वयन के माध्यम से, भारत के लोगों के जीवन में आए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन को दर्शाया गया है, जिसने एक मजबूत भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैलेंडर को हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में मुद्रित कर पूरे देश में वितरित किया गया।

8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार

8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन द्वारा 7 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में



सूचना एवं प्रसारण, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 7 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए।

प्रदान किए गए। सुश्री शिप्रा दास को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार श्री शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया, जबकि एमेचर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार श्री अरुण साहा को मिला। समारोह के दौरान कुल तेरह पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें प्रोफेशनल और एमेचर श्रेणी में 6-6 पुरस्कार शामिल हैं। प्रोफेशनल श्रेणी का विषय 'जीवन और जल' जबकि एमेचर श्रेणी का विषय 'भारत की सांस्कृतिक विरासत' था।

आक्यूरिया (एआरसीयूआरई)-2024

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) के सहयोग से आक्यूरिया-2024 का आयोजन किया गया, जो फिल्मों के संग्रहण, क्यूरेशन और जीर्णोद्धार पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है और यह 16 से 22 मार्च, 2024 तक एसआरएफटीआई, कोलकाता में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सिनेमा के साथ एक व्यापक शैक्षणिक जुड़ाव था, जिसमें 'संग्रहण और जीर्णोद्धार पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी' का आयोजन, भारतीय सिनेमा पर ध्यान केंद्रित करने वाले छात्रों के लिए एक सिनेमा क्यूरेशन कार्यशाला, एनएफडीसी-एनएफएआई



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 27 मई, 2023 को नई दिल्ली में 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' के 9 वर्ष पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को सम्बोधित करते हुए।

द्वारा जीर्णोद्धार की गई फिल्मों का प्रदर्शन करने वाला एक उत्सव, क्यूरेटेड पैकेजों से फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग, स्मरणीय फिल्मों का प्रदर्शन, लाइव प्रदर्शन और एक स्मरणोत्सव व्याख्यान शामिल थे।

सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नौ वर्ष

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 27 मई, 2023 को 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्षों' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरे दिन का यह सम्मेलन विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इसके उद्घाटन सत्र में तीन विषयगत पैनल चर्चाएं 'इंडिया : सर्जिंग अहेड', 'जन-जन का विश्वास' और 'युवा शक्ति: गैल्वनाइजिंग इंडिया' और एक समापन सत्र शामिल था। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रियों और प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने '9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' विषय पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें 9 वर्षों में सरकार के विभिन्न कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया और सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

दूरदर्शन समाचार ने राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को व्यापक रूप से प्रसारित किया और 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष' पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और साथ ही संबंधित मंत्रियों के साक्षात्कार भी लिए। सभी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों द्वारा विशेष कवरेज, कहानियां, चर्चा कार्यक्रम, साक्षात्कार और लाभार्थियों की बाइट्स प्रसारित किए गए।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) ने 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष' विषय पर एक अखिल भारतीय प्रिंट अभियान चलाया। समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को देश भर में हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय प्रकाशनों के माध्यम से तीन अलग-अलग क्रिएटिव का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया।

मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण

प्रसार भारती, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 2023 को 'मन की बात @100' पर एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया ताकि प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो प्रसारण की निरंतर सफलता को चिह्नित किया जा सके। देश के विभिन्न हिस्सों से 106 प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति, जिनका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' के विभिन्न एपिसोड में किया था, इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

उद्घाटन सत्र के बाद चार पैनल चर्चा सत्र हुए, जिसमें प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में 'नारी शक्ति', 'विरासत का उत्थान',

'जन संवाद से आत्मनिर्भरता' और 'आह्वान से जन आंदोलन' जैसे व्यापक विषयों पर प्रकाश डाला गया।

जी-20 शिखर सम्मेलन और भारत की अध्यक्षता

भारत ने 1 दिसम्बर, 2022 से इंडोनेशिया से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की और 9-10 सितम्बर, 2023 को देश में पहली बार जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध राष्ट्र, भारत की जी-20 अध्यक्षता उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि इसने सभी की भलाई के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान ढूँढ़कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश की और ऐसा करके, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या 'विश्व एक परिवार है' की सच्ची भावना को प्रकट किया।

प्रसार भारती नेटवर्क ने देश भर में आयोजित भारत की जी-



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह; केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर; केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव; वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा 26 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'मन की बात @100' पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के समापन सत्र में।

20 अध्यक्षता से संबंधित सभी प्रमुख कार्यक्रमों का प्रसारण किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी-20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को संबोधित करना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ शामिल है। डीडी नेटवर्क ने जी-20 पर माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ डीडी संवाद का प्रसारण किया। डीडी इंडिया पर विशेष कार्यक्रम 'भारत @ जी-20' की एक शृंखला प्रसारित की गई; विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम 'भारत@ जी-20: वसुधैव कुटुम्बकम्' का भी प्रसारण किया गया।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों का समन्वय और प्रबंधन किया और आयोजित सभी कार्यक्रमों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रदान किया।

पीआईबी द्वारा जी-20 सांस्कृतिक गलियारा, लोकतंत्र की जननी प्रदर्शनी, ओडीओपी, आरबीआई डिजिटल इनोवेशन पैवेलियन, डिजिटल इंडिया इमर्सिव एक्सपीरियंस, वृक्षारोपण, विदेशी

प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री द्वारा उपहार, व्यंजन आदि पर सॉफ्ट स्टोरिज प्रसारित की गई, साथ ही क्षेत्रीय मीडिया में कवरेज के लिए कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा भी दी गई, गणमान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण लेख पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए। जी-20 से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में पीआईबी जी-20 माइक्रोसाइट को नियमित रूप से अपडेट किया गया।

न्यू इंडिया समाचार (एनआईएस) का अक्टूबर, 2023 पाक्षिक संस्करण 'भारत की अध्यक्षता में जी-20 शिखर सम्मेलन की वर्ष भर की यात्रा' कवर स्टोरी के साथ 13 भाषाओं में प्रकाशित हुआ और सीबीसी द्वारा पूरे देश में वितरित किया गया।

प्रकाशन विभाग ने 'एक पृथ्वी, एक परिवार' विषय पर 'योजना' का नवम्बर, 2023 का विशेष अंक प्रकाशित किया। 'वन पयूचर', विभिन्न क्षेत्रों में भारत की जी20 अध्यक्षता के बहुमुखी प्रभाव को रेखांकित करता है, जिसमें समावेशी विकास, डिजिटल बुनियादी ढांचे, स्थिरता और लैंगिक समानता पर जोर दिया गया।



9 सितम्बर, 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडप में जी-20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेता।

सितम्बर, 2023 में प्रकाशन विभाग (डीपीडी) द्वारा रोजगार समाचार/इम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पांच अंक निकाले गए, जिनका मुख्य फोकस जी20 पर लेख प्रकाशित करना था, जैसे 'भारत की जी20 अध्यक्षता का सार: कूटनीतिक विजय और वैश्विक नेतृत्व', 'जी20 शिखर सम्मेलन: वैश्विक विश्वास और एकता को बढ़ावा देने में भारत की जीत' आदि।

भारत का 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, गोवा राज्य सरकार के सहयोग से 20 से 28 नवम्बर, 2023 तक पणजी, गोवा में भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के 54वें संस्करण का आयोजन किया।

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक और सूचना एवं

प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन उपस्थित थे। इसमें फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, श्रिया सरन और नुसरत भरुचा ने प्रस्तुति दी।

फिल्म प्रदर्शन और पुरस्कार : भारत के 54वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कुल 278 फिल्मों दिखाई गईं, 23 मास्टरक्लास और इन-कन्वर्सेशन सत्र आयोजित किए गए और 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को 'भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिग्गज हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज (ओटीटी) के लिए नया शुरू किया गया पुरस्कार, 'पंचायत सीजन-2' को मिला। पुरस्कार समारोह में गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक, स्पेशल जूरी अवार्ड, आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड आदि भी शामिल थे। श्री शेखर कपूर अंतरराष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष थे।

कार्यक्रम और परस्पर बातचीत: 54वें इफ्फी में कई



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर; केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 20 नवम्बर, 2023 को गोवा में 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के उद्घाटन समारोह में।



सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता माइकल डगलस की पत्नी और अभिनेत्री कैथरीन जेटा-जोन्स को 28 नवम्बर, 2023 को गोवा में 54वें इफ्फी के समापन समारोह में सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कुछ विशेष कार्यक्रम जैसे कि सलमान खान, एआर रहमान आदि जैसी प्रमुख फिल्मी हस्तियों के साथ गाला प्रीमियर और करण जौहर, सारा अली खान, जोया अख्तर, सनी देओल, राजकुमार संतोषी, मधुर भंडारकर, पंकज त्रिपाठी, माइकल डगलस आदि जैसी प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियों के साथ मास्टरक्लास और इन-कन्वर्सेशन सेशन शामिल थे।

समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने भाग लिया। समापन समारोह के दौरान माइकल डगलस, कैथरीन जेटा-जोन्स, ऋषभ शेट्टी, दिव्या दत्ता, ईशा गुप्ता सहित अन्य को सम्मानित किया गया।

आम चुनाव 2024 और 'मेरा पहला वोट देश के लिए' अभियान

भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू किए गए 'मेरा पहला वोट देश के लिए' अभियान का उद्देश्य युवाओं, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वालों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी, 2024 को आकाशवाणी पर अपने

'मन की बात' संबोधन में इस अभियान का उल्लेख किया।

युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27 फरवरी, 2024 को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से #मेरा पहला वोट देश के लिए गान का शुभारंभ किया। उसी दिन, माननीय प्रधानमंत्री ने X (पूर्ववर्ती ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच 'मेरा पहला वोट देश के लिए' अभियान का संदेश फैलाने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया।

'मेरा पहला वोट देश के लिए' अभियान गान ने व्यापक रूप से प्रतिध्वनित हुआ, जिसने देश भर के छात्रों, गायकों और संगीतकारों का उत्साह बढ़ाया। मूल रूप से हिंदी में रचित इस गान का आदि और खासी के साथ-साथ 11 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 'मन की बात' पुस्तिका के फरवरी, 2024 संस्करण का अनावरण किया, जिसमें कवर स्टोरी के रूप में 'मेरा पहला वोट - देश के लिए' शामिल

है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विशेष उल्लेख के साथ कहानियां और प्रशंसात्मक कथन शामिल थे, साथ ही मीडिया की प्रतिक्रियाएं भी थीं। ई-संस्करण, ई-संपर्क के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंचा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, MyGov.in, पीएम इंडिया, आदि की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

डीडी न्यूज़ ने 2024 के आम चुनावों से पहले 'राज्य नीति', 'जनादेश', 'क्या बोले भारत', '24 की चुनौती' और 'चुनावी चकल्लस' जैसे विशेष शो शुरू किए, जो विशेषज्ञ चर्चाओं और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से राज्यों में राजनीतिक परिदृश्य की जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त, समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी (एनएसडी : एआईआर) ने 17 मार्च, 2024 से 'लोकप्रचारक के साथ लोकनिर्णय 2024' शीर्षक से एक दैनिक 30 मिनट का लाइव द्विभाषी कार्यक्रम शुरू किया, जो मतदाता जागरूकता और चुनाव संबंधी समाचारों के प्रसार पर केंद्रित है।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने आम चुनाव 2024 पर व्यापक जानकारी के लिए एक मीडिया सुविधा पोर्टल प्रस्तुत

किया। इसके अतिरिक्त, पीआईबी ने एक समर्पित माइक्रोसाइट लॉन्च किया जो आम चुनाव 2024 को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए वन-स्टॉप सुविधा पोर्टल के रूप में काम करने के लिए था। माइक्रोसाइट में चुनाव अवधि के दौरान पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए रिपोर्टिंग अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से कई विशेषताएं शामिल रहीं।

पुस्तक विमोचन

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसम्बर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में 'पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय' के 11 खंडों की पहली शृंखला का विमोचन किया। देश के कोने-कोने से एकत्रित लगभग 4000 पृष्ठों में समाहित इस द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) प्रकाशन में पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों का संग्रह है। इस खंड में अप्रकाशित ज्ञापन सहित उनके पत्र, लेख और भाषण शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रकाशन विभाग (डीपीडी)



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसम्बर, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मालवीय जी की 162वीं जयंती पर 'पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय' का विमोचन किया।

ने इन पुस्तकों को प्रकाशित किया और दस्तावेजों पर शोध और संकलन का काम महामना मालवीय मिशन द्वारा किया गया।

आजादी का अमृत महोत्सव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत विभिन्न अभिनव कार्यक्रम आयोजित किए। इस उत्सव में जन भागीदारी की भावना पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें टेलीविजन, डिजिटल, सोशल मीडिया और देश भर में आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से कई गतिविधियां/कार्यक्रम आयोजित किए गए। 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- **डीडी नेशनल** ने 11 फरवरी, 2023 से शनिवार और रविवार को 'स्वराज' धारावाहिक का एक के बाद एक प्रसारण शुरू किया। 'स्वराज - भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र

गाथा' 75-एपिसोड का एक मेगा शो है, जो स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम शहीदों के जीवन और बलिदान को दर्शाते हुए भारतीय इतिहास के कई पहलुओं को प्रदर्शित करता है।

- प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' थीम पर प्रमुख पत्रिका 'योजना' का अगस्त, 2023 का विशेष अंक प्रकाशित किया। आजादी के अमृत काल के साथ 'अमृत वर्ष विशेषांक' प्रकाशित करके बच्चों की पत्रिका 'बाल भारती' के 75वें वर्ष पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) 2024

परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) 2024 को प्रिंट और टेलीविजन मीडिया में काफ़ी कवरेज मिली।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'परीक्षा पे चर्चा' के 7वें संस्करण में भाग लेते हुए।



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर 8 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के दौरान।

तहत हितधारक मंत्रालयों और मीडिया इकाइयों के साथ निकट समन्वय और योजना के माध्यम से कार्यक्रम के दौरान व्यापक आउटरीच की सुविधा प्रदान की। संबोधन को **निजी टीवी चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित** किया गया। इसके अलावा, निजी एफएम पर एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया गया, जिसमें देश भर के स्टेशनों पर **कई भाषाओं में उद्घोषक का उल्लेख** किया गया।

पत्र सूचना कार्यालय ने 'परीक्षा पे चर्चा 2024' पर **केंद्रीय मंत्रियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए 12 विशेष लेखों** के प्रकाशन की सुविधा प्रदान की, जिसमें 5 लेख क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तेलुगु, कन्नड़, ओडिया, गुजराती और मराठी में थे। इन लेखों को व्यापक कवरेज मिला, जिसके परिणामस्वरूप 200 से अधिक क्लिपिंग तैयार हुईं।

आकाशवाणी की विदेश सेवा ने 'परीक्षा पे चर्चा' के 7वें संस्करण पर **चर्चा और कमेंट्री** प्रसारित कीं। इन चर्चाओं में 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'परीक्षा पे चर्चा' से पहले की तैयारी और 29 जनवरी, 2024 को पीपीसी 2024 के प्रमुख अंश का आकाशवाणी से प्रसारण शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

8 मार्च को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने और महिला सशक्तीकरण का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में

मनाया जाता है। महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और मीडिया इकाइयों/संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए।

मंत्रालय के मुख्य सचिवालय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले मंत्रालय की महिला **अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, एमसीक्यू, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन लेखन** जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 8 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इसी तरह के कार्यक्रम, मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों/संगठनों द्वारा आयोजित किए गए।

मंत्रालय ने 11 मार्च, 2024 को दिल्ली के अशोक होटल में **'लैंगिक संवेदनशीलता - मीडिया में महिलाओं का चित्रण'** पर एक **बहु-हितधारक गोलमेज परिचर्चा** का आयोजन किया, जिसका संचालन प्राइमस पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया। पैनल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर और प्रसार भारती, फिक्की, यूएन विमेन, नेटफ्लिक्स, वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी, यूनिसेफ, बीएजी फिल्मस एंड मीडिया लिमिटेड, रेडियो मेवात, टाइम्स ऑफ इंडिया, इक्विलिब्रियो एडवाइजरी एलएलपी, फीवर एफएम, सुश्री अनुप्रिया गोयनका (अभिनेत्री) और प्राइमस पार्टनर्स के वक्ता शामिल थे।

भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) ने **'वीमेन**

इन सिनेमा : शोपिंग ग्लोबल नैरेटिव्स' विषय पर एक हाइब्रिड पैनल चर्चा आयोजित की, जिसमें भारत की एक महिला वक्ता सहित विभिन्न देशों की पांच महिला वक्ता शामिल थीं।

समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी ने 11 मार्च, 2024 को 'महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सरकार के प्रयास और पहल' पर एक परिचर्चा प्रसारित की। प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने महिला दिवस के अवसर पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली महिलाओं पर पुस्तकों को प्रमुखता देते हुए क्रिएटिव पोस्ट किए।

9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आग्रह और दुनिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, 11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। योग की विश्वव्यापी स्वीकृति हमारे देश के लिए

बहुत गर्व की बात है, क्योंकि योग मानव जाति के लिए भारत की अनुपम देन है और हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है। पिछले नौ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है।

डीडी न्यूज ने दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोहों को व्यापक रूप से कवर किया, जिसमें राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया योगाभ्यास, जबलपुर (मध्य प्रदेश) में माननीय उपराष्ट्रपति की अगुवाई में मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम, भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का उत्सव और इसमें भाग लेने वाले 135 देशों के लोगों का गिनीज रिकॉर्ड, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक उत्सव (आर्कटिक में भारत के अनुसंधान केंद्र हिमाद्रि और अंटार्कटिक में भारती), भारतीय सेना का भारतमाला, भारतीय नौसेना का 'ओशन रिंग ऑफ योगा' आदि शामिल थे।



माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 21 जून, 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास करती हुई।

डीडी न्यूज ने योग संवाद, योग यात्रा, संपूर्ण स्वास्थ्य, विशेष साक्षात्कार, ग्राउंड रिपोर्ट, विशेष थीम गीत आदि जैसे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए।

योग के प्रचार-प्रसार में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान-2023 के दूसरे संस्करण की घोषणा की।

न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) ने हैशटैग #योगदिवस #हरआंगनयोग #योगडे आदि का उपयोग करते हुए मंत्रालय के सोशल मीडिया पर हिंदी/अंग्रेजी में एक विशेष रील और एक पॉडकास्ट (हिंदी में) तैयार करके प्रभावी आउटरीच का आयोजन किया। प्रकाशन विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर योगासनों पर दैनिक वीडियो के साथ 31 मई, 2023 से काउंटडाउन शुरू की और अपनी पुस्तकों 'योग इलस्ट्रेटेड', 'योग सचित्र' और 'योग विज्ञान' का प्रचार किया।

केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों ने देश भर में इस विषय पर 117 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी), 6 विशेष कार्यक्रम, 117 योग प्रदर्शन सत्र और 35 फील्ड कार्यक्रम आयोजित किए।

अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (आईवाईओएम) 2023

खाद्य एवं कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता पैदा के लिए वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष या आईवाईओएम 2023 के रूप में मान्यता दी है। भारत सरकार ने भी वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' के रूप में मनाया।

डीडी न्यूज और डीडी इंडिया ने आईवाईओएम पर सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कवर किया जिसमें नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण और दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित खाद्य मेला शामिल है। मन की बात कार्यक्रम में मिलेट्स पर माननीय प्रधानमंत्री के विचारों पर एक विशेष पैकेज तैयार किया गया और उसका प्रसारण किया गया। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य

मंत्रियों के विशेष संक्षिप्त साक्षात्कार भी प्रसारित किए गए। आधे घंटे का एक विशेष कार्यक्रम 'श्री अन्न का वैश्विक हब बनता भारत' भी प्रसारित किया गया।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित योजना के जनवरी अंक में आईवाईओएम 2023 के उपलक्ष्य में मिलेट्स की थीम को शामिल किया गया। न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैशटैग #आईवाईओएम2023 का उपयोग करके विभिन्न मिलेट्स के लाभों और सूचनाओं पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न पोस्ट बनाए।

स्वच्छता अभियान 3.0 और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 3.0

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इसके सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों ने पूरे देश में 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 चलाया।

अभियान के दौरान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 633 आउटडोर अभियान चलाए, 1,197 स्थानों की सफाई की, निपटान के लिए 44,834 किलोग्राम स्कैप वस्तुओं की पहचान की, 20,110 भौतिक फाइलों को हटाया और 41.8 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया। इसके अलावा मंत्रालय ने 363 लोक शिकायतों, 84 पीजी अपीलों, 21 सांसदों के संदर्भों, 2 पीएमओ संदर्भों और 7 संसदीय संदर्भों का निपटारा किया।

अन्य महत्वपूर्ण कवरेज

नए संसद भवन का उद्घाटन: डीडी न्यूज और डीडी इंडिया नेटवर्क ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के लाइव प्रसारण को व्यापक रूप से कवर किया, जिसमें उद्घाटन समारोह में उनका संबोधन, नए संसद भवन के निर्माण की कहानी बताने वाली एक विशेष फिल्म की प्रस्तुति और नए संसद भवन में स्थापित पवित्र सेंगोल पर एक लघु फिल्म की प्रस्तुति शामिल थी। डीडी न्यूज पर 'नया संसद भवन: नए भारत की नई पहचान', 'नया संसद भवन: नया आनंद, नई समृद्धि', 'मेरी संसद मेरा गौरव' आदि विषयों को कवर करने वाले विशेष कार्यक्रमों की एक शृंखला प्रसारित की गई।

किसान कल्याण: डीडी न्यूज ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार के विभिन्न प्रयासों, सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच बातचीत और विरोध के कारण समाज के विभिन्न वर्गों के सामने आने वाली कठिनाइयों सहित विरोध के सामाजिक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए **ग्राउंड रिपोर्ट**, अपडेट और **विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा कार्यक्रमों** को कवर किया। एनएमडब्ल्यू ने वीडियो रील, व्याख्यात्मक वीडियो, ग्राफिक्स आदि का उपयोग करके किसानों के कल्याण को प्रदर्शित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। प्रकाशन विभाग ने 'लाभदायक खेती' पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका का मार्च, 2024 का अंक प्रकाशित किया, जिसमें प्रासंगिक दृश्यों और इन्फोग्राफिक्स के साथ आठ लेखों को शामिल किया गया।

नए आपराधिक कानूनों (एनसीएल) पर जागरूकता पैदा करना: नए आपराधिक कानूनों (एनसीएल) से संबंधित घटनाओं और गतिविधियों को **समाचार बुलेटिनों और विशेष चर्चा कार्यक्रमों** के माध्यम से व्यापक रूप से कवर किया गया। एनसीएल के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के

लिए पत्र सूचना कार्यालय की प्रेस विज्ञप्तियां मीडिया आउटलेट्स और क्षेत्रीय कार्यालयों में **व्याख्याताओं और क्रिएटिव** के साथ प्रसारित की गईं।

राष्ट्रीय एकता दिवस: डीडी न्यूज और पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने **राष्ट्रीय एकता दिवस परेड** और केवड़िया, गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सरदार पटेल की 148वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का लाइव कवरेज और व्यापक प्रचार किया, जिसमें 'मेरा युवा भारत (MY Bharat)' प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी शामिल है। आकाशवाणी का वार्षिक **सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान** भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा दिया गया।

ऑपरेशन दोस्त: भारत द्वारा तुर्किये और सीरिया को दी गई सहायता को समाचार रिपोर्टों, कार्यक्रमों, चर्चाओं, एनडीआरएफ कर्मियों की बाइट, संस्कृत में विशेष कहानियों, एनडीआरएफ और विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग आदि के माध्यम से विस्तृत रूप से कवर किया गया। डीडी न्यूज ने 20 फरवरी, 2023 को 'ऑपरेशन दोस्त' में शामिल **भारतीय कर्मियों के साथ माननीय**



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में तुर्किये और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त' में शामिल एनडीआरएफ कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए।

प्रधानमंत्री की बैठक को लाइव कवर किया। 'डेटलाइन' शृंखला में दो विशेष कार्यक्रम किए गए और डीडी इंडिया पर एक विशेष परिचर्चा कार्यक्रम 'भारतीय कूटनीति: मानवीय सहायता और राहत' प्रसारित किया गया। 'ऑपरेशन दोस्त' में शामिल एनडीआरएफ टीम की महिला सदस्यों के साथ 'तेजस्विनी' का एक विशेष एपिसोड भी प्रसारित किया गया।

उत्तरकाशी में सिल्कयारा सुरंग ढहने वाली जगह पर बचाव अभियान: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 नवम्बर, 2023 को उत्तराखंड के सिल्कयारा में बचाव अभियानों को कवर करने वाले सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने से बचने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा मानव जीवन बचाने की गतिविधि किसी भी तरह से ऑपरेशन स्थल के पास या आसपास कैमरामैन, रिपोर्टर या उपकरणों की मौजूदगी से बाधित न हो।

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने 12 से 28 नवम्बर तक राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान पर नियमित प्रेस वार्ता आयोजित की और मीडिया को विवरण के साथ प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं।

डीडी न्यूज और समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी ने 29 नवम्बर, 2023 को सिल्कयारा सुरंग में राहत अभियान की सफलता और ऐसी स्थितियों से निपटने की तैयारियों पर एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, और एनआईडीएम के प्रो. सूर्य प्रकाश के साथ विशेष कार्यक्रम/चर्चा प्रसारित की।

चंद्रयान 3 : चंद्रयान-3 मिशन के विवरण और लॉन्च को लेकर जनता में उत्साह को व्यापक कवरेज दिया गया और सीधा प्रसारण किया गया, इसके अलावा विशेषज्ञों के पैनल के साथ परिचर्चा कार्यक्रम भी आयोजित की गई।

परामर्श

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 9 जनवरी, 2023 को सभी टेलीविजन चैनलों को दुर्घटनाओं, मौतों और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा सहित हिंसा की घटनाओं की

रिपोर्टिंग के खिलाफ एक परामर्श जारी की, जोकि 'सुरुचि और शालीनता' से समझौता करती है। परामर्श में इस तरह की रिपोर्टिंग के विभिन्न दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है और प्रसारकों के बीच जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को बढ़ावा दिया गया, जिसे कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता में शामिल किया गया।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 30 जनवरी, 2023 को लोक सेवा प्रसारण के दायित्व पर एक परामर्श जारी किया जिसमें यह स्पष्ट है कि प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों में सन्निकित प्रासंगिक सामग्री को लोक सेवा प्रसारण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्त्व और सामाजिक प्रासंगिकता की सामग्री को लगातार 30 मिनट की आवश्यकता नहीं है और इसे छोटे समय स्लॉट में जनता तक पहुंचाया जा सकता है और प्रसारक को ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल पर ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

- मंत्रालय द्वारा 6 अप्रैल, 2023 को एक परामर्श जारी किया गया, जिसमें समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्मों और उनके किसी भी सरोगेट उत्पादों के विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी गई। मंत्रालय ने एक विशिष्ट सट्टेबाजी मंच द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक खेल लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई, जो प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन प्रतीत होता है।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 25 अगस्त, 2023 को समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, समाचार पोर्टलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्मों और/या इन प्लेटफॉर्मों को छद्म तरीके से दर्शाने वाले किसी भी उत्पाद या सेवा के विज्ञापन/प्रचार सामग्री को दिखाने से परहेज करने के लिए एक सलाह जारी की है।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 21 सितम्बर, 2023 को सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को एक सलाह जारी



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 23 जुलाई, 2023 को आईआईएमसी, नई दिल्ली में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन (उत्तरी) के उद्घाटन समारोह में।

की, जिसमें उन्हें ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के विचारों/एजेंडों के बारे में रिपोर्ट/संदर्भों को कोई भी मंच देने से परहेज करने की सलाह दी गई, जो गंभीर अपराध/आतंकवाद और कानून द्वारा प्रतिबंधित ऐसे संगठनों से संबंधित हैं।

- ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने से परहेज करने की सलाह: 21 मार्च, 2024 को एक सलाह जारी की गई, जिसमें सोशल मीडिया पर समर्थकों और प्रभावितों से विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने से परहेज करने का आग्रह किया गया। सोशल मीडिया इंटरमिडियरी को सलाह दी गई कि वे ऐसी सामग्री के प्रकाशन को हतोत्साहित करने के लिए उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएं।

अन्य मुख्य बातें

- दो दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन (उत्तरी) 23 और 24 जुलाई, 2023 को आयोजित किया गया, जहां 23 जुलाई, 2023 को उद्घाटन सत्र के दौरान केंद्रीय सूचना

एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विजेताओं को 8वें और 9वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर, इस क्षेत्र में 'व्यापार करने में आसानी' और 'भारत में रेडियो' की पहुंच के विस्तार के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

- 2018, 2019 और 2020 बैच के आईआईएस प्रशिक्षु अधिकारी समूह 'ए' का समापन समारोह 31 मार्च, 2023 को आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए।
- 15 फरवरी, 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसायटी (बीईएस) एक्सपो 2024 में प्रसारण और मीडिया प्रौद्योगिकी पर 28वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान, माननीय मंत्री ने भारत के प्रसारण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रतिबद्धता और



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 15 फरवरी, 2024 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रसारण और मीडिया प्रौद्योगिकी पर 'बीईएस एक्सपो 2024' प्रदर्शनी में।

उभरती हुई तकनीक के अनुकूल प्रसारण भारत के प्रयासों पर जोर दिया।

- **काशी तमिल संगमम 2.0 (केटीएस 2.0):** डीडी न्यूज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केटीएस 2.0 के उद्घाटन का सीधा प्रसारण किया, जिसके दौरान तमिल जानने वाले दर्शकों के लिए 'भाषिणी' नामक एक नया वास्तविक समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद उपकरण का इस्तेमाल किया गया। डीडी न्यूज ने 'खबर हट कर' में केटीएस 2.0 और 'भाषिणी' पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, नियमित और प्राइम टाइम समाचारों में समर्पित समाचार खंडों का प्रसारण किया, एक विशेष कार्यक्रम 'काशीतमिलसंगमम' में गणमान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों के साथ विशेष बातचीत की और भारत में विभिन्न शास्त्रीय नृत्य रूपों पर एक विशेष कार्यक्रम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का प्रसारण किया।

तमिलनाडु से वाराणसी तक यात्रा करने वाले केटीएस 2.0 के प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएं; उनकी यात्रा के दौरान ट्रेन में सवार होने के साथ-साथ पूरे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग की गई, जिसे डीडी पोधिगई और डीडी इंडिया पर भी प्रमुखता से प्रसारित किया गया।

- **13 फरवरी, 2024 को 'विश्व रेडियो दिवस'** के अवसर पर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के सहयोग से चेन्नई में दो दिवसीय **क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन (दक्षिण)** का आयोजन किया। सम्मेलन का आयोजन **'भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्षों का जश्न'** विषय के तहत किया गया और इसमें 104 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने **'भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित**



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 24 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में वर्ष 2021 के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के जूरी सदस्यों के साथ।

करने के लिए संशोधित नीति दिशानिर्देश' का अनावरण किया।

- समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी (एनएसडी : आकाशवाणी) को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा हेतु उत्कृष्ट अभियान के लिए राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- फिल्म शिक्षा में बदलाव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी: सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) द्वारा 13 से 15 दिसम्बर, 2023 तक 'फिल्म शिक्षा में बदलाव' पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण और सिद्धांतों

के साथ मौजूदा फिल्म शिक्षा ढांचे की समीक्षा करना और उन तक पहुंच बनाना था।

- प्रकाशन विभाग (डीपीडी) को 23 सितम्बर, 2023 को अंग्रेजी और हिंदी में विभिन्न श्रेणियों में पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए पांच पुरस्कार मिले, जिन्हें फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स (एफआईपी) द्वारा स्थापित किया गया था। विजेता शीर्षक हैं 'श्री अरबिंदो लाइफ एंड लेगेसी', 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास (2021-22)', 'इलेक्टिंग द फर्स्ट सिटीजन', 'योजना (हिन्दी) - अप्रैल, 2023' और 'आजकल - अगस्त, 2022'।





केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 30 दिसम्बर, 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भारत सरकार कैलेंडर 2024 का विमोचन किया।



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 11 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में 'केटीबी-भारत हैं हम' एनिमेशन सीरीज का शुभारंभ किया।



पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहल और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित करने वाली भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और मीडिया में परिलक्षित आम जन की प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराता है। यह मीडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त संचार रणनीतियों पर सरकार को सलाह भी देता है।

प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, फीचर लेख, पृष्ठभूमि, प्रेस ब्रीफिंग, साक्षात्कार, संवाददाता सम्मेलन, प्रेस टूर आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रसारित करता है। पत्र सूचना कार्यालय सूचना प्रसारित करने के लिए X (पूर्व में - टिवटर), यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी उपयोग करता है। सूचना अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू के साथ-साथ 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की जाती है जो पूरे देश में समाचार पत्रों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है।

पत्र सूचना कार्यालय मीडियाकर्मियों को मान्यता भी प्रदान करता है ताकि सरकारी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो सके।

पत्र सूचना कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नेतृत्व प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) करते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय के पांच जोन हैं, जिनमें 19 क्षेत्रीय कार्यालय और 17 शाखा कार्यालय शामिल हैं, जिनमें एक सूचना केंद्र भी है, जो क्षेत्रीय मीडिया की सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करता है।

I. पत्र सूचना कार्यालय की सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियां

क. मंत्रालय/विभागवार सूचना प्रसार

पत्र सूचना कार्यालय अधिकारी किसी मंत्रालय/विभाग से जुड़े होते हैं और उसके अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। वे मंत्रालय/विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हैं, सूचना प्रसारित करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण या प्रतिवाद प्रस्तुत करते हैं। पत्र सूचना कार्यालय अधिकारी मीडिया में संपादकीय, लेख और टिप्पणियों में परिलक्षित सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते हैं और मंत्रालय/विभाग को जनता की राय से अवगत कराते हैं और मंत्रालय/विभाग को उसकी मीडिया और सूचना, शिक्षा और संचार रणनीति पर सलाह देते हैं।

ख. क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा सूचना प्रसार संबंधी गतिविधियां

क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में पत्र सूचना कार्यालय अधिकारी मुख्यालय से दी जाने वाली सूचना के प्रसार के अलावा, अपने-अपने क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का कवरेज भी सुनिश्चित करते हैं। ये कार्यालय केन्द्र सरकार के उन निर्णयों को भी लेते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए विशेष महत्त्व के हो सकते हैं, ताकि निरंतर सूचना प्रसार के आधार पर केंद्रित प्रचार किया जा सके। पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के किसी क्षेत्र/राज्य के आधिकारिक दौरे के दौरान मीडिया कवरेज को सुगम बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

ग. सूचना प्रसार के लिए अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय द्वारा निम्नलिखित संचार रणनीतियों का उपयोग किया जाता है :

- i) संचार के पारम्परिक रूप जैसे- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस (वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित)।
- ii) महत्वपूर्ण घटनाओं और घोषणाओं की प्रेस विज्ञप्ति और तस्वीरें जारी करना। इसके बाद मीडियाकर्मियों को एसएमएस अलर्ट, X (पूर्व में ट्विटर) और टेलीफोन कॉल द्वारा सूचित करना।
- iii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साक्षात्कार, विशेष चर्चा आदि की व्यवस्था करना।
- iv) वेबसाइटों पर नियमित अपडेट के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे- X (पूर्व में ट्विटर), यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग करना।
- v) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा सूचना प्रसार विभिन्न माध्यमों से हमेशा उपलब्ध है। ऐप के माध्यम से पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्मों पर पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा पीआईबी ऐप डाउनलोड और उपयोग किया जा रहा है। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर ऐप को पांच लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।
- vi) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के अलावा प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे- मलयालम, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मणिपुरी, असमिया और बांग्ला जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से अखिल भारतीय कवरेज सुनिश्चित करना।
- vii) स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आम बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फ़ी), राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और स्वच्छ भारत सप्ताह आदि जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए मीडिया कवरेज की विशेष व्यवस्था की जाती है।

viii) हिन्दी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री कार्यालय को दैनिक मीडिया रिपोर्ट के रूप में मीडिया से फीडबैक, प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके मंत्रालय से दैनिक मीडिया फीडबैक महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष फीडबैक।

ix) पत्र सूचना कार्यालय आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूरदराज के क्षेत्रों में मीडिया आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम मील तक पहुंचता है।

मीडिया उत्पाद / सेवा / वाहन	संख्या (01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024)
कुल 17 भाषाओं में प्रेस विज्ञप्तियां	109857
फोटो रिलीज	32678
एसएमएस	मीडिया को बल्क एसएमएस
वीडियो रिलीज	133
मीडिया आमंत्रण रिपोर्ट	620
पत्रकारों को जारी किए गए कुल कार्ड	2369
वार्तालाप आयोजित किए गए	107
प्रेस टूर आयोजित किए गए	29
राष्ट्रव्यापी मीडिया फीडबैक	दैनिक
विशिष्ट मुद्दों पर विश्लेषणात्मक मीडिया रिपोर्ट	दैनिक/साप्ताहिक

II. प्रधानमंत्री की प्रचार और संदर्भ इकाई

पत्र सूचना कार्यालय के पास प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रचार और मीडिया सहायता के लिए एक समर्पित इकाई है। यह इकाई पूरे वर्ष काम करती है। यह इकाई भारत के माननीय राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (पीएमईएसी) के प्रचार से भी संबंधित है।

III. सोशल मीडिया

सरकारी संचार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, पत्र सूचना कार्यालय ने पिछले पांच वर्षों में भारतीय और वैश्विक दोनों क्षेत्रों में लगातार बढ़ते ऑनलाइन नागरिकों से जुड़ने और उनसे संपर्क के लिए सोशल मीडिया को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम और आम जनता पर पत्र

सूचना कार्यालय के प्रभावशाली सोशल मीडिया प्रभाव को मीडिया में पत्रकारों और जनता के द्वारा सकारात्मक रूप से देखा गया है।

- सरकार की आधिकारिक तस्वीरें, वीडियो और प्रेस विज्ञापितियां समयोचित तरीके से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जाती हैं।
- इसके अलावा, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग को फेसबुक, X और पत्र सूचना कार्यालय के यूट्यूब चैनल पर लाइव पोस्ट और लाइव स्ट्रीम किया जाता है, जिससे सरकार के बारे में तत्काल समाचार अपडेट मिलते हैं।
- समाचार साझा करने के अलावा, पत्र सूचना कार्यालय विशेष रूप से तैयार किए गए हैशटैग का उपयोग कर लोगों में जागरूकता पैदा करता है। सरकारी नीतियों और कार्यों के साथ नागरिक से सम्पर्क बढ़ाकर सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यह इससे सोशल मीडिया जागरूकता और सूचना प्रसार अभियान चलाती है।

सोशल मीडिया आउटरीच

- **पीआईबी इंडिया X (पूर्व में ट्विटर)** : पत्र सूचना कार्यालय अंग्रेजी X हैंडल @पीआईबी_India के **2.9 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स** हैं। पत्र सूचना कार्यालय नागरिकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री और प्रस्तुति को अपना रहा है, जैसे ट्विटर वीडियो, जीआईएफ, पोल, X मोमेंट्स, जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह औसतन 14 मिलियन इम्प्रेसन होते हैं।
- **पीआईबी हिन्दी ट्विटर** : @PIBHindi हैंडल के **450 हजार (लगभग 460 हजार) से अधिक फॉलोअर्स** हैं, और यह केंद्र सरकार के कुछ विशेष हिन्दी X अकाउंट में से एक है।
- **फेसबुक**: वर्तमान वर्ष में फेसबुक पर पत्र सूचना कार्यालय के प्रशंसकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसके **714 हजार से अधिक फॉलोअर्स** हैं। इससे संचार को अधिक तीव्रता और लोगों के सम्पर्क और रचनात्मक साधनों को अपनाने हेतु बढ़ावा मिला।
- **यू-ट्यूब** : पीआईबी यूट्यूब चैनल पर **7.6 हजार से अधिक**

वीडियो और **1.74 मिलियन सब्सक्राइबर** हैं, जिन्हें **253 मिलियन से अधिक बार** देखा गया है।

- **केयू** : केयू पर, पत्र सूचना कार्यालय के हैंडल @PIB_India और @PIBHindi के क्रमशः लगभग **630 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स** और **1.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स** हैं।
- **इंस्टाग्राम** : पत्र सूचना कार्यालय के इंस्टाग्राम पर आकर्षक ऑफ-बीट आधिकारिक फोटो, लघु वीडियो, जीआईएफ और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ प्रकाशित की जाती हैं। पत्र सूचना कार्यालय के इंस्टाग्राम अकाउंट पर **1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स** हैं।
- **पब्लिक ऐप** : पब्लिक ऐप पर, पत्र सूचना कार्यालय के हैंडल @pibindia के लगभग **380.3 हजार फॉलोअर्स** हैं।

सोशल मीडिया मार्गदर्शन और सहायता

अपने स्वयं के आउटरीच के अलावा, पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को बेहतर तरीके से अपनी सोशल मीडिया में उपस्थिति कायम करने और बेहतर प्रबंधन करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

इस वर्ष की गई कुछ नई पहल इस प्रकार हैं :

- **इन-हाउस प्रोडक्शन** : विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों से विशेष वीडियो, जीआईएफ और छवियों का निर्माण करना।
- पत्र सूचना कार्यालय के आगामी कार्यक्रमों की तैयारी में इवेंट प्रोमो पोस्ट करना।

पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक यूनिट

फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समाचार मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विभिन्न माध्यमों पर तथ्यात्मक रूप से गलत/भ्रामक खबरों और सूचनाओं के प्रसार तथा उसकी निगरानी और रोकथाम के लिए की गई थी, जो अक्सर विभिन्न मुद्दों पर लोगों को गुमराह करते हैं। पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक यूनिट का कार्य सार्वजनिक डोमेन में तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी उपलब्ध कराकर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर

प्रसारित होने वाली किसी भी खबर का आधिकारिक/प्रामाणिक संस्करण प्रदान करना है।

दिसम्बर, 2019 से पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक अपने मिशन में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कुल 1,39,990 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 45,648 कार्रवाई योग्य प्रश्न थे और उनका जवाब दिया गया। कुल 1,687 फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं पकड़ी गईं और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट किया गया। इनमें से प्रत्येक तथ्य-जांच प्राप्त हुए अनेक प्रश्नों का परिणाम है। यह प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड सत्य और सटीकता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसका प्रभाव संख्याओं से परे है। X, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक की सशक्त उपस्थिति ने मीडिया आउटलेट्स और जनता दोनों से सकारात्मक मान्यता प्राप्त की है।

मीट्रिक्स पर संक्षिप्त नज़र :

- **X (पूर्व में Twitter)** : अंग्रेज़ी X हैंडल, @PIBFactCheck के 311 हजार से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं, जिनमें हर महीने औसतन लगभग 5 हजार फ़ॉलोअर्स की बढ़ोत्तरी होती है। पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक नागरिकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए नए तरह के कंटेंट और प्रेजेंटेशन अपना रहा है, जैसे जीआईएफ, पोल्स टिवटर फ्लीट, जागरूकता पोस्ट, मोमेंट मार्केटिंग और अभियान, जिसके परिणामस्वरूप हर महीने औसतन 2.5 मिलियन इम्पेशन मिलते हैं।
- **फेसबुक** : पीआईबी फैक्ट चेक के फेसबुक पर 62,500 फ़ॉलोअर्स हैं।
- **इंस्टाग्राम** : इस प्लेटफ़ॉर्म की पहुंच बढ़ाने के लिए क्रॉस-प्रमोशन के उद्देश्य से पीआईबी फैक्ट चेक इंस्टाग्राम पर सामग्री प्रकाशित की जाती हैं। पीआईबी फैक्ट चेक इंस्टाग्राम के 96.1 हजार से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं।

कुछ नई पहल इस प्रकार हैं :

- **व्हाट्सएप चैनल** : फैक्ट चेक यूनिट ने व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और वास्तविक समय में तथ्य-जांच में संलग्न होने के लिए एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया।

- **थ्रेड्स** : फैक्ट चेक यूनिट की नवीनतम पहल में इंस्टाग्राम थ्रेड्स पर हमारी उपस्थिति कायम करना शामिल है।

- फैक्ट चेक यूनिट ने **नकली यू-ट्यूब चैनलों** से निपटने के लिए सक्रिय रूप से उन्हें उजागर करके और उनका खंडन करके एक स्व-प्रेरणा पहल की है।

- **वीओ-आधारित और एंकर-आधारित वीडियो** : हमारे तथ्य-जांच प्रयासों की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के प्रयास में, फैक्ट चेक यूनिट ने वॉयस-ओवर (वीओ) और एंकर-आधारित वीडियो शुरू की गई है। इन वीडियो प्रारूपों का उद्देश्य तथ्यात्मक जानकारी को अधिक आकर्षक और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करना है। पत्र सूचना कार्यालय तथ्य-जांच साधनों में मल्टीमीडिया सामग्री को शामिल कर, फैक्ट चेक यूनिट द्वारा व्यापक दर्शकों तक पहुंचने हेतु उत्कृष्ट ढंग से सुसज्जित है।

दर्शकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए, पत्र सूचना कार्यालय फैक्ट चेक ने ट्रेडिंग रील बनाकर एक आकर्षक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस अभिनव सामग्री प्रारूप ने हमारे दर्शकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त की है, जो प्रभावी रूप से जागरूकता और सटीक जानकारी को बढ़ावा देता है।

- **मोमेंट मार्केटिंग** : फैक्ट चेक यूनिट ने ट्रेडिंग मीम्स के निर्माण के माध्यम से मोमेंट मार्केटिंग की क्षमता का दोहन किया है। इस पहल में हमारे दर्शकों को सक्रिय रूप से जोड़ने और गलत सूचनाओं को प्रभावी ढंग से निपटने और उनका खंडन करने के लिए समय पर, लोकप्रिय मीम्स तैयार करना और साझा करना शामिल है।

- **प्रचार पोस्ट** : जनता को लगातार तथ्य-जांच के महत्व के बारे में याद दिलाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए, साप्ताहिक प्रचार पोस्ट साझा किए जाते हैं।

IV. मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए मीडिया कवरेज

विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)

मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष आयोजनों के लिए प्रचार मंत्रालय की अम्बेला योजना डीसीआईडी के तहत एक उप-योजना

है। इसे विकास कार्यक्रम के संभावित लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से सूचित और सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे इन योजनाओं में भाग ले सकें और इनका लाभ उठा सकें। यह क्षेत्रीय मीडिया तक पहुंचता है जो लक्षित आबादी के साथ अधिक सीधे संपर्क में है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

क. मीडिया इंटरैक्टिव सत्र (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संपादकों का सम्मेलन)

मीडिया इंटरैक्टिव सत्र के तहत, पत्र सूचना कार्यालय पूरे भारत से संपादकों/पत्रकारों को आमंत्रित करते हुए राष्ट्रीय (सामाजिक/आर्थिक) संपादकों का सम्मेलन आयोजित करता है। सामाजिक-आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं आदि जैसे मुद्दों पर चयनित राज्यों की राजधानियों में सत्रों की योजना बनाई जाती है। इन सत्रों में, केंद्रीय मंत्रियों और संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ख. वार्तालाप

पत्र सूचना कार्यालय के नवीनतम सूचना प्रसार माध्यमों और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में जिला/तालुका स्तर पर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों के साथ मीडिया सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। वार्तालाप का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सूचना का प्रसार करना है और ग्रामीण मीडिया पत्र सूचना कार्यालय के आउटरीच प्रयासों में एक बड़ा गुणक है। इन

वार्तालाप/मीडिया इंटरैक्टिव सत्रों के दौरान मीडियाकर्मियों को केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं से संबंधित साहित्य/पैम्पलेट वितरित किए जाते हैं। जनवरी, 2023 से मार्च, 2024 के बीच 107 वार्तालाप आयोजित किए गए।

ग. प्रेस दौरे

पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य के पत्रकारों के लिए प्रेस दौरे आयोजित किए जाते हैं, ताकि वे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें। पत्रकारों का समूह विभिन्न योजनाओं, प्रमुख कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर सकता है। पत्र सूचना कार्यालय संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता है। इस प्रकार प्रेस दौरे सरकार की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की सफलता की कहानियों के बारे में मीडिया को जागरूक करते हैं और प्रयासों को उनके मूल राज्य के मीडिया में और अधिक उजागर किया जाता है। 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक, 29 प्रेस दौरे आयोजित किए गए।

घ. विशेष कार्यक्रम- 'राम लला प्राण प्रतिष्ठा' समारोह

पत्र सूचना कार्यालय ने अयोध्या में 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह (22 जनवरी, 2024) में पहुंचने वाले मीडियाकर्मियों (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) को सभी सुविधा प्रदान की। पत्रकारों की व्यापक कवरेज और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अयोध्या धाम के राम कथा संग्रहालय (अयोध्या धाम मीडिया सेंटर) में एक अत्याधुनिक मीडिया सेंटर की स्थापना की गई। मीडिया सेंटर



22 जनवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कवरेज के लिए अयोध्या धाम के राम कथा संग्रहालय में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक अत्याधुनिक मीडिया सेंटर की स्थापना की गई।

ने समय पर और सटीक सूचना का प्रसार सुनिश्चित करने में, मीडिया गतिविधियों और सार्वजनिक संचार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक केंद्र के रूप में कार्य किया।

अयोध्या धाम मीडिया सेंटर (एडीएमसी) 13,000 वर्ग फीट में फैला हुआ था, जिसका मुख्य परिसर 40 मीटर लम्बा और 25 मीटर चौड़ा था, जिसमें 1,000 मीडियाकर्मियों के बैठने की क्षमता थी। मीडिया सेंटर में 340 वर्कस्टेशन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, मीडिया ब्रीफिंग रूम, मीडिया लाउंज, कैफेटेरिया, एलईडी स्क्रीन आदि की व्यवस्था थी।

V. फीडबैक यूनिट और न्यूज रूम

पत्र सूचना कार्यालय में एक समाचार कक्ष/नियंत्रण कक्ष है जो किसी भी आकस्मिक स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे वर्ष काम करता है। देश भर में पत्र सूचना कार्यालय केंद्रों के माध्यम से कम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और एक साथ देशभर के पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से एक वेबकास्ट करने की व्यवस्था है। यह किसी भी आकस्मिक घटना और अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखी जाती है। आपात स्थिति और संकट के समय में कंट्रोल रूम 24x7 आधार पर काम करता है। महत्वपूर्ण समाचार चैनलों पर नजर रखी जाती है और वरिष्ठ कर्मियों को समय पर मीडिया हस्तक्षेप के लिए नवीनतम घटनाक्रम, तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग आदि से सूचित कराया जाता है।

यह इकाई सरकार की विभिन्न पहल, नीतियों और कार्यक्रमों पर जनता की धारणा से सरकार को दिन-प्रतिदिन अवगत कराती है, जिसमें दैनिक क्षेत्रीय मीडिया डाइजेस्ट और प्रेस क्लिपिंग, विशेष आयोजनों पर मीडिया डाइजेस्ट और प्रेस क्लिपिंग तथा दैनिक अंतरराष्ट्रीय मीडिया डाइजेस्ट सहित विभिन्न फीडबैक उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। क्षेत्रीय मीडिया डाइजेस्ट देश भर के 35 क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से फीडबैक एकत्र करके तैयार किया जाता है, जिसमें 19 भाषाओं में लगभग 400 समाचार पत्रों की स्क्रीनिंग की जाती है। लगभग 730 मीडिया डाइजेस्ट और 25 से अधिक विशेष डाइजेस्ट भेजे जाते हैं।

VI. प्रेस सुविधा

क. मान्यता प्रणाली

पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली के मुख्यालय में विदेशी मीडिया के सदस्यों सहित मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता प्रदान की जाती है। प्रेस मान्यता की एक ऑनलाइन प्रणाली वर्ष 2010 में आरंभ की गई थी, जिसे मान्यता के लिए अनुरोधों की बढ़ती संख्या के साथ लगातार अपडेट किया जाता है। 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए, दिल्ली/एनसीआर में रहने वाले पत्रकारों को कुल **2,369 कार्ड** जारी किए गए।

ख. पत्रकार कल्याण योजना

पत्रकार की गंभीर बीमारियों और मृत्यु के कारण विकट वित्तीय कठिनाई का सामना करने वाले पत्रकारों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक योजना लागू की जा रही है, जो तत्काल आधार पर एकमुश्त अनुग्रह राहत प्रदान करती है। मृतक पत्रकार के परिवारों को या उनके स्थायी विकलांगता के मामले में 5.00 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। पत्रकारों को कैंसर, गुर्दे का काम करना बंद करने, हृदय रोग आदि जैसी गंभीर बीमारियों के मामले में 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है और अस्पताल में भर्ती होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों को पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रोसेस किया जाता है और पत्रकार कल्याण योजना समिति के समक्ष उनके विचार के लिए रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 51 पत्रकारों/परिवारों को 2.12 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

VII. पत्र सूचना कार्यालय द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां

क. भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

पत्र सूचना कार्यालय भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) टीम का हिस्सा था, जिसने गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी)-2023 के आयोजन स्थल पर मीडिया सेंटर में मीडिया मान्यता, सुविधा और प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित कामकाज को सम्भाला। महोत्सव के दौरान

पत्र सूचना कार्यालय द्वारा की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

- **प्री इवेंट** : इवेंट की तैयारियों की समीक्षा करने और संचार नीति पर रणनीति बनाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), गोवा एंटरटेनमेंट सोसायटी (ईएसजी), गोवा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) और पत्र सूचना कार्यालय के साथ पूर्व-कार्यक्रम बैठक आयोजित की गई।
- **मीडिया मान्यता** : महोत्सव को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों के लिए एक पूरी तरह से ऑनलाइन मान्यता प्रणाली लागू की गई और महानिदेशक (पश्चिम क्षेत्र), पत्र सूचना कार्यालय, मुंबई द्वारा कुल 708 मान्यताएं प्रदान की गईं।
- **मीडिया सुविधा** : मीडिया प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए एक पूर्ण इफ्फी मीडिया केंद्र स्थापित किया गया था, साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, वीडियो रूम और आकाशवाणी पणजी के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉर्नर भी स्थापित किया गया था।
- **प्रेस टूर** : पत्र सूचना कार्यालय ने उद्घाटन समारोह और महोत्सव के अन्य पहलुओं को कवर करने में उनकी सुविधा के लिए देश भर के 32 वरिष्ठ फिल्म और मनोरंजन पत्रकारों के साथ एक प्रेस टूर का आयोजन किया।
- **प्रेस कॉन्फ्रेंस** : एनएफडीसी और ईएसजी के साथ निकट समन्वय में काम करते हुए, पत्र सूचना कार्यालय ने इस संस्करण में 31 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में समय पर अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मीडियाकर्मियों के साथ साझा किए गए।
- **सार्वजनिक संचार** : इफ्फी-2023 के लिए अकेले अंग्रेजी में 97 मल्टीमीडिया रिलीज जारी की गई हैं। पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी क्षेत्रीय भाषाओं में रिलीज जारी की हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति, इन्फोग्राफिक्स, X (ट्वीट्स) आदि के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहुंच को अधिकतम करने के लिए विभिन्न भारतीय दूतावासों से भी सम्पर्क किया।
- **मीडिया फीडबैक** : दैनिक मीडिया फीडबैक के माध्यम से, क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों से प्राप्त 1200 से अधिक क्लिपिंग

पत्र सूचना कार्यालय द्वारा साझा की गईं।

ख. जी-20 शिखर सम्मेलन

जी-20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितम्बर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पत्र सूचना कार्यालय ने विदेश मंत्रालय द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त भारतीय पत्रकारों के आवेदनों की जांच की। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा 1306 आवेदनों की जांच हुई, जिनमें से 941 आवेदनों को मान्यता प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई। पत्र सूचना कार्यालय ने विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से सभी स्तरों पर सूचना प्रसारित की।

ग. 77वां स्वतंत्रता दिवस

प्रधानमंत्री के संबोधन को क्षेत्रीय भाषाओं में लिप्यांतरित और अनुवादित किया गया। इसे पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। विशेष ग्राफिक्स बनाए गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। पूर्व प्रचार के लिए प्रोमो वीडियो के अलावा पत्र सूचना कार्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक और यूट्यूब) पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। प्रधानमंत्री के भाषण की वीडियो बाइट्स एवं तस्वीरों के लाइव ट्वीट्स में भी प्रसारित किया गया।

घ. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) और इसके क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों ने नौवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग के बारे में प्रासंगिक जानकारी का व्यापक प्रसार किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य के लिए योग का संदेश देश के हर कोने तक पहुंचे।

पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कई प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं, जिनका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और मुख्यालय तथा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा मीडिया के साथ साझा किया गया, ताकि देश भर में अधिकतम प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

सोशल मीडिया सेल ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 2023 को व्यापक रूप से प्रचारित किया है।

VIII. बजट आवंटन एवं उपयोग

पत्र सूचना कार्यालय के संबंध में स्थापना व्यय और केंद्रीय क्षेत्र

योजना के तहत बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/एफजी 2023-24 में निधियों के आवंटन और 31 मार्च, 2024 तक किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	व्यय की श्रेणी	बजट अनुमान 2023-24	संशोधित अनुमान 2023-24	एफजी 2023-24	व्यय 31.3.2024 तक
1.	स्थापना व्यय (श्रेणी I)	111.46 करोड़	111.05 करोड़	110.16 करोड़	108.07 करोड़
2.	केंद्रीय क्षेत्र योजना (श्रेणी II) उप-योजना: 'विकास संचार और सूचना का प्रसार' योजना के तहत विशेष आयोजनों के लिए मीडिया आउटरीच कार्यक्रम और प्रचार।	10.22 करोड़	13.21 करोड़	13.193 करोड़	12.60 करोड़

IX. वर्ष 2023-24 के दौरान पत्र सूचना कार्यालय में स्वच्छता/स्वच्छता कार्य योजना का कार्यान्वयन

वर्ष 2023-24 के दौरान स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए पत्र सूचना कार्यालय को बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/एफजी 2023-24 में 33.30 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और पत्र सूचना कार्यालय ने आवंटित धनराशि के तहत कुल 32.88 लाख रुपये (98.74%) का उपयोग किया है। इस स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए पत्र सूचना कार्यालय द्वारा विभिन्न गतिविधियां की गईं।

X. पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) में राजभाषा हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग

पत्र सूचना कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथा संशोधित) तथा राजभाषा नियम, 1976 (1987 में यथा संशोधित) के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों सहित राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं अनुदेशों के अनुपालन एवं कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाते हैं। पत्र सूचना कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करती है। समिति की त्रैमासिक बैठकें प्रधान महानिदेशक (एमएंडसी) की

अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा बैठक में हिन्दी प्रशिक्षण, प्रेस विज्ञापितियां, हिन्दी के प्रयोग के संबंध में क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के निरीक्षण आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों का दौरा किया जाता है, ताकि उन्हें राजभाषा नीति और नियमों से अवगत कराया जा सके तथा समय-समय पर कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी रूप में उपलब्ध है।

पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) में 14-29 सितम्बर, 2023 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, अनुवाद, टिप्पण एवं प्रारूपण, सामान्य हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता, एम.टी.एस. के लिए हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी वाचन प्रतियोगिता आदि आयोजित की गईं, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

XI. महिला कल्याण गतिविधियां

कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए पत्र

सूचना कार्यालय (मुख्यालय)/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है, जिसे नियम-3सी के अंतर्गत सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 में शामिल किया गया है।

XII. हिन्दी और उर्दू इकाइयों की गतिविधियां

हिन्दी और उर्दू इकाइयों की मुख्य गतिविधियों में दैनिक प्रेस राउंडअप तैयार करना शामिल है, जिसमें हिन्दी/उर्दू दैनिकों के हेडलाइंस और संपादकीय का अंग्रेजी अनुवाद, प्रेस विज्ञप्तियों, फीचर, पृष्ठभूमि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों का हिन्दी/उर्दू अनुवाद और मैनूअल तथा पुस्तिकाओं आदि का अनुवाद और पुनरीक्षण शामिल है। हिन्दी और उर्दू दोनों इकाइयों ने 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान क्रमशः 15747 और 17089 प्रेस विज्ञप्तियों के साथ-साथ 32663 और 30974 फोटो कैप्शन का अनुवाद किया है।

अनुसंधान इकाई

पत्र सूचना कार्यालय की अनुसंधान इकाई (आरयू) राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक रूप से किए गए शोध के दस्तावेजों की शृंखला का प्रसार करके मीडिया और नागरिकों तक प्रभावी संचार और नागरिकों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। पृष्ठभूमि व्याख्याकार, तथ्यपत्रक और फीचर के रूप में ये दस्तावेज संबंधित विषय क्षेत्र के बारे में क्षेत्र-विशेष और साथ ही समग्र अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन दस्तावेजों को पत्र सूचना कार्यालय के विभिन्न प्रसार चैनलों के माध्यम से मीडिया और नागरिकों के साथ साझा किया जाता है। पिछले वर्ष जिन विषयों पर दस्तावेज तैयार किए गए उनमें महिला सशक्तीकरण, जी-20 शिखर सम्मेलन, किसान कल्याण, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, स्वास्थ्य और युवा कार्यक्रम एवं खेल शामिल हैं।

तैयार किए गए दस्तावेजों की संख्या (1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024) इस प्रकार है :

क्र. सं.	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेजों की संख्या
1	व्याख्याकार	214
2	तथ्यपत्रक	125
3	फीचर	13
4	हिन्दी दस्तावेज	148
	कुल	500

- इकाई ने सक्रिय रूप से 'पीपुल्स जी20' और 'ग्लिमसेज 2023' जैसी ई-बुक्स बनाई हैं, जो भारत की जी20 प्रेसीडेंसी यात्रा को प्रदर्शित करती हैं और विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में 2023 में सरकार की विकासात्मक पहल पर प्रकाश डालती हैं।
- इकाई ने बजट शृंखला, 9 वर्षीय शृंखला, जी20 शृंखला और विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) शृंखला सहित विषय-विशेष शृंखला दस्तावेज भी विकसित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक को विभिन्न सरकारी पहल और आयोजनों में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। वीबीएसवाई शृंखला का लिंक: https://pib.gov.in/VBSY_Explainer.aspx
- इकाई द्वारा राज्य-विशिष्ट दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं, जो विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं।

फोटो प्रभाग

पत्र सूचना कार्यालय के फोटो प्रभाग को भारत सरकार की विभिन्न गतिविधियों के फोटो कवरेज के माध्यम से दृश्य सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। अक्टूबर, 1959 में स्थापित, यह शायद देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पास डिजिटल प्रारूप में संरक्षित लगभग 10.00 लाख निगेटिव/ट्रांसपेरेंसी का समृद्ध भंडार है, जो स्वतंत्रता-पूर्व युग से लेकर आज तक का है।

उत्पादन के आंकड़े : कवर किए गए असाइनमेंट, प्राप्त छवियों, अपलोड किए गए प्रिंट, तैयार किए गए एल्बमों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं	उत्पादन	आंकड़े
1.	कवर किए गए समाचार और फीचर असाइनमेंट	4,664
2.	पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर भेजी गई/अपलोड की गई तस्वीरें	71,243
3.	फोटो डिवीजन की वेबसाइट पर अपलोड की गई तस्वीरें	12,544
4.	इन-हाउस अधिगृहित डिजिटल तस्वीरें	6,95,776
5.	डिजिटल प्रिंट बनाए गए/आपूर्ति की गई	2541
6.	तैयार किए गए वीवीआईपी फोटो एल्बम	11

न्यू मीडिया विंग

सोशल मीडिया नागरिकों के बीच विविध अंतःक्रियाओं का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। अपनी संवादात्मक प्रकृति के कारण, नागरिकों को सूचना प्रदान करने और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनके साथ सरकार के जुड़ाव को विभिन्न

मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल से संबंधित आंकड़े (31 मार्च, 2024 तक) नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	प्लेटफॉर्म	हैंडल	ग्राहक/फॉलोअर्स
1.	X (अंग्रेजी)	@MIB_India	1.92 मिलियन
2.	X (हिन्दी)	@MIB_Hindi	140 हजार
3.	फेसबुक	@inbministry	1.5 मिलियन
4.	इंस्टाग्राम	@MIB_India	417 हजार
5.	यूट्यूब	@inbministry	222 हजार
6.	पब्लिक ऐप	@MIB_India	1.6 मिलियन
7.	व्हाट्सएप	Ministry of I&B, Govt. of India	607.3 हजार
8.	टेलीग्राम	@MIB_India	15.2 हजार

गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

एनएमडब्ल्यू भारत सरकार के कई आयोजनों और कार्यक्रमों के प्रचार और सूचना प्रसार के लिए मंत्रालय के सोशल मीडिया माध्यम का लाभ उठाने में सक्षम रहा है। एनएमडब्ल्यू ने सरकार के विभिन्न सोशल मीडिया अभियानों को बढ़ावा दिया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कुशल बनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) सरकार और आम जनता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करके इन अंतः क्रियाओं को सक्षम बना रहा है। एनएमडब्ल्यू के संचालन के तीन प्राथमिक क्षेत्र हैं :

क. सोशल/डिजिटल मीडिया आउटरीच सामान्य रूप से भारत सरकार और विशेष रूप से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जन-जन तक पहुंच रहा है।

ख. भारत सरकार की नीतियों, निर्णयों, घटनाओं, घोषणाओं आदि के बारे में मीडिया के विचारों और बातचीत का संवाद (SAMVAD) एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से फीडबैक और विश्लेषण।

ग. नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत ('नवीगेट भारत'), एक केंद्रीय संग्रह और एकीकृत पोर्टल है जो भारत सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों आदि पर वीडियो होस्ट करता है।

1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान एनएमडब्ल्यू द्वारा कवर किए गए कुछ प्रमुख अभियान इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	अभियान का नाम	पोस्ट की संख्या	इम्प्रेशन
1.	मेरा पहला वोट देश के लिए	1078	104.1 मिलियन+
2.	किसान कल्याण - अन्नदाता का कल्याण	476	14.2 मिलियन+
3.	नागरिकता संशोधन अधिनियम	58	4.2 मिलियन+
4.	विकसित भारत संकल्प यात्रा	4,120	472 मिलियन+
5.	जी-20 शिखर सम्मेलन	850	191 मिलियन+
6.	54वां भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव	673	59 मिलियन+
7.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	174	42 मिलियन+
8.	सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष	491	117.4 मिलियन+
9.	परीक्षा पे चर्चा 2024	466	98.7 मिलियन+
10.	पद्म पुरस्कार 2024	322	35.2 मिलियन+
11.	अंतरिम बजट 2024-25	266	39 मिलियन+
12.	'मन की बात' पुस्तिका	234	1.1 मिलियन+
13.	मेरी माटी मेरा देश	178	27 मिलियन+
14.	नारी शक्ति वंदन अधिनियम	174	18 मिलियन+

केंद्रीय संचार ब्यूरो

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) जिसे पहले लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, का गठन 2017 में तत्कालीन विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) तथा गीत और नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) के एकीकरण द्वारा किया गया था। सीबीसी का उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/स्वायत्त निकायों को 360 डिग्री संचार समाधान प्रदान करना है। 23 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और 148 फील्ड कार्यालयों (एफओ) के साथ, सीबीसी ग्रामीण और शहरी लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने में लगा हुआ है ताकि विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। यह ब्यूरो द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार, आउटडोर, न्यू मीडिया आदि का उपयोग करके सुनिश्चित किया जाता है।

सीबीसी को भारत सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं के बारे में लोगों के बीच जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने का काम सौंपा गया है।

सीबीसी का विज्ञापन और दृश्य संचार प्रभाग भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी के प्रसार में लगा हुआ है।

सीबीसी का लोक संचार प्रभाग नाटक, नृत्य-नाटक, समग्र-कार्यक्रम, कठपुतली, बैले, ओपेरा, लोक और पारम्परिक गायन तथा अन्य स्थानीय लोक और पारंपरिक रूपों जैसे प्रदर्शन कलाओं की विस्तृत शृंखला का उपयोग करके लाइव मीडिया के माध्यम से पारस्परिक संचार करता है। मुख्य कार्य जागरूकता पैदा करना तथा अपनेपन और स्वामित्व की भावना के साथ भावनात्मक ग्रहणशीलता सुनिश्चित करना है।

फील्ड कम्युनिकेशन डिवीजन जनता के बीच, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्यक्ष और पारस्परिक संचार कार्यक्रम चलाता है। यह एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रमों (आईसीओपी) के रूप में अपने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से ग्राउंट एक्टिवेशन और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है।

सीबीसी ने स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सतत विकास, पोषण, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, मतदाता भागीदारी आदि जैसे कई क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महत्वपूर्ण गतिविधियां

‘मन की बात’ का 100वां एपिसोड

सीबीसी ने 26 अप्रैल, 2023 को विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में भाग लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक संबोधन ‘मन की बात’ के 100वें एपिसोड के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान भवन में आम जनता द्वारा प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले संदेशों को रिकॉर्ड करने के लिए ‘मन की बात’ बूथ की भी व्यवस्था की गई।

30 अप्रैल, 2023 को राज्यों की राजधानियों में स्थित राजभवनों में सीबीसी क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों द्वारा ‘मन की बात’ की विशेष स्क्रीनिंग और मन की बात के 100वें एपिसोड के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी आयोजित की गई।

‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष’ पर अभियान

सीबीसी ने पिछले 9 वर्षों में सरकार की पहल और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। अभियान का विषय था- ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष’, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय प्रकाशनों के माध्यम से पूरे देश में प्रदर्शित किया गया।

सीबीसी ने 27 मई, 2023 को विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में ‘सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष’ विषय पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आयोजित कर भाग लिया। प्रदर्शनी में 9 वर्षों के दौरान सरकार के विभिन्न कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया और सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई।

सीबीसी के क्षेत्रीय और फील्ड आउटरीच कार्यालयों के माध्यम से हिन्दी और अंग्रेजी में पॉकेट बुकलेट, लॉन्ग बुक और डॉक्यूमेंट्स (सरकार की विभिन्न योजनाओं के विवरण वाले 14 फ्लायर्स) मुद्रित किए और पूरे देश में वितरित किए गए। सीबीसी ने 9 साल की उपलब्धियों पर पुस्तिकाओं (बड़ी और छोटी फ्लायर्स) के क्षेत्रीय भाषा के संस्करण भी मुद्रित और वितरित किए।

‘हमारा संकल्प विकसित भारत’ पर आउटरीच अभियान

सीबीसी के फील्ड कार्यालयों (एफओ) और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) ने ‘हमारा संकल्प विकसित भारत’ और भारत सरकार के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों पर एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी), प्रदर्शनियां और फील्ड कार्यक्रम आयोजित किए।

अभियान के दौरान की गई गतिविधियों में शामिल हैं- स्वास्थ्य शिविर, आधार शिविर, पीएम आवास शिविर, उज्ज्वला योजना तहत सिलेंडर और गैस वितरण, डीडी न्यूज/आकाशवाणी/X (पूर्व में ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपलोड/टेलीकास्टिंग/प्रसारण के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर लाभार्थियों की प्रतिक्रियाएं एकत्र करना। इस अभियान का आयोजन लाखों योग्य लाभार्थियों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के पहुंचने के अभियान की सफलता को उजागर करने के लिए किया गया।

आरओ/एफओ ने ‘हमारा संकल्प विकसित भारत’ अभियान के व्यापक प्रचार और सफलता के लिए प्रतिभागियों के बीच कैलेंडर, नोट्स और ब्रोशर, टी-शर्ट, टोपी आदि का वितरण भी किया।



‘अंत्योदय’, ‘नारी शक्ति’ और ‘धरोहर भारत की’ पर प्रिंट मीडिया अभियान

अप्रैल, 2023 के महीने में ‘अंत्योदय’, ‘नारी शक्ति’, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बुनियादी ढांचे पर एक विशेष प्रिंट अभियान चलाया गया। सीबीसी मुख्यालय ने अप्रैल, 2023 के महीने में ‘धरोहर भारत की’ पर प्रिंट अभियान जारी किया।

सरकार की उपलब्धियों पर आउटडोर अभियान

सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए, सीबीसी ने राजस्थान में जुलाई, 2023 एक विशाल आउटडोर अभियान चलाया। 7 राज्यों (पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश) में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सीबीसी ने जुलाई, 2023 के महीने में आउटडोर क्रिएटिव के डिजाइन और सामग्री को अंतिम रूप दिया।

विश्व पर्यावरण दिवस 2023

सीबीसी के क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों ने 5 जून, 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ‘मिशन लाइफ’

जागरूकता अभियान चलाया। इस विषय पर जन-जागरूकता लाने के लिए कुल 46 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम, 8 विशेष आउटरीच कार्यक्रम, 5 फील्ड कार्यक्रम और एक वेबिनार आयोजित किए गए।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023

केंद्रीय संचार ब्यूरो के मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 मनाया और इस अवसर पर एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया। 21 जून, 2023 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए सीबीसी के क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों ने इस विषय पर 117 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी), 6 विशेष कार्यक्रम, 117 योग प्रदर्शन सत्र और 35 फील्ड कार्यक्रम आयोजित किए।

राष्ट्रीय महत्त्व के आयोजनों पर प्रिंट मीडिया अभियान

स्वतंत्रता दिवस: सीबीसी ने 15 अगस्त, 2023 को देश भर के 1800 से अधिक समाचार पत्रों में स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर प्रिंट विज्ञापन जारी किया।

गांधी जयंती: सीबीसी ने डिजाइन और सामग्री को अंतिम रूप दिया और अक्टूबर, 2023 के महीने में देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों में गांधी जयंती के अवसर पर एक प्रिंट मीडिया अभियान जारी किया।

सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती: सीबीसी ने 31 अक्टूबर, 2023 को देश भर में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती (राष्ट्रीय एकता दिवस) के अवसर पर डिजाइन और सामग्री को अंतिम रूप दिया और एक प्रिंट मीडिया अभियान जारी किया।

गणतंत्र दिवस: सीबीसी ने प्रमुख समाचार पत्रों में गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर आधे पृष्ठ का वर्टिकल प्रिंट विज्ञापन जारी किया।

चंद्रयान-3 और जी-20 शिखर सम्मेलन पर अभियान

सीबीसी ने चंद्रयान-3 और जी-20 शिखर सम्मेलन पर डिजाइन और सामग्री को अंतिम रूप दिया और सितम्बर, 2023 में देश भर के 100 से अधिक साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लिए प्रिंट मीडिया अभियान जारी किया।

सीबीसी ने जी-20 सचिवालय के लिए आउटडोर अभियान भी चलाए हैं जिसमें जयपुर, गोवा, वाराणसी, शिलांग, हैदराबाद, धर्मशाला, भुवनेश्वर, लेह, गांधीनगर, गुवाहाटी, कुमारकोम जैसे शहर शामिल हैं।

प्रिंट मीडिया अभियान : सरकारी योजनाओं पर स्ट्रिप विज्ञापन

सीबीसी ने सरकारी योजनाओं के बारे में डिजाइन और सामग्री को अंतिम रूप दिया और 10 सप्ताह तक प्रतिदिन लगभग 350 समाचार पत्रों में स्ट्रिप विज्ञापन जारी किए। भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों/पहल को कवर करते हुए विभिन्न विषयों पर लगभग 150 स्ट्रिप विज्ञापन जारी किए गए।

'विरासत भी, विकास भी' और खाड़ी क्षेत्र को पहले से कहीं अधिक करीब लाने पर प्रिंट मीडिया अभियान

सीबीसी ने 'विरासत भी, विकास भी' और खाड़ी क्षेत्र को पहले से कहीं अधिक करीब लाने के विषय पर साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं में डिजाइन, विषय-वस्तु को अंतिम रूप दिया और दो प्रिंट विज्ञापन जारी किए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रिंट मीडिया अभियान

सीबीसी ने सितम्बर, 2023 के महीने में देश भर के 450 से अधिक प्रमुख समाचार पत्रों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर डिजाइन और विषय-वस्तु को अंतिम रूप दिया और प्रिंट मीडिया अभियान जारी किया।

2024 का कैलेंडर

भारत सरकार के कैलेंडर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण

मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 30 दिसम्बर, 2023 को विमोचन किया। 'हमारा संकल्प विकसित भारत' विषय पर आधारित इस कैलेंडर में सरकार की योजनाओं और पहल की उपलब्धियों को दर्शाया गया है, जिन्होंने एक मजबूत भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हिन्दी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और सभी सरकारी कार्यालयों, पंचायती राज संस्थानों, नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों, जिलों में बीडीओ और डीएम के कार्यालयों में वितरित किया जा रहा है तथा यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों द्वारा खरीद के लिए भी उपलब्ध है।

आईसीसी अभियान

सीबीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने मोबाइल वैन द्वारा भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में प्रचार किया।

भारत सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और देश भर में संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान आरंभ किया गया जिसमें सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया, इसका उद्देश्य वंचितों की सेवा करना और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में संभावित लाभार्थियों को नामांकित करना था।

एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी)

सीबीसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और फील्ड कार्यालयों (एफओ) ने 886 एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी), 57 प्रदर्शनियां, 6 वेबिनार, 80 विशेष आउटरीच कार्यक्रम, 1122 फील्ड कार्यक्रम आयोजित किए तथा स्थानीय भाषाओं में पारस्परिक संचार, लोक परम्पराओं का उपयोग करते हुए संचार और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित की, ताकि लोगों में खासकर ग्रामीण/शहरी झुग्गी-झोपड़ियों वाले क्षेत्रों में जागरूकता पैदा की जा सके।

आजादी का अमृत महोत्सव/सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष; मेरी माटी मेरा देश तथा भारत सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं

केंद्रीय संचार ब्यूरो ने अपने 23 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 148 फील्ड कार्यालयों के साथ एनवाईके, एनएसएस, पंचायतों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों से घनिष्ठ समन्वय कर पूरे देश में 356 एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी), 5 स्वतंत्र प्रदर्शनियां तथा 68 फील्ड कार्यक्रम आयोजित किए।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम)

सितम्बर, 2023 के महीने के दौरान, सीबीसी के सभी 23 क्षेत्रीय कार्यालयों और 148 फील्ड कार्यालयों ने **पोषण अभियान** (राष्ट्रीय पोषण मिशन) पर देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाने का संदेश दिया गया ताकि कम वजन वाले बच्चों, विकास में कमी, कुपोषण और एनीमिया के व्यापकता में कमी के लिए विशिष्ट लक्ष्य हासिल किए जा सकें।

महीने के दौरान, सीबीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों/फील्ड कार्यालयों ने इस विषय पर 58 आईसीओपी, 20 फोटो प्रदर्शनी, 16 फील्ड कार्यक्रम और 93 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को पोषण, अच्छे स्वास्थ्य, एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों, ऊर्जा और पानी के संरक्षण के महत्त्व के बारे में संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से जागरूक किया गया।

मिशन लाइफ

सीबीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों और फील्ड कार्यालयों ने एनवाईके, एनएसएस स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों, जिला खेल प्राधिकरणों, आंगनवाड़ी, पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों, स्कूलों, कॉलेजों तथा राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ पूरे देश में 132 आईसीओपी, 23 विशेष आउटरीच कार्यक्रम (एसओपी) और 15 प्रदर्शनियां आयोजित कीं।

अल्पसंख्यक कल्याण पर कार्यक्रम (पीएम का 15 सूत्री कार्यक्रम)

सीबीसी के सभी 23 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और 148 फील्ड कार्यालयों (एफओ) ने देश भर में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आईसीओपी/प्रदर्शनी/सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि जैसे विशेष फील्ड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए।

इस अवधि के दौरान आरओ और एफओ ने भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों पर 238 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) और 284 फील्ड कार्यक्रम आयोजित किए।

इस अवधि के दौरान सीबीसी के आरओ/एफओ ने सोशल मीडिया जैसे टेलीफोन कॉल, एसएमएस, फेसबुक, X (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए, ताकि भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के बारे में संदेश फैलाया जा सके।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियां

2023-24 की अवधि के दौरान सीबीसी के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत फील्ड कार्यालय जैसे भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रांची, रायपुर, तिरुअनंतपुरम और विजयवाड़ा ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाई ताकि वामपंथी उग्रवाद केंद्रित क्षेत्रों में जनता के बीच भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस अवधि के दौरान आरओ और एफओ ने भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों पर 52 एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम (आईसीओपी) और 85 क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए। सीबीसी के तहत सभी आरओ/एफओ ने भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं पर संदेश फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया।

विवरण निम्नानुसार है:-

टेलीफोन कॉल की कुल संख्या	कुल भेजे गए एसएमएस की संख्या	फेसबुक पोस्ट की कुल संख्या	ट्वीट और रीट्वीट की कुल संख्या (इम्प्रेशन के साथ)	व्हाट्सएप पर प्रसारित पोस्टों/संदेशों/वीडियों की कुल संख्या	इंस्टाग्राम पोस्ट की कुल संख्या	आईसीओपी आयोजन की कुल संख्या	क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजन की कुल संख्या
2206	1189	2557	7699 (84028)	3535	708	52	85

सांख्यिकीय डेटा (अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक की उपलब्धियां)

1.	आईसीओपी की कुल संख्या	1886
2.	विशेष आउटरीच कार्यक्रमों की कुल संख्या	80
3.	प्रदर्शनियों की कुल संख्या	57
4.	अन्य कार्यक्रमों की कुल संख्या	1122
5.	वेबिनार की कुल संख्या	06



भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई)

प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 के अधिनियमन और पुराने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को निरस्त करने के साथ ही भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का नाम बदलकर भारत के प्रेस महापंजीयक - पीआरजीआई कर दिया गया है। नया अधिनियम 1 मार्च, 2024 से प्रभावी हुआ है।

नए अधिनियम में भारत में पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए नई प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं के प्रावधान हैं। तदनुसार, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म - प्रेस सेवा पोर्टल (<https://presssewa.prgi.gov.in/>) विकसित किया गया है। नई वेबसाइट के साथ नए पोर्टल को माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा 22 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया गया। प्रेस सेवा पोर्टल को आवेदकों को पारदर्शिता और वास्तविक समय की स्थिति अपडेट सुनिश्चित करते हुए शीर्षक सत्यापन, पंजीकरण, आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके वार्षिक विवरण दाखिल करने जैसी सेवाओं की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्वचालन और

डिजिटलीकरण परियोजना भी सभी के लिए 'व्यापार करने में आसानी' सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

कार्य

पीआरजीआई का प्राथमिक कार्य पीआरपी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार देश में पत्रिकाओं (प्रिंट) के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्रतिष्ठान के रूप में, यह कार्यालय डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से विनियामक कार्यों को सुव्यवस्थित करने और सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

पीआरजीआई भारत में प्रकाशित पत्रिकाओं (प्रिंट) के विवरण के साथ रिकॉर्डों का एक रजिस्टर रखता है; उपलब्धता और शीर्षक सत्यापन दिशानिर्देशों के आधार पर पत्रिकाओं को शीर्षक आवंटित करता है; उन्हें पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करता है; इन पत्रिकाओं के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है; देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं की स्थिति के विवरण के साथ 'प्रेस इन इंडिया' शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है।

पीआरजीआई के साथ पंजीकृत पत्रिकाओं को अखबारी कागज के आयात के लिए यह स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र भी प्रमाणित करता है। कार्यालय प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों या विशिष्ट शिकायतों और अपीलों के आधार पर पंजीकृत पत्रिकाओं की प्रसार संख्या का सत्यापन भी करता है।

शीर्षक सत्यापन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, पीआरजीआई ने शीर्षकों के सत्यापन के लिए 10,440 आवेदनों की जांच की, जिनमें से 5,405 शीर्षक स्वीकृत किए गए। 31 मार्च, 2024 तक सत्यापित शीर्षकों की संख्या 1,67,939 है।

शीर्षक पर से रोक हटाई गई

वर्ष 2023-24 के दौरान 1,972 शीर्षकों पर से रोक हटा ली गई और इच्छुक आवेदकों को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया गया।

प्रकाशनों का पंजीकरण

31 मार्च, 2024 तक, 1,50,690 पत्रिकाएं पीआरजीआई से पंजीकृत हैं। 2023-24 के दौरान नए और संशोधित पंजीकरण सहित 3,058 पत्रिकाएं पंजीकृत की गईं। इस संबंध में प्रविष्टियां पीआरजीआई के रिकॉर्डों के रजिस्टर में भी की जाती हैं।

वार्षिक विवरण

पीआरपी अधिनियम, 2023 की धारा 12(1) के अनुसार, पंजीकृत पत्रिकाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम दिन या उससे पहले प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2022-23 के लिए 33,945 पत्रिकाओं ने वार्षिक विवरण दाखिल किए।

बंद हो चुकी पत्रिकाएं

पीआरजीआई ने 1,04,403 निष्क्रिय पत्रिकाओं की पहचान की है, जिनके प्रकाशक पिछले 5 वर्षों से लगातार वार्षिक विवरण दाखिल नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकारों में निर्दिष्ट प्राधिकारियों (एसए) को मामले की जांच करने के लिए आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न जिलों के निर्दिष्ट प्राधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर अब तक लगभग 246 प्रकाशनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और 1,480 प्रकाशनों को फिर से सक्रिय किया गया है।

'प्रेस इन इंडिया' रिपोर्ट

प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 की धारा 13 के अनुसार, प्रेस महापंजीयक को हर साल देश में प्रिंट मीडिया क्षेत्र की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट - 'प्रेस इन इंडिया' प्रकाशित करनी होती है। पीआरजीआई प्रकाशकों द्वारा दायर वार्षिक विवरणों के आधार पर प्रिंट मीडिया में रुझानों का

विश्लेषण और संकलन करके 'प्रेस इन इंडिया' प्रकाशित करता है। 2013-14 से, 'प्रेस इन इंडिया' को डिजिटल प्रारूप में भी लाया जा रहा है और यह पीआरजीआई की वेबसाइट <https://prgi.gov.in> पर उपलब्ध है। इस वर्ष, 'प्रेस इन इंडिया' का इसके नए रूप और आकार में माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा 22 फरवरी, 2024 को विमोचन किया गया।

प्रसार सत्यापन

पीआरजीआई प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों या विशिष्ट शिकायतों और अपीलों के आधार पर प्रकाशनों का बिक्री प्रतियों की संख्या का सत्यापन करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति के अनुसार 1 अगस्त, 2020 से 25,000 से अधिक प्रतियां बिकने का दावा करने वाले प्रकाशनों के लिए भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई)/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (एबीसी) के कार्यालय द्वारा प्रसार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। प्रकाशकों की सुविधा के लिए और निर्बाध तथा मानक बिक्री प्रतियों की संख्या का सत्यापन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के तहत 14 अक्टूबर, 2022 को एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी। नए पीआरपी अधिनियम, 2023 और पीआरपी नियम, 2024 के साथ प्रेस महापंजीयक प्रेस सेवा पोर्टल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नवीनतम वार्षिक विवरण में प्रकाशकों द्वारा दी गई जानकारी के डेस्क ऑडिट के माध्यम से आवधिक के प्रसार के आंकड़ों को सत्यापित कर सकते हैं। प्रसार सत्यापन के लिए डेस्क ऑडिट के दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

न्यूजप्रिंट आयात

पीआरजीआई और पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के क्षेत्रीय कार्यालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आयात-निर्यात नीति के अनुसार न्यूजप्रिंट के आयात के उद्देश्य से पीआरजीआई के साथ पंजीकृत पत्रिकाओं के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा को प्रमाणित करते हैं।

संक्षेप में कार्य का परिणाम (अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024)

क्र.सं.	विवरण	कुल संख्या
1.	शीर्षक आवेदन संसाधित	10,440
2.	शीर्षक सत्यापित	5,405
3.	पत्रिकाएं पंजीकृत	3,058
4.	शीर्षक डी-ब्लॉक किए गए	1,972



प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग (डीपीडी), राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करने वाली पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का खजाना है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। यह भारत सरकार के एक प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह के रूप में कार्य कर रहा है जो देश की प्राचीन विरासत को संरक्षित करने और भारत भूमि तथा उसके निवासियों के बारे में गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान भंडार को समृद्ध करता है। देश के गौरवशाली स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी महान

विभूतियों की जीवनियों पर 'आधुनिक भारत के निर्माता' पुस्तकों की दुर्लभ शृंखला है जिसके जरिए प्रकाशन विभाग की पुस्तकों में राष्ट्र के गौरवपूर्ण स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को सुंदर शब्दों में उकेरा गया है। संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति, वनस्पति तथा जीव-जंतुओं से संबद्ध विषयों पर आधारित पुस्तकें प्रकाशन विभाग के प्रकाशित शीर्षकों में से हैं।

प्रकाशन विभाग की जिम्मेदारियों में सबसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषणों को प्रकाशित करके समकालीनों का इतिहास लिखना है। समकालीन विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करना, भारतीय समाज और पाठकों पर ध्यान केंद्रित करना तथा बच्चों के लिए कथात्मक और गैर-कथात्मक साहित्य प्रकाशित करना भी इसके कार्यक्षेत्र में शामिल है।

प्रकाशन विभाग गांधीवादी साहित्य का एक प्रमुख प्रकाशक



प्रकाशन विभाग ने 2 अगस्त, 2023 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हुए दिल्ली पुस्तक मेले के 27वें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया।



भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 26 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में 'मन की बात@100' पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में विशेष पुस्तक 'मेरे प्यारे देशवासियों' का विमोचन किया।

है। इसने गांधीवादी विचारों पर कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें अंग्रेजी में 100 खंडों में महात्मा गांधी संपूर्ण वाङ्मय (सीडब्ल्यूएमजी) शामिल हैं। इस संग्रह को गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से और गांधीवादी विद्वानों की देखरेख में प्रकाशन विभाग ने महात्मा गांधी संपूर्ण वाङ्मय (ई-सीडब्ल्यूएमजी) का ई-संस्करण भी तैयार किया है, जो अच्छी तरह से डिजाइन किए गए सेट के रूप में शोधपरक मास्टर कॉपी है जिसे गांधी हेरिटेज पोर्टल पर भी डाला गया है। प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से एक व्यापक ई-संकलन 'गांधी फॉर डिजिटल एरा' पूरा किया है।

प्रकाशन विभाग चार मासिक पत्रिकाएं- योजना, कुरुक्षेत्र, बाल

भारती और आजकल प्रकाशित करता है। ये पत्रिकाएं समसामयिक मुद्दों जैसे आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बाल साहित्य आदि को कवर करती हैं। इसके अलावा, विभाग द्वारा नौकरियों और करियर के अवसरों पर एक साप्ताहिक समाचार पत्र इम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार अंग्रेजी/हिन्दी, उर्दू में प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाशन विभाग मुख्यालय सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में है और इसका नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और तिरुअनंतपुरम में स्थित अपने बिक्री केंद्रों और बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में बिक्री काउंटरों के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। 'योजना' के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी,



माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 अगस्त, 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चयनित भाषणों पर 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' पुस्तक के दो खंडों का विमोचन किया।

भुवनेश्वर, जालंधर, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम और बेंगलुरु में स्थित हैं।

मुख्य विशेषताएं और उपलब्धियां

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के प्रमुख मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' के 100वें एपिसोड के अवसर पर 'मेरे प्रिय देशवासियों' नामक एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन 26 अप्रैल, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 'मन की बात @100' पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा संपादित यह पुस्तक प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक की 100 से अधिक सफलता की कहानियों

का सचित्र संकलन है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 अगस्त, 2023 को भोपाल में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' नामक पुस्तक के दो खंडों का विमोचन किया। दूसरे और तीसरे खंड में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा क्रमशः जून, 2020 से मई, 2021 और जून, 2021 से मई, 2022 के दौरान दिए गए चयनित भाषणों और संबोधनों को संकलित किया गया है। इन भाषणों में स्टार्टअप इंडिया, सुशासन, महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भर भारत आदि जैसे विषयों की एक विस्तृत शृंखला पर आम नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री का संदेश शामिल है।

प्रकाशन विभाग को वर्ष 2023 के लिए पुस्तक उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए सात पुरस्कार मिले। इन्हें नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स (एफआईपी) द्वारा प्रदान किया गया।

प्रमुख गतिविधियां

पुस्तकों का प्रकाशन

अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक प्रकाशन विभाग ने 224 पुस्तकें प्रकाशित कीं। इनमें से 112 अंग्रेजी में, 81 हिन्दी में और 31 अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हुईं। प्रकाशन विभाग ने प्रधानमंत्री के चयनित भाषणों का दूसरा और तीसरा खंड 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' शीर्षक से प्रकाशित किया। अन्य प्रमुख शीर्षकों में 'इंटरप्रेटिंग जियोमेट्रिक्स फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन- खंड-II', 'करियर कॉलिंग' (युवाओं को अपना करियर बुद्धिमानी से चुनने में मदद करने के लिए),

'कम्प्यूटर की दुनिया', 'योजना क्लासिक्स' (कला, संस्कृति और विरासत), 'इंडिया 2024', 'भारत 2024', '75 ईयर्स 75 फिल्म्स', 'रेसरेकिटिंग दुर्बल इंडियन आर्ट फार्म्स', 'बलिदानी वीरांगनाएं' आदि शामिल हैं।


पत्रिकाओं का प्रकाशन

विभाग कुल 18 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जिनमें अंग्रेजी, हिन्दी और 11 अन्य भारतीय भाषाओं में 'योजना', 'कुरुक्षेत्र' (अंग्रेजी और हिन्दी में), 'आजकल' (हिन्दी और उर्दू में) और 'बाल भारती' हिन्दी में, इसके अलावा अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में साप्ताहिक इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार शामिल हैं। ये पत्रिकाएं अपनी-अपनी विधाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और अलग-अलग अंकों में 'आजादी का अमृत महोत्सव' पर लेख प्रकाशित किया जाता है।



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने 10 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में 'करियर कॉलिंग' पुस्तक का विमोचन किया।

क) योजना (अंग्रेजी, हिन्दी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में)




1957 से प्रकाशित होने वाली 'योजना' आर्थिक विकास के विषय पर समर्पित पत्रिका है। यह 13 भाषाओं में प्रकाशित होती है- अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 'योजना' के विभिन्न अंकों में जी20, टेकेड, केंद्रीय बजट 2023-24, 'समृद्धि के लिए सहयोग', 'सुशासन और सुधार' जैसे विषयों को शामिल किया गया है। योजना ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस', 'आजादी का अमृत महोत्सव' और 'व्यापार करने में आसानी' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अंक निकाले। इस वर्ष, एक विशेष पुस्तक 'योजना क्लासिक्स: आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज' का विमोचन किया गया, जिसे उम्मीदवारों और पाठकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।


ख) कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिन्दी)

1952 से प्रकाशित होने वाला 'कुरुक्षेत्र', प्रकाशन विभाग द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है। यह मासिक पत्रिका ग्रामीण विकास के संदेश को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाती है। अप्रैल-2023 से मार्च-2024 के दौरान 'कुरुक्षेत्र' ने

जल संरक्षण, पोषण, मेक इन इंडिया, स्वच्छ और हरित गांव, ग्रामीण भारत में प्रतिभा, आत्मनिर्भर गांव, ग्रामीण भारत को फिर से परिभाषित करने वाले स्टार्टअप, खाद्य भंडारण अवसंरचना, सतत कृषि विकास और लाभदायक खेती आदि जैसे विशिष्ट विषयों को समाहित किया।



ग) आजकल (हिन्दी और उर्दू)



प्रकाशन विभाग के लगभग अस्सी साल पुराने प्रतिष्ठित साहित्यिक प्रकाशनों- आजकल (हिन्दी- पहली बार 1945 में प्रकाशित) और आजकल (उर्दू- 1941 से स्थापित) को नवम्बर, 2023 से नया रूप दिया गया। साहित्य, कला और संस्कृति को समर्पित दोनों मासिक पत्रिकाएं अब सुविधाजनक आकार में रंगीन प्रकाशित हो रही हैं। इनका पाठकों ने दिल खोलकर स्वागत किया। आजकल (हिन्दी) के अंक साहित्यिक और सांस्कृतिक हस्तियों जैसे रामदरस मिश्र, धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, अमीन सयानी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता वहीदा रहमान और 'रंगमंच : दशा और दिशा' पर केंद्रित रहा। युवाओं में साहित्यिक लेखन को बढ़ावा देने और पढ़ने की अच्छी आदतें विकसित करने के लिए कई नए कॉलम शुरू किए गए।

आजकल (उर्दू) पत्रिका लघुकथा, कविता या गजल के अलावा सुरुचिपूर्ण लेख भी प्रकाशित करती रहती है। 'स्वतंत्रता दिवस' और 'महात्मा गांधी' की थीम पर विशेष अंक निकाले गए। दिसम्बर, 2023 का अंक क्लासिक उर्दू कवि 'मीर तकी मीर' की 300वीं जयंती पर केंद्रित था।

घ) बाल भारती (हिन्दी)



1948 से प्रकाशित होने वाली बच्चों की मासिक पत्रिका 'बाल भारती' ने अपने प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष अंक निकाला। विशेष अंक में सामान्य अंक की तुलना में दोगुने पृष्ठ थे। इस बाल पत्रिका के 75 वर्षों के प्रकाशन से रोचक कहानियां, कविताएं, लेख और कॉमिक स्ट्रिप्स का चयन किया गया। 'बाल भारती' बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के अलावा सूचनात्मक लेख, साक्षात्कार, लघु कथाएं, कविताएं, प्रश्नोत्तरी और सचित्र कहानियों की एक शृंखला के माध्यम से सामाजिक मूल्यों को प्रदान करने में मदद करती है।

ड) इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू)




1976 में आरंभ, इम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख रोजगार-पत्रिका है। यह केंद्र और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों में नौकरियों के लिए सूचना की एकल-खिड़की के रूप में कार्य करता है। यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचनाएं, परीक्षा सूचनाएं

और यूपीएससी, एसएससी और अन्य भर्ती निकायों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम भी प्रकाशित करता है।

इसके अलावा, इम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में एक संपादकीय खंड है जो युवाओं को उनके व्यावसायिक और सॉफ्ट स्किल को उन्नत करने के साथ उनके भविष्य निर्माण और बाजार में उपलब्ध विभिन्न नौकरियों की तैयारी करने में मदद करता है। 'इएन एक्सप्लेन' नामक कॉलम में, विभिन्न सरकारी नीतियों और योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। रोजगार समाचार में 'न्यूज़ डाइजेस्ट' और 'सप्ताह का प्रश्न' भी होता है, जिसमें पाठकों से समसामयिक मुद्दों पर राय मांगी जाती है। इसके ई-संस्करण और प्रिंट संस्करण दोनों को इसकी वेबसाइट www.eneversion.nic.in/membership/login पर जाकर ऑनलाइन सब्सक्राइब किया जा सकता है।

च) इंडिया 2024 / भारत 2024



'इंडिया 2024' और 'भारत 2024', विभिन्न क्षेत्रों में देश की प्रगति से संबंधित व्यापक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है। अंग्रेजी

और हिन्दी में प्रकाशित यह वार्षिक संदर्भ ग्रंथ विकास के सभी पहलुओं - ग्रामीण और शहरी, उद्योग, बुनियादी ढांचा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा और जन संचार आदि से संबंधित है। सामान्य ज्ञान के समसामयिक विषयों, खेल और महत्वपूर्ण घटनाओं पर विस्तृत जानकारी के साथ विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए अवश्य पढ़ने योग्य है।

छ) मन की बात



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फरवरी, 2022 से **मन की बात पुस्तिका** प्रकाशित कर रहा है। हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित इस पुस्तिका में माननीय प्रधानमंत्री के संबोधनों में किए गए विशेष उल्लेखों पर कहानियां और प्रशंसात्मक कथन, मंत्रियों और विशेषज्ञों के साक्षात्कार और लेख तथा मीडिया में आए संबोधनों पर प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। यह परियोजना प्रकाशन विभाग द्वारा केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

इ. बिक्री और विपणन

प्रकाशन विभाग द्वारा अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री और विपणन के लिए सभी उपलब्ध आधुनिक रणनीतियों और डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इनमें अमेज़ॅन किंडल, गूगल बुक्स, भारतकोष पर भारत सरकार का ई-स्टोर, प्रकाशन विभाग के विभिन्न एजेंट और बिक्री आउटलेट, सरकारी संस्थानों/पुस्तकालयों/स्कूलों से बल्क ऑर्डर और विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी जैसे विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

प्रकाशन विभाग का 31 मार्च, 2024 तक कुल बिक्री राजस्व 1937.80 लाख रुपये, जबकि इम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार (प्राप्तियां) का 894.72 लाख रुपये रहा।

ज. ई-कॉमर्स और बिक्री

भारत और दुनिया के डिजिटलीकरण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, प्रकाशन विभाग ने ई-बुक्स की दुनिया में कदम रखा है। वर्तमान में, प्रिंट पुस्तकें भारत सरकार के ई-स्टोर के माध्यम से भारतकोष पोर्टल <https://bharatkosh.gov.in> पर और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in पर ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ई-बुक्स के विपणन और बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (अमेज़ॅन किंडल, गूगल प्ले और गूगल बुक्स) भी लगे हुए हैं। योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती अब इन पोर्टलों पर डीआरएम सुरक्षा के साथ डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रकाशन विभाग की सभी 18 पत्रिकाएं ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

ई-बुक्स की बिक्री विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। आज की तारीख में 916 ई-प्रकाशन शीर्षक अमेज़ॅन किंडल पर और 1137 ई-प्रकाशन गूगल प्ले पर लाइव हैं।

सरकारी संस्थानों/पुस्तकालयों/स्कूलों से थोक ऑर्डर


2023-24 में प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के राज्य परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कार्यालयों से थोक ऑर्डर के कार्य निष्पादित किए। शैक्षिक विभागों के अलावा केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, नेताजी रिसर्च ब्यूरो, हरियाणा पुलिस और अन्य सरकारी संस्थानों से थोक ऑर्डर प्राप्त हुए। इन थोक ऑर्डरों की कुल सकल राशि 31 मार्च, 2024 तक लगभग 10.93 करोड़ रुपये थी।

पुस्तक मेलों/कार्यक्रमों/प्रदर्शनियों में भागीदारी

क) अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना - फ्रैंकफर्ट अंतरराष्ट्रीय

पुस्तक मेला 2023 : डीपीडी ने 18 से 22 अक्टूबर, 2023 तक फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में आयोजित 75वें फ्रैंकफर्ट अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2023 (एफआईबीएफ) में भाग लिया। प्रकाशन विभाग ने कला और संस्कृति, इतिहास, सिनेमा, व्यक्तित्व और जीवनियां, बाल साहित्य, भारत भूमि और निवासी और गांधीवादी साहित्य जैसे विषयों पर पुस्तकों के अपने समृद्ध संग्रह को दुनिया के सबसे प्रशंसित पुस्तक मेले में प्रदर्शित किया।

विभाग ने महात्मा गांधी, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के भाषणों पर अपनी प्रीमियम पुस्तकों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री की 'मन की बात' पुस्तिकाओं के साथ-साथ 'मन की बात' पर कला पुस्तक भी निःशुल्क वितरित की गई और यह जर्मनी में अनिवासी भारतीयों और भारतीय छात्रों के लिए स्टॉल का मुख्य आकर्षण था। प्रकाशन विभाग के स्टॉल के साथ-साथ भारत राष्ट्रीय मंडप का उद्घाटन 18 अक्टूबर, 2023 को भारतीय वाणिज्य दूतावास, फ्रैंकफर्ट के वाणिज्य दूत श्री विनोद कुमार द्वारा किया गया। जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत श्री मो. मुशर्रफ हुसैन



जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत महामहिम श्री मो. मुशर्रफ हुसैन भुइयां को फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला, 2023 में प्रकाशन विभाग की पुस्तकें भेंट की गईं।

भुइयां प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर आने वाले प्रमुख आगंतुकों में से एक थे।

ख) जयपुर साहित्य महोत्सव 2024 : डीपीडी ने 1-5 फरवरी, 2024 को आयोजित जयपुर साहित्य महोत्सव 2024 में भाग लिया। बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित करने वाले एक उल्लेखनीय साहित्यिक महोत्सव में अपने प्रकाशनों को प्रस्तुत करने के अलावा, डीपीडी ने उन लेखकों से संपर्क करने के अवसर का भी सदुपयोग किया, जिनके साथ प्रकाशन विभाग नई पुस्तकें प्रकाशित करने में सहयोग कर सकता है।

ग) दिल्ली पुस्तक मेला 2023 : प्रकाशन विभाग ने 29 जुलाई से 2 अगस्त, 2023 तक प्रगति मैदान में आयोजित 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में भाग लिया। मेले का विषय था 'राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें'। डीपीडी ने आगंतुकों और पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर अपनी पुस्तकों का संग्रह

प्रस्तुत किया। डीपीडी ने भारतीय सिनेमा, कला और संस्कृति, भारतीय इतिहास, प्रतिष्ठित हस्तियों और बाल साहित्य पर अपनी बहुचर्चित पुस्तकों का भी प्रदर्शन किया। प्रकाशन विभाग द्वारा पत्रिकाओं के साथ विशेष रूप से प्रकाशित राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के भाषणों पर पुस्तकें भी प्रदर्शित की गईं। दिल्ली पुस्तक मेला 2023 के समापन दिवस पर, प्रकाशन विभाग ने पुस्तक प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए रजत पुरस्कार प्राप्त किया।

घ) 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव : प्रकाशन विभाग ने 20-28 नवम्बर, 2023 तक गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) में भाग लिया। इस बार प्रकाशन विभाग ने दो स्थानों पर अपने स्टॉल लगाए थे : एक स्टॉल आईनॉक्स में, जहां मीडिया स्टॉल के साथ मुख्य स्क्रीनिंग आयोजित की जा रही थी और एक स्टॉल कैम्पल ग्राउंड में सीबीसी प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में।



भारतीय जन संचार संस्थान



सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना मीडिया और जन संचार के क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के मूल उद्देश्यों के साथ की गई थी। पिछले 58 वर्षों में, संस्थान ने आधुनिक समय में तेजी से विस्तार और बदलते मीडिया उद्योग की विविध और मांग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई विशेष पाठ्यक्रमों का संचालन किया है, जो इसके मूल जनादेश 'सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की सूचना और प्रचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना' के अनुरूप हैं।

आईआईएमसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके पांच क्षेत्रीय परिसर ढेंकनाल (ओडिशा), कोट्टायम (केरल), आइजोल (मिजोरम), जम्मू (जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश) और अमरावती (महाराष्ट्र) में हैं।

वर्ष 2023 में, आईआईएमसी को इंडिया टुडे ग्रुप, आउटलुक-आईकेयर, द वीकेंड और ओपन मैगजीन द्वारा मास कम्युनिकेशन कॉलेजों के क्षेत्र में एक बार फिर नंबर एक संस्थान का दर्जा दिया गया। संस्थान की सोशल मीडिया पर एक जीवंत उपस्थिति है, जिसमें सत्यापित फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज, एक सक्रिय X (पूर्व

में ट्विटर) अकाउंट और एक यूट्यूब चैनल है।

मानद विश्वविद्यालय

भारतीय जन संचार संस्थान को 31 जनवरी, 2024 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशिष्ट श्रेणी के तहत मानद विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

शासी संरचना

भारतीय जन संचार संस्थान को 50 सदस्यीय सोसायटी द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसका गठन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा द्विवार्षिक अवधि के लिए किया जाता है। वर्तमान में, प्रख्यात पत्रकार श्री आर. जगन्नाथन आईआईएमसी सोसायटी के अध्यक्ष हैं। सोसायटी के सदस्यों को सामाजिक सेवा संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि में से चुना जाता है। सोसायटी के मामलों का प्रशासन कार्यकारी परिषद् के पास होता है।

संचालित गतिविधियां

पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम

भारतीय जन संचार संस्थान प्रिंट पत्रकारिता (अंग्रेजी, हिन्दी, ओडिया, उर्दू, मराठी और मलयालम) रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क तथा डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं 14 सितम्बर, 2023 को शुरू हो गई हैं।

2021-22 और 2023-24 के विभिन्न पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए भारतीय जन संचार संस्थान का 55वां दीक्षांत समारोह 10 जनवरी, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 923 छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए और 65 छात्रों को विभिन्न पुरस्कार मिले। 55वें दीक्षांत समारोह में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि थे। भारतीय जन संचार संस्थान के अध्यक्ष श्री आर. जगन्नाथन सम्मानीय अतिथि थे।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए इस संस्थान के सभी पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा में कुल 8,006 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) द्वारा 10 जून, 2023 को 269 शहरों में 570 केंद्रों पर ऑनलाइन कम्प्यूटर



10 जनवरी, 2024 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के 55वें दीक्षांत समारोह में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करते छात्र, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की गई थी। काउंसलिंग के बाद 494 अभ्यर्थियों ने इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया।

आईआईएमसी ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के सभी पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए 12 और 13 सितम्बर, 2023 को ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2023-24 का आयोजन किया। विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणियों और बुद्धिजीवियों द्वारा ओरिएंटेशन व्याख्यान दिए गए।

भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण

आईआईएमसी भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के प्रशिक्षण अकादमी के रूप में कार्य कर रहा है, जो भारत सरकार की केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है। यह आईआईएस ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रदान करता है, जिन्हें यूपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है। यह आईआईएस ग्रुप 'बी' अधिकारियों के लिए फाउंडेशन ट्रेनिंग भी आयोजित करता है, जिन्हें पूर्व पत्रकारिता अनुभव के आधार पर भर्ती किया जाता है।

व्यापक परामर्श के माध्यम से, आईआईएस अधिकारियों जो सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है। साथ ही सरकार

के कामकाज और इसकी संचार व्यवस्था का अवलोकन करने के लिए व्यापक आधार दिया गया है ताकि अधिकारियों को भारत में मीडिया उद्योग की व्यापकता से परिचित कराया जा सके और वे सार्वजनिक संचार की बारीकियों को समझ सकें।

आईआईएस ग्रुप 'ए' के लिए दो साल के इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में सैंडविच ट्रेनिंग मॉडल का अनुसरण किया जाता है। प्रशिक्षु अधिकारी (ओटी), जो अपने फाउंडेशन कोर्स को पूरा करने के बाद आईआईएमसी में शामिल होते हैं, संस्थान में सार्वजनिक संचार में साढ़े नौ महीने के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस चरण में कक्षा व्याख्यान, प्रैक्टिकल, सिमुलेशन अभ्यास, साइट का दौरा, विभिन्न अटैचमेंट्स और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और प्रमुख मीडिया पेशवरों के साथ वार्ता शामिल है।

आईआईएमसी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रशिक्षु अधिकारियों को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के माध्यम से नौकरी का व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया निदेशालयों के साथ जोड़ा जाता है। ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षु अधिकारी आम तौर पर मंत्रालय के प्रमुख मीडिया निदेशालयों जैसे पत्र सूचना कार्यालय, सीबीसी और प्रसार भारती में तीन-तीन महीने



भारतीय सूचना सेवा ग्रुप 'ए' के अधिकारी/प्रशिक्षु अधिकारी (2018-2022 बैच) भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करते हुए।

बिताते हैं। इसमें एक महीने का क्षेत्रीय अटैचमेंट भी शामिल है। अंत में, प्रशिक्षु अधिकारी एक महीने के चरण-II प्रशिक्षण के लिए आईआईएमसी में वापस आते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, 2020, 2021 और 2022 बैचों के 15 आईआईएस ग्रुप 'ए' प्रशिक्षु अधिकारियों ने इंडक्शन ट्रेनिंग का अपना चरण-I पूरा कर लिया है और वर्तमान में वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में अपना ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, महत्वपूर्ण गतिविधि थी- असम राइफल्स के साथ रक्षा अटैचमेंट जैसे बाहरी कार्य और तीन सप्ताह का अखिल भारतीय अध्ययन दौरा जिसे भारत दर्शन भी कहा जाता है, जिसमें प्रशिक्षु अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदराज के स्थानों का दौरा किया, सामाजिक संगठनों के सहयोग से स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत की। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) में प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए फिल्म एप्रिसिएशन और स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग में चार सप्ताह का कोर्स भी आयोजित किया गया था। प्रशिक्षु अधिकारियों ने भारत की माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त आदि जैसे विभिन्न संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात की।

इस बीच, 2021 और 2022 बैच के 9 प्रशिक्षु अधिकारियों ने नवम्बर, 2023 और मार्च, 2024 के महीने में अपना चरण-II प्रशिक्षण पूरा कर लिया। इंडक्शन ट्रेनिंग के सफल समापन के बाद इन प्रशिक्षु अधिकारियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उनकी पहली नियमित पोस्टिंग के लिए भेज दिया गया।

दिसम्बर, 2023 में, आईआईएमसी को प्रशिक्षण संस्थान के रूप में क्षमता निर्माण आयोग के राष्ट्रीय मानकों के तहत शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी) द्वारा किए गए मूल्यांकन में 'उत्तम' मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

आईआईएमसी ने आईआईएस ग्रुप 'बी' के परिवीक्षार्थियों के सीनियर ग्रेड और जूनियर ग्रेड के लिए क्रमशः 4 दिसम्बर से 8 दिसम्बर, 2023 और 29 जनवरी से 2 फरवरी, 2024 तक दो ओरिएंटेशन कोर्स आयोजित किए।

फरवरी, 2024 में, 2023 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों के नए बैच के साथ-साथ पिछले 2022 बैच के 3 ओटी ने आईआईएमसी में अपना इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू किया।



भारतीय सूचना सेवा के ग्रुप 'ए' के एसएजी स्तर के अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स।

मार्च, 2024 में, आईआईएमसी ने विभिन्न वरिष्ठता स्तरों पर आईआईएस ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए तीन रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एसएजी) और उससे ऊपर के स्तर के 18 अधिकारी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (जेएजी) स्तर के 19 अधिकारी और सीनियर टाइम स्केल (एसटीएस)/ जेएजी स्तर के 15 अधिकारियों ने रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न करियर स्तरों पर अधिकारियों की कार्यात्मक दक्षताओं और कौशल को उन्नत करना है, जिससे वे सरकारी संचार, सार्वजनिक नीति और विकास में उभरती चुनौतियों और अवसरों का सामना करने में सक्षम हो सकें।

वर्ष 2023-24 के दौरान लघु पाठ्यक्रम भौतिक लक्ष्य

संस्थान ने आईडीएस (रक्षा मंत्रालय), डीपीआर (रक्षा मंत्रालय), जम्मू और कश्मीर सरकार, भारतीय तटरक्षक, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इसरो, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र और असम राइफल के जनसंपर्क अधिकारियों के लिए मीडिया संचार पर

15 (एक, दो और तीन सप्ताह की अवधि) लघु-अवधि पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

संकाय विकास

आईआईएमसी द्वारा 31 जनवरी, 2024 को अपने संकाय के लिए मीडिया और शिक्षाविदों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।


संचार अनुसंधान

संचार अनुसंधान विभाग, संस्थान के अनुसंधान एजेंडे के एक अभिन्न अंग के रूप में संचार और मीडिया के व्यवस्थित अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। विभाग के प्रयास प्रमुख विकास मुद्दों पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार की मास-मीडिया नीतियों और संचार कार्यक्रमों का विश्लेषण करने की दिशा में निर्देशित हैं। विभाग ने पिछले 58 वर्षों में विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक शोध अध्ययनों के साथ संचार में अनुसंधान के लिए एक मानक स्थापित किया है।

पत्रिकाओं, समाचार पत्रिकाओं और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संचार

आईआईएमसी का प्रकाशन अनुभाग सहकर्मी-समीक्षित दो शोध पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जिनके नाम हैं 'कम्युनिकेटर' (अंग्रेजी त्रैमासिक) और 'संचार माध्यम' (हिन्दी छमाही), जो भारत में प्रकाशित होने वाली सबसे पुरानी संचार पत्रिकाएं हैं। ये प्रमुख पत्रिकाएं यूजीसी-सीएआरई से सूचीबद्ध पत्रिकाएं हैं।

आईआईएमसी का प्रकाशन अनुभाग जुलाई, 2021 से 'आईआईएमसी समाचार' भी प्रकाशित कर रहा है, जिसमें आईआईएमसी मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय परिसरों में की जाने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी शामिल है। समकालीन मीडिया मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाला 'संचार सृजन' (द्विभाषी) और राजभाषा को समर्पित 'राजभाषा विमर्श' (हिन्दी) भी विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है।



पत्रकारिता और जन संचार के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए, आईआईएमसी ने हिन्दी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में 'पाठ्य पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम' शुरू किया है।

पंडित युगल किशोर शुक्ल पुस्तकालय एवं ज्ञान संसाधन केंद्र

संस्थान में देश का जन संचार के क्षेत्र में सबसे बड़ा विशिष्ट पुस्तकालय है। इसमें जन संचार और संबद्ध विषयों जैसे प्रिंट मीडिया, प्रसारण, विज्ञापन, संचार, संचार अनुसंधान, जनसंपर्क, रेडियो और टेलीविजन, फिल्म, सूचना प्रौद्योगिकी और पारंपरिक मीडिया के विभिन्न आयामों से संबंधित हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में लगभग 39,479 पुस्तकों और सजिल्द पत्रिकाओं का संकलन है। पुस्तकालय में अंग्रेजी और हिन्दी साहित्य पर पुस्तकों का गुणवत्तापूर्ण संग्रह भी है।

पुस्तकालय पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है और इसने लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्लाउड पर लिबसेस 10 (LIBSYS 10) के नवीनतम संस्करण के माध्यम से अपने सेवा संचालन को स्वचालित कर दिया है। छात्रों, संकाय सदस्यों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपीएसी) उपलब्ध है।

पुस्तकालय ने छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधार्थियों के लिए एक अत्याधुनिक मल्टीमीडिया, संदर्भ और शोध अनुभाग भी विकसित किया है।

अपना रेडियो 96.9 एफएम

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो 96.9 एफएम वर्ष 2005 में शुरू किया गया था और तब से यह वर्ष 2023-24 के दौरान समुदाय के लिए शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान करने की अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है।

अपना रेडियो प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होता है। इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम और 'अपने आस-पास' नामक एक घंटे का दैनिक लाइव शो शामिल है। इस शो में ऐसे विषय शामिल हैं जो वर्तमान प्रकृति के हैं और समुदाय के लिए रुचिकर हैं। 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस', 'जीवन को कहें हां, नशे को कहें न', 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह', 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', 'पोषण पखवाड़ा', 'विकसित भारत', 'संकल्प यात्रा', 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस', 'खादी महोत्सव' और 'विश्व गौरैया दिवस' जैसी पहल से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं पर विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए।



क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से जुलाई, 2023 और फरवरी, 2024 में उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के सामुदायिक



सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 13 फरवरी, 2024 को अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण क्षेत्र सामुदायिक रेडियो सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

रेडियो सम्मेलनों के लिए दो क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन आयोजित किए गए।

जुलाई, 2023 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से सामुदायिक रेडियो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 - 8वें और 9वें संस्करण का आयोजन किया गया।



भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसे वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, अर्थात् प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के तहत पुनः स्थापित किया गया था, जिसका दोहरा-उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और भारत में

समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है।

परिषद्, संसद द्वारा उचित विनियोग के बाद, केंद्र सरकार से सहायता-अनुदान के रूप में अपने कोष का एक हिस्सा प्राप्त करती है, साथ ही इसके पास समाचार पत्रों से एक श्रेणीबद्ध संरचना और अन्य प्राप्तियों पर एकत्रित शुल्क के माध्यम से अपने स्वयं के कोष भी हैं।

वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए परिषद् के पास कुल स्वीकृत बजट 18.21 करोड़ रुपये और जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक 6.795 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए।

परिषद् के समक्ष शिकायतें

1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक परिषद् में कुल 1308 शिकायतें दर्ज की गईं और 998 मामलों का निपटारा किया गया जिन्हें या तो पक्षों के बीच समझौता होने पर अध्यक्ष



भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, पीसीआई की अध्यक्ष श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत तथा पीसीआई के सचिव नंगसंग्लेम्बा आओ 16 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर स्मारिका का विमोचन करते हुए।

द्वारा निपटान संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी के जरिए या जांच करने या गैर-अनुपालन के लिए पर्याप्त आधारों की कमी के कारण, मामला वापिस लेने या न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण 178 मामलों को न्यायनिर्णयन के माध्यम से निपटाया गया।

स्वतः संज्ञान

परिषद् ने 12 मामलों में मीडियाकर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया। परिषद् ने पत्रकारिता, नैतिकता और सार्वजनिक रुचि के मानकों का उल्लंघन करने के लिए समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के खिलाफ 28 मामलों में भी स्वतः संज्ञान लिया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2023

राष्ट्रीय प्रेस दिवस देश में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के प्रतीक के रूप में प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को मनाया जाता है। इस वर्ष, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस) के युग में मीडिया' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह का उद्घाटन किया। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री तथा डॉ. एल. मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री मुख्य अतिथि थे। भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने मुख्य भाषण दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय प्रेस परिषद् की अध्यक्ष श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की। इस अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा एक स्मारिका का विमोचन किया गया।

भारतीय प्रेस परिषद् तथा श्रीलंका प्रेस परिषद् के बीच विचारों का आदान-प्रदान, 2023 तथा समझौता ज्ञापन (एमओयू) का नवीनीकरण

भारतीय प्रेस परिषद् तथा श्रीलंका प्रेस परिषद् के बीच 17 नवम्बर, 2023 को 'कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के युग में मीडिया' विषय पर विचारों का आदान-प्रदान भारतीय प्रेस



कार्यक्रम एक्सचेंज ऑफ वूज 2023 की एक झलक

परिषद् में हुआ। इसी दिन पत्रकारिता में सहयोग के लिए भारतीय प्रेस परिषद् और श्रीलंका प्रेस परिषद् के बीच समझौता ज्ञापन को भी पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया।

उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का वितरण

उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2012 से हर

साल प्रदान किए जा रहे हैं, हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण, वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। भारतीय प्रेस परिषद् की माननीय अध्यक्ष ने 28 फरवरी, 2023 को 10 श्रेणियों में उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 प्रदान किए।



भारतीय प्रेस परिषद् की अध्यक्ष श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई 28 फरवरी, 2023 को 'उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020' के विजेताओं के साथ।

डिजिटल मीडिया प्रभाग

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इंटरमीडियरी से संबंधित नियमों का भाग-II को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(एमईआईटीवाई) द्वारा प्रशासित किया जाता है। डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाओं के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों से संबंधित नियमों का भाग-III, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक घटनाओं के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान करता है। नियमों की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं:

- i. डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता
- ii. तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र निम्नानुसार है:
 - क) स्तर-1- प्रकाशक
 - ख) स्तर-II- प्रकाशकों का स्व-नियामक निकाय, और
 - ग) स्तर-III- केंद्र सरकार का निरीक्षण तंत्र जिसमें अंतर विभागीय समिति शामिल है
- iii. प्रकाशकों द्वारा सरकार को सूचना प्रदान करना।

समाचार और समसामयिक घटनाओं के प्रकाशकों के लिए लागू आचार संहिता के अनुसार (i) भारतीय प्रेस परिषद् के पत्रकारिता आचरण के मानदंड (ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता और (iii) ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत निषिद्ध है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता के तहत :

- (i) ऐसी किसी सामग्री को प्रसारित, प्रकाशित या प्रदर्शित न किया जाए जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत निषिद्ध है या

किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है;

- (ii) अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करने के लिए सामग्री तय करने में भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कारकों को ध्यान में रखना;
- (iii) नियमों में निर्धारित इस उद्देश्य के लिए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सामग्री को पांच आयु-आधारित श्रेणियों में स्व-वर्गीकृत करना;
- (iv) उपयोगकर्ता को सामग्री की प्रकृति के बारे में सूचित करने वाले सामग्री विवरणक के साथ इस तरह के वर्गीकरण को प्रदर्शित करना, और प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शक को विवेक की सलाह देना ताकि उपयोगकर्ता कार्यक्रम देखने से पहले एक सूचित निर्णय ले सके;
- (v) उचित अभिगम नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से किसी बच्चे द्वारा उच्च आयु वर्गीकरण वाली सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए सभी प्रयास करना; और
- (vi) उपयुक्त अभिगम सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से दिव्यांगजनों को इसके द्वारा प्रेषित ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री की पहुंच में सुधार करने के लिए उचित प्रयास करना।

25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की अधिसूचना के बाद नियमों के कार्यान्वयन की दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई/घटनाक्रम हुए हैं:

- i) आज तक, 69 ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित 3,637 प्रकाशकों ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियमों के तहत मंत्रालय को आवश्यक जानकारी प्रदान की है:

ओटीटी प्लेटफॉर्म:	69
डिजिटल समाचार प्रकाशक (स्टैंडअलोन):	2,891
समाचार पत्रों की डिजिटल शाखाएं:	582
टीवी चैनलों की डिजिटल शाखाएं:	95
कुल:	3,637

- ii) मंत्रालय ने ग्यारह स्व-नियामक निकाय (एसआरबी) पंजीकृत किए हैं, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र के स्तर II के रूप में कार्य करते हैं:

डिजिटल समाचार

1. भारतीय डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद् (ऑनलाइन मीडिया परिसंघ)
2. वेब पत्रकार मानक प्राधिकरण (वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया)
3. व्यावसायिक समाचार प्रसारण प्राधिकरण (एनबीए)
4. मीडिया डिजिटल मीडिया फेडरेशन (एमडीएमएफ)
5. डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन
6. वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल
7. डिजिटल मीडिया प्रकाशक और भारतीय समाचार पोर्टल शिकायत परिषद् का पंजीकरण
8. प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन (पीएडीएमए)
9. पत्रकार और मीडिया एसोसिएशन शिकायत परिषद् (जेएमएजीसी)

ओटीटी प्लेटफॉर्म

1. डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद् (आईएमएआई)
2. डिजिटल मीडिया सामग्री विनियामक परिषद् (डीएमसीआरसी)

मंत्रालय द्वारा प्राप्त शिकायतों को नियमों के तहत उनके निवारण के लिए प्रकाशकों को भेजा जा रहा है। डिजिटल समाचार प्रकाशकों से संबंधित 196 शिकायतें/परिवेदनाएं और ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबंधित 104 शिकायतें/परिवेदनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सीधे या लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुईं, जिनका या तो सीधे उत्तर दिया गया है या नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित प्रकाशकों को भेज दिया गया है।

नियमों के तहत अंतर विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया है, जिसमें महिला एवं बाल विकास, कानून एवं

न्याय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि और पीसीआई, सीआईआई और फिक्की के डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं। मंत्रालय में संयुक्त सचिव को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है जो आईडीसी की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

69ए सामग्री पर रोक लगाने के निर्देश: सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए “भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या प्रभावी प्रक्रियात्मक, कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के साथ उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कृत्य को रोकने के लिए” के तहत संदर्भित सामग्री को डिजिटल मीडिया पर देने पर सामग्री को अवरुद्ध करने का प्रावधान है। दिसम्बर, 2021 से मंत्रालय ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए में संदर्भित सामग्री फैलाने वाले सौ से अधिक ऐसे अकाउंट और चैनलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम के प्रथम दृष्टया उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर विभिन्न मध्यस्थों के साथ समन्वय में कार्रवाई की है, और अश्लील और कुछ मामलों में पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है।

मंत्रालय और अमेज़न इंडिया के बीच 6 अप्रैल, 2023 को एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध-पत्र में मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और भारत में अमेज़न के व्यावसायिक क्षेत्रों में जुड़ाव के कई क्षेत्र शामिल थे। अनुबंध-पत्र के दायरे में कई कार्रवाइयां चल रही हैं, उदाहरण के लिए एफटीआईआई/एसआरएफटीआई में मास्टरक्लास, इफ्फी में अमेज़न प्राइम वीडियो की भागीदारी आदि।

आईआईएस प्रभाग

मंत्रालय ने 17 मई, 2023 को मंत्रालय के साथ-साथ इसकी मीडिया इकाइयों के अधिकारियों को शामिल करते हुए 'चिंतन शिविर' का आयोजन किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के प्रमुखों और देश भर में भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकारी संचार से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 'चिंतन शिविर' में

भाग लिया। शिविर के दौरान, सरकारी संचार से संबंधित पांच विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, अर्थात् (i) नागरिकों के साथ भागीदारीपूर्ण संचार-जनभागीदारी, (ii) सार्वजनिक संचार में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाकर अधिकतम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना, (iii) गलत सूचना को दूर करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र का संस्थागतकरण, (iv) क्षेत्रीय संचार के माध्यम से लक्षित आउटरीच, और (v) सार्वजनिक सेवा प्रसारण को मजबूत करना।





15 सितम्बर, 2023 को नई दिल्ली में दूरदर्शन के 64वें स्थापना दिवस समारोह की झलक।

अवलोकन

प्रसारण क्षेत्र को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् 'कंटेंट' और 'कैरिज सेवाएं'। मंत्रालय केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी नीति दिशानिर्देशों के माध्यम से निजी उपग्रह चैनलों के कंटेंट और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों तथा स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को नियंत्रित करता है। ब्रॉडकास्टिंग कैरिज सेवाओं में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)/लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ), डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटर, हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स-एचआईटीएस) ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता शामिल हैं। यह मंत्रालय डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को उनके संबंधित कार्यों के लिए लाइसेंस/अनुमति देता है।

बीपी एंड एल अनुभाग के संबंध में प्रसारण क्षेत्र के तहत गतिविधियां और मंत्रालय की भूमिका तथा कार्य

1. डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच)

डीटीएच एक एड्सेबल सैटेलाइट बेस्ड टी.वी. प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो पूरे देश को कवर करता है। डीटीएच सेवाओं में एक बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनल केयू बैंड में उपग्रहों से डिजिटली कम्प्रेस्ड, इनक्रिप्टेड और बीम्ड होते हैं। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों को भवनों में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे डिश एंटेना स्थापित करके सीधे घरों में देखा किया जा सकता है। पहले डीटीएच सेवा प्रदाता ने वर्ष 2003 में अपनी सेवाओं का संचालन शुरू और निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं की संख्या वर्ष 2007 तक बढ़कर छह हो गई। चूंकि छह निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं में से दो डीटीएच सेवा प्रदाताओं का वर्तमान में एक में विलय हो गया, तथा एक पर कॉरपोरेट दिवालियापन कार्यवाही के कारण निजी डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या घटकर चार हो गई।

इसके अलावा, दूरदर्शन भी अपनी डीटीएच सेवाएं फ्री टू एयर आधार पर प्रदान कर रहा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 16 सितम्बर, 2022 के आदेश के तहत भारत में डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान, प्लेटफॉर्म सर्विस चैनल और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8 प्रतिशत पर लिया जाएगा {जहां एजीआर = सकल राजस्व (जीआर) - जीएसटी} और तिमाही आधार पर देय होगा। न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्रवेश शुल्क का 10 प्रतिशत होगा। डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में, इन दिशानिर्देशों में डीटीएच ऑपरेटरों के बीच बुनियादी ढांचे की साझेदारी के प्रावधान जोड़े गए हैं। प्लेटफॉर्म सर्विस चैनलों के संबंध में, परिचालन संबंधी दिशानिर्देश डीटीएच ऑपरेटर को प्लेटफॉर्म सर्विसेज (पीएस) चैनल संचालित करने की अनुमति देते हैं, जो डीटीएच ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म की कुल चैनल वहन क्षमता का अधिकतम 5 प्रतिशत है और डीटीएच ऑपरेटरों को एक बार गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क के लिए 10,000 रुपये प्रति पीएस चैनल का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सभी डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा लाइसेंस शुल्क के रूप में भारतकोष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 691,96,06,069/- रुपये जमा किए गए हैं।

2. हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स)

हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स-एचआईटीएस) सेवा; उपग्रह और केबल टीवी का मिश्रण है। हिट्स ऑपरेटर टी.वी. प्रसारण को एक उपग्रह से अपलिंक करता है, जो एमएसओ/एलसीओ द्वारा

डाउनलिक किया जाता है और एक केबल नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तिगत उपभोक्ता के परिसर में वितरित किया जाता है। इस प्रकार हिट्स ऑपरेटर ग्राहकों को केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से सिग्नल की आपूर्ति करते हैं। हिट्स ऑपरेटर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) के बीच आवश्यक अंतर यह है कि हिट्स, उपग्रह का उपयोग करके कई चैनलों को केबल ऑपरेटरों तक पहुंचाता है, जबकि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर केबल के माध्यम से ऐसा करता है। हिट्स ग्राहकों को किफ़ायती मूल्य पर डिजिटल चैनलों के व्यापक विकल्प, बेहतर पिक्चर क्वालिटी और मूल्यवर्द्धित सेवाओं का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। केवल एक हिट्स ऑपरेटर हैं, जिसे मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 6 नवम्बर, 2020 के आदेश के माध्यम से 'भारत में मौजूदा हेडएंड-इन-द-स्काई प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों' में संशोधन किया है। ये संशोधन हिट्स ऑपरेटर को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/ हिट्स ऑपरेटर के साथ हिट्स इंफ़्रास्ट्रक्चर साझा करने की अनुमति देते हैं।

3. इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी)

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न (आईपीटीवी) सेवा इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग द्वारा केबल ऑपरेटरों के अलावा पात्र दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने नेटवर्क पर अनुमत उपग्रह टीवी चैनलों के वितरण का एक अन्य तरीका है। आईपीटीवी प्रदाताओं को परिभाषित दूरसंचार और केबल ऑपरेटरों के लिए आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें एक स्व-घोषणा करनी होती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 12 आईपीटीवी प्रदाताओं ने आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्व-घोषणा प्रस्तुत की।

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007

खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझाकरण) अधिनियम, 2007 को भारत या विदेश में आयोजित

राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को सबसे अधिक संख्या में श्रोताओं और दर्शकों तक मुफ्त में पहुंचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 2(1)(एस) केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कवरेज के लिए राष्ट्रीय महत्त्व के खेल आयोजनों को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। यह मंत्रालय समय-समय पर राष्ट्रीय महत्त्व के खेल आयोजनों/ कार्यक्रमों को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी करता है, ताकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को श्रोताओं और दर्शकों की अधिकतम संख्या तक फ्री-टू-एयर के आधार पर पहुंचाया जा सके।

प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत नई प्रमुख गतिविधियां

केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 2005 (1995 का 7) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय ने दिनांक 19 जनवरी, 2024 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 283 के माध्यम से अनिवार्य चैनल 'डीडी पोधिगई' का नाम बदलकर डीडी तमिल कर दिया है।

भारत में निजी उपग्रह टीवी चैनल


भारत में पहले निजी उपग्रह टीवी चैनल को 2000 में भारतीय भू-भाग से अपलिक करने की अनुमति दी गई थी। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वृद्धि के साथ, भारत से टीवी चैनलों की अपलिकिंग/डाउनलिकिंग की मांग कई गुना बढ़ गई, जिसके कारण 2002 में अपलिकिंग और 2005 में डाउनलिकिंग के लिए नीति दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक हो गया। इन दिशानिर्देशों को दिसम्बर, 2011 में संशोधित किया गया और नवीनतम को नवम्बर, 2022 में संशोधित किया गया। ये दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट यानी www.mib.gov.in पर उपलब्ध हैं।

टेलीविज़न चैनलों का विकास

पहले निजी उपग्रह टीवी चैनल 'आजतक' को वर्ष 2000 में अनुमति दी गई थी। तब से भारत में निजी उपग्रह टीवी चैनलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2024 तक भारत में 912 चैनलों को अनुमति दी गई।

मंत्रालय द्वारा अनुमत टेलीविजन चैनलों की संख्या


2001 से अनुमत चैनलों की संख्या



मंत्रालय द्वारा केवल दो श्रेणियों के टीवी चैनलों को संचालित करने की अनुमति दी गई है, अर्थात् 'समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों वाले टीवी चैनल' और 'गैर-समाचार और समसामयिक घटनाक्रमों वाले टीवी चैनल'। उपरोक्त कुल चैनलों में से, समाचार और गैर-समाचार चैनलों की हिस्सेदारी क्रमशः 396 और 516 हैं।

श्रेणीवार अनुमत चैनल

अनुमत टीवी चैनल-समाचार बनाम गैर-समाचार



ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल

ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल की शुरुआत मंत्रालय द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अंतर्गत प्रसारण विंग योजना के स्वचालन के तहत वर्ष 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रसारण लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण आदि के लिए आवेदनों के त्वरित

प्रोसेसिंग के लिए एक कम्प्यूटरीकृत वेब आधारित प्रणाली स्थापित करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल समाधान विकसित करना था। इस योजना का उद्देश्य आवेदकों को 'व्यापार करने में आसानी' के लिए एकल बिंदु सुविधा प्रदान करना था। पोर्टल के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं शामिल की गई थीं: निजी उपग्रह टीवी चैनल, टेलीपोर्ट ऑपरेटर, मल्टी-सर्विस ऑपरेटर (केबल ऑपरेटर), सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) और निजी एफएम चैनल।

ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल को मंत्रालय द्वारा और अधिक सुविधाएं शामिल करने तथा प्रसारकों द्वारा ऐसे आवेदनों के प्रोसेसिंग में शामिल एजेंसियों के साथ सहज इंटरफ़ेस की अनुमति देने और मंत्रालय में ऐसे आवेदनों के कुशल प्रोसेसिंग को नया रूप दिया गया है। व्यापार करने में आसानी के लिए ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल को गृह मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, दूरसंचार विभाग आदि जैसे अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ एकीकृत किया गया है। पोर्टल को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल और दूरसंचार विभाग के सरल संचार पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है। सभी मॉड्यूल की सेवाओं की कम-से-कम अवधि के भीतर प्रक्रिया सुनिश्चित करने और बदले में प्रसारकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए उन्नत आईटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्मों के साथ ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

हितधारकों के लिए विशेषताएं

- नई अनुमति, नवीनीकरण, नाम/लोगो/टेलीपोर्ट/उपग्रह आदि में परिवर्तन के लिए आवेदनों की एंड-टू-एंड प्रक्रिया को सक्षम बनाना।
- भुगतान प्रणाली (भारतकोष), ई-ऑफिस, अन्य मंत्रालयों के पोर्टलों के साथ एकीकरण।
- एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)।
- एकीकृत हेल्पडेस्क, डेटा सेंटर।
- डीटीएच ऑपरेटरों, स्थानीय केबल ऑपरेटरों हेडएंड-इन-स्काई ऑपरेटरर्स (हिट्स) और डिजिटल मीडिया तक

विस्तार।

- उपयोगकर्ता पंजीकरण और अद्यतनीकरण।
- शुल्क गणना और भुगतान, आवेदन प्रपत्र और स्थिति ट्रैकिंग, पत्र/आदेश डाउनलोड करना, हितधारकों को अलर्ट (एसएमएस/ई-मेल)।

बैंक ऑफिस सुविधाएं

- उपयोगकर्ता पदानुक्रम निर्माण और भूमिका असाइनमेंट
- विभिन्न आवेदनों की वर्कफ्लो आधारित प्रोसेसिंग
- डिजिटल हस्ताक्षर और पत्रों का सिस्टम जनरेशन
- संपूर्ण आवेदन क्लाउड पर होस्ट किया जाएगा
- प्रबंधन सूचना प्रणाली और डैशबोर्ड।

आवेदक कंपनियां (प्रसारक/टेलीपोर्ट ऑपरेटर) अब वेब पोर्टल <https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/> पर ऑनलाइन दायर किए गए आवेदनों की लाइव ट्रैकिंग/स्थिति देख सकती हैं। कंपनी से जानकारी मांगने और कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। तदनुसार, मंजूरी देने की समय अवधि कम कर दी गई है।

टीवी चैनलों की सामग्री विनियमन

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार, निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करना आवश्यक है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत शिकायत निवारण संरचना

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 को 17 जून, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के रूप में संशोधित किया गया है, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित

नागरिकों की परिवेदनाओं/शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र प्रदान किया गया है।

इन नियमों में प्रावधान है कि प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवेदना या संबंधित शिकायत का समाधान करने के लिए, निम्नानुसार तीन-स्तरीय संरचना (शिकायत निवारण संरचना) होगी:

- (i) स्तर I - प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन;
- (ii) स्तर II - प्रसारकों के स्व-विनियामक निकायों द्वारा स्व-विनियमन; और
- (iii) स्तर III - केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र।

2023 के दौरान आयोजित आईडीसी बैठकें

क्र. सं.	आईडीसी की बैठक	विचार किए गए मामलों की संख्या	कार्रवाई की गई
1	21.03.2023	12	3 चेतावनी, 4 पर कोई कार्रवाई नहीं, 4 चेतावनी, 1 ऑफ-एयर आदेश
2	13.09.2023	5	1 चेतावनी, 1 परामर्श, 2 ऑफ-एयर आदेश, 1 माफ़ीनामा स्क़ॉल
3	06.02.2024	6	2 परामर्श, 2 कोई कार्रवाई नहीं, 1 चेतावनी, 1 ऑफ-एयर आदेश (अनुमोदन के लिए लंबित आदेश)

वर्ष 2023-24 के दौरान अंतर विभागीय समिति द्वारा 23 मामलों की सुनवाई की गई तथा इसकी अनुशंसा पर परामर्श, चेतावनियां, माफ़ीनामा स्क़ॉल के आदेश तथा ऑफ-एयर आदेश जारी करके 18 मामलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान टीवी चैनलों को जारी सामान्य परामर्श निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	विषय-वस्तु	परामर्श की तिथि
1.	परामर्श : ऐसी सामग्री का प्रसारण न करें जो उपयुक्त पसंद के विरुद्ध हो, अपमानजनक और अर्ध सत्य हो, किसी व्यक्ति को बदनाम करे और अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हो।	9.01.2023
2.	परामर्श : दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए राष्ट्रपति के भाषण और गणतंत्र दिवस परेड का प्रसारण सांकेतिक भाषा में भी कमेंट्री के साथ करें।	20.01.2023
3.	परामर्श : आयोजकों/मीडिया हाउसेस सम्मेलन/शिखर सम्मेलन आयोजन के समय मौजूदा कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करें।	9.05.2023
4.	परामर्श : कार्यक्रम संहिता के नियम 6(1)(सी), 6(1)(डी) और 6(1)(आई) का उल्लंघन न करें।	8.06.2023
5.	परामर्श : चक्रवात 'बिपरजॉय' पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में शामिल मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें।	15.06.2023

6.	परामर्श: दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए स्वतंत्रता दिवस की टिप्पणियों को सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित किया जाए।	11.08.2023
7.	परामर्श: गंभीर अपराध या आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों को टीवी प्लेटफॉर्म देने से परहेज करें।	21.09.2023
8.	सिल्कयारा, उत्तराखंड में चल रहे बचाव कार्यों को कवर करने वाले सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को परामर्श।	21.11.2023
9.	ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित/प्रसारित करने से परहेज करने की सलाह जो झूठी या हेरफेर की गई हो या जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती हो	20.01.2024
10.	गणतंत्र दिवस समारोह/परेड का सांकेतिक भाषा में अनुवाद के साथ प्रसारण।	25.01.2024

पीजी पोर्टल पर शिकायत याचिकाएं

1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान, निजी उपग्रह टीवी चैनलों पर प्रसारित सामग्री से संबंधित 344 शिकायत याचिकाओं का निपटारा किया गया।

सरोगेट-विज्ञापन पर सामग्री निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण परिणाम

सरोगेट विज्ञापन, जो ब्रांड एक्सटेंशन के माध्यम से सिगरेट, शराब और तंबाकू जैसे उत्पादों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन संहिता के नियम 7(2)(viii)(ए) द्वारा निषिद्ध है। यह नियम कुछ शर्तों के तहत वास्तविक ब्रांड एक्सटेंशन उत्पादों के विज्ञापन की अनुमति देता है, जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा पूर्व-प्रमाणन शामिल है। मंत्रालय ने इन विनियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर देने के लिए 2010 और 2020 में निर्देश और सलाह जारी की।

अप्रैल, 2022 में सीबीएफसी ने एक सलाह भी जारी की, जिसमें मीडिया चैनलों और विज्ञापनदाताओं को ब्रांड एक्सटेंशन उत्पाद विज्ञापनों के लिए सीबीएफसी प्रमाणन की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया, जिसमें सरोगेट विज्ञापन को रोकने के लिए विज्ञापन विनियमों के अनुपालन पर जोर दिया गया।

2022 के दौरान, कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के मामलों की जांच करने के लिए गठित एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) ने पाया कि 31 टीवी चैनल आवश्यक

सीबीएफसी प्रमाण-पत्रों के बिना विज्ञापन प्रसारित करने के लिए विज्ञापन संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इन चैनलों को माफ़ी मांगने वाले स्कॉल चलाने के आदेश दिए गए थे। 28 चैनलों ने इसका पालन किया, जबकि तीन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्देश को चुनौती दी। जुलाई, 2022 में एक याचिका का निपटारा किया गया, जिसमें कुछ संशोधनों के साथ मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा गया। दूसरे मामले में, उच्च न्यायालय ने दिसम्बर, 2023 में मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद दो चैनलों ने एक खंडपीठ में अपील की, जिसने जनवरी, 2024 में 'ऑल सीजनस क्लब सोडा' के विज्ञापनों के संबंध में मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा। चैनल को लगातार तीन दिनों तक दिन में चार बार माफ़ी मांगने वाला स्कॉल प्रसारित करने का निर्देश दिया गया था, और इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश का पालन किया।

यह कानूनी लड़ाई विज्ञापन नियमों को लागू करने और सरोगेट विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में जिम्मेदार विज्ञापन प्रथाओं को सुनिश्चित करती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत 2008 में स्थापित मीडिया संगठन है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के लिए देश भर में प्रसारित होने वाले समाचार चैनलों

की निगरानी करता है।

ईएमएमसी के पास वर्तमान में 900 टीवी चैनलों की सामग्री को वास्तविक समय के आधार पर प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने, संगृहीत करने और पुनः प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी अवसंरचना है और यह कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री की निगरानी करता है।

विभिन्न चैनलों द्वारा स्पष्ट उल्लंघनों को चिह्नित करने और बाद की कार्रवाई के लिए मंत्रालय को रिपोर्ट करने के अलावा, ईएमएमसी ने 2023-24 में योग दिवस, हिंदी पखवाड़ा, संविधान दिवस समारोह, सतर्कता जागरूकता सप्ताह आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया।

सामुदायिक रेडियो


वर्ष की मुख्य बातें

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 फरवरी, 2024 को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय

सामुदायिक रेडियो सम्मेलन (दक्षिण) के दौरान 'विश्व रेडियो दिवस' के अवसर पर 'भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए संशोधित नीति दिशानिर्देश' जारी किए।

सामुदायिक रेडियो, रेडियो प्रसारण में एक महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है, जो लोक सेवा रेडियो प्रसारण और वाणिज्यिक रेडियो से अलग है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) कम क्षमता वाले रेडियो स्टेशन हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। दिसम्बर, 2002 में, भारत सरकार ने सुस्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की नीति को मंजूरी दी। विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर अधिक से अधिक भागीदारी की अनुमति देने के लिए नीति दिशानिर्देशों को 2006 में संशोधित किया गया, जिससे आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंजीकृत समितियों, सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों आदि जैसे समुदाय-आधारित संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति दी गई। सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के विकास को

भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की कुल संख्या (वर्षवार)



बढ़ावा देने के लिए नीति दिशानिर्देशों को 2017, 2018, 2022 और 2024 में और संशोधित किया गया। सामुदायिक रेडियो के लिए नीति दिशानिर्देश और वर्तमान में संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in से देखी जा सकती है।

सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समुदाय के लिए उपयोगी सामग्री को प्रसारित करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। चूंकि सामुदायिक रेडियो का प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, इसलिए लोग इससे तुरंत जुड़ पाते हैं। सामुदायिक रेडियो में अपने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों में लोगों



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के 8वें और 9वें संस्करण के विजेताओं के साथ।



सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू, रेडियो महोत्सव 2024 में सामुदायिक मीडिया के लिए जलवायु परिवर्तन पर व्यवस्थित शिक्षण पाठ्यक्रम और सामुदायिक रेडियो के कार्य एवं पहुंच को दर्शाते हुए एक चित्र पोस्टकार्ड प्रकाशन का शुभारंभ करते हुए।

की भागीदारी को मजबूत करने की भी क्षमता है। भारत जैसे देश में, जहां हर राज्य की अपनी भाषा और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत का भंडार भी है। कई सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय गीतों को रिकॉर्ड करके उन्हें भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करते हैं और स्थानीय कलाकारों को समुदाय के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच देते हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अनूठी स्थिति सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, जो इसे सामुदायिक सशक्तीकरण के लिए एक आदर्श माध्यम बनाती है।

पिछले कुछ वर्षों में, यह क्षेत्र भारत में धीरे-धीरे लेकिन प्रभावी रूप से बढ़ रहा है। अब तक, सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेतु अनुमति देने के लिए कुल 680 आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं, जिनमें से 603 संगठनों ने अनुमति समझौते (जीओपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं और 31 मार्च, 2024 तक 494 सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित हैं।

सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करने के लिए, 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, मौजूदा और साथ ही नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को उपकरणों की खरीद/उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक रेडियो क्षेत्र को गति देने के लिए स्टेशनों की क्षमता निर्माण, पात्र संगठनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय सम्मेलन, सामुदायिक रेडियो पुरस्कार जैसी अन्य गतिविधियां शामिल हैं।

भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थिति

31 मार्च, 2024 तक, देश में 494 सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित हैं, जिनमें से 283 एनजीओ, 191 शैक्षणिक संस्थानों और 20 केवीके द्वारा संचालित हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक कुल 57 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन आरंभ किए जा चुके हैं।

मंत्रालय की भूमिका और कार्य

सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के संबंध में, सूचना एवं प्रसारण

मंत्रालय सुयोग्य संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्थापित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित गतिविधियां मंत्रालय द्वारा की जाती हैं।

मंत्रालय की नई पहल

मंत्रालय ने इस क्षेत्र में व्यवसाय करने में आसानी के लिए कई पहल की हैं। सामुदायिक रेडियो की स्थापना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को इसके संशोधित ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल - www.new.broadcastseva.gov.in के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों की सुविधा के लिए, ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल को सरल संचार पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

मंत्रालय द्वारा की गई गतिविधियां

- (i) जुलाई, 2023 के महीने में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय सम्मेलन (उत्तर) का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के 8वें और 9वें संस्करण भी प्रदान किए गए।
- (ii) पूरे देश और विशेष रूप से सामुदायिक रेडियो से वंचित क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरे भारत में पांच कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- (iii) शिलांग में यूनेस्को के सहयोग से स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के सामुदायिक रेडियो स्टेशन और आकाशवाणी रेडियो स्टेशनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई।
- (iv) विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें '100 ईयर्स ऑन एयर: कीप इट लाउड' और भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया।

एफएम क्षेत्र

एफएम रेडियो पूरे देश में युवाओं और वयस्कों के बीच मनोरंजन के पसंदीदा साधनों में से एक है। स्थानीय भाषाओं में विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विविधता

का जनता द्वारा स्वागत किया जाता है, जैसा कि हाल के वर्षों में चैनलों की संख्या में वृद्धि और एफएम चरण-III के तहत आयोजित ई-नीलामी के दो बैचों में नए एफएम रेडियो चैनलों को प्राप्त करने के लिए निजी एफएम प्रसारकों द्वारा दिखाए गए उत्साह से स्पष्ट है। यह स्थानीय व्यवसायों के लिए रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए एक संभावित माध्यम के रूप में भी विकसित हुआ है।

मंत्रालय का एफएम प्रकोष्ठ 7 जुलाई, 2011 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार पर नीति दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में निजी एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित सभी मामलों को देखता है, जो नवीनतम अपडेट के साथ मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in सभी प्रसारण दस्तावेजों पर उपलब्ध है।

सरकार ने जुलाई, 1999 में 12 शहरों में मुख्य रूप से राज्यों की राजधानियों में 21 निजी एफएम रेडियो चैनलों के साथ एफएम रेडियो क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया। 2005 में शुरू की गई एफएम चरण II योजना में 3 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों में विस्तार का प्रावधान किया गया था। चरण II के तहत 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 86 शहरों में 245 निजी एफएम चैनल संचालित हुए, जिनमें चरण-I से स्थानांतरित 21 चैनल शामिल हैं।

एफएम रेडियो की पहुंच को और अधिक विस्तारित करने के उद्देश्य से सरकार ने 25 जुलाई, 2011 को एफएम चरण-III नीति दिशानिर्देशों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों के अलावा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और एक लाख से कम आबादी वाले द्वीपीय क्षेत्रों के 11 सीमावर्ती शहरों में निजी एफएम रेडियो का विस्तार करना था। एफएम रेडियो चरण-III के अंतर्गत ई-नीलामी के दो बैच पूरे होने के बाद मंत्रालय ने देश भर में 162 और चैनल जोड़े हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और करगिल तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों भद्रवाह, कठुआ और पुंछ में निजी एफएम रेडियो चैनल शुरू किए गए हैं।

31 मार्च, 2024 तक, देश भर के 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 113 शहरों में 388 एफएम रेडियो चैनल संचालित हैं।

पारदर्शिता उपाय और पर्यवेक्षण

एफएम रेडियो चैनलों के लिए कंपनियों को आरोही ई-नीलामी के आधार पर अनुमति दी जाती है। निजी प्रसारकों से तिमाही लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व भारतकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एकत्र किया जाता है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रसारकों से विभिन्न अनिवार्य दस्तावेजों के संग्रहण और लाइसेंस शुल्क और अन्य वित्तीय दस्तावेजों के संग्रहण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल 'बॉडकास्ट सेवा' के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से प्रसारण सेवाओं का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है।

एफएम चरण III नीति दिशानिर्देशों और निजी प्रसारकों द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति समझौते (जीओपीए) में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय के एफएम प्रकोष्ठ के अधिकारी रेडियो स्टेशनों और सामान्य प्रसारण अवसंरचना (सीटीआई) सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं।

सरकार का राजस्व उपार्जन

सरकार निजी प्रसारकों से गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क, गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवासन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, टावर किराया और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करती है।

वर्ष 2000 में निजी एफएम रेडियो प्रसारण की शुरुआत के बाद से देश में निजी एफएम रेडियो प्रसारण से गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवेश शुल्क, गैर-वापसी योग्य एकमुश्त प्रवासन शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, टावर किराया और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व 6647.77 करोड़ रुपये (लगभग) हैं।

डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम (डीएस)

i) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 का गैर-अपराधीकरण

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम

से संशोधित किया गया है, जिसमें कारावास और जुर्माने के पिछले कड़े उपायों को अधिक लचीले दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें चेतावनी, परामर्श, निंदा/या पहले उल्लंघन के लिए 20,000 रुपये तक और दूसरे उल्लंघन के लिए 1,00,000 रुपये तक के जुर्माने की अनुमति दी गई है, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का गैर-अपराधीकरण कर दिया गया है।

ii) मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) पंजीकरण का नवीनीकरण और अंतिम मील इंटरनेट कनेक्टिविटी

क) चूंकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके संबंधित नियमों में एमएसओ (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर) पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित प्रावधान नहीं थे, इसलिए 7 फरवरी, 2022 को ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को उनकी सिफारिशें मांगने के लिए एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया गया था। 29 दिसम्बर, 2022 को ट्राई ने अपनी सिफारिशें प्रदान कीं।

ख) मंत्रालय में ट्राई की सिफारिशों की जांच के बाद और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन किए गए। इन संशोधनों में एमएसओ पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित प्रावधान शामिल थे। इन परिवर्तनों को 18 सितम्बर, 2023 को अधिसूचित किया गया।

ग) इसके अलावा, 7 सितम्बर, 2022 की ट्राई की सिफारिशों के आधार पर, 'केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा' को संबोधित करते हुए एक नया नियम, नियम 5सी, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में शामिल किया गया। यह नियम केबल ऑपरेटर्स को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अंतिम-मील तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिससे ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार में मदद मिलने की संभावना है।

iii) सीटीएन नियम, 1994 में संशोधन करके 'नामित अधिकारी', 'स्थानीय केबल ऑपरेटर', प्लेटफॉर्म सेवाएं और 'पंजीकृत कार्यालय' को परिभाषित करने का प्रावधान

इस मंत्रालय ने दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 को राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 719 (ई) जारी की, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन किया गया, जिन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 कहा जाता है। संशोधित नियम 'नामित अधिकारी', 'स्थानीय केबल ऑपरेटर' और 'प्लेटफॉर्म सेवाएं' और 'पंजीकृत कार्यालय' को परिभाषित करते हैं। यह संशोधन जन विश्वास अधिनियम, 2023 के माध्यम से सीटीएन अधिनियम, 1995 के गैर-अपराधीकरण के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।

iv) मसौदा प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा तैयार किया है। मसौदा विधेयक का उद्देश्य विभिन्न प्रसारण सेवाओं को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों/नियमों को एकल विनियमन में समेकित करना है, जिससे प्रसारण उद्योग में विनियामक ढांचे को सुव्यवस्थित किया जा सके। मसौदा विधेयक पर हितधारकों/आम जनता से 15 जनवरी, 2024 तक टिप्पणियां/सुझाव/फीडबैक/इनपुट/विचार मांगे गए थे। प्राप्त टिप्पणियां/फीडबैक वर्तमान में जांच के अधीन हैं।

v) एलसीओ के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर

क) मंत्रालय ने दिनांक 08 फरवरी, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से एलसीओ की पंजीकरण संख्या, पता, पंजीकरण की तिथि, ग्राहकों की संख्या आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक एलसीओ को एक राष्ट्रीय पंजीकरण संख्या प्रदान करना और एलसीओ का एक राष्ट्रीय रजिस्टर संकलित करना है। इसके अतिरिक्त, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) और हिट्स ऑपरेटर्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि इंटरकनेक्शन समझौतों वाले एलसीओ पोर्टल पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें। तदनुसार, एलसीओ का उपरोक्त रजिस्टर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा 22 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया गया था जो कि new.broadcastsewa.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सरकार को केबल टेलीविजन

क्षेत्र में विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाना है। अब तक लगभग 40,000 एलसीओ को राष्ट्रीय पंजीकरण संख्या प्रदान की गई है।

vi) एमएसओ पंजीकरण

इस वर्ष के दौरान 21 एमएसओ पंजीकरण स्वीकृत किए गए। मार्च, 2024 तक कुल 880 पंजीकरण स्वीकृत किए गए। साथ ही, वर्ष के दौरान 883 एमएसओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। एमएसओ की संख्या में तीव्र गिरावट निष्क्रिय और गैर-अनुपालन वाले एमएसओ पर व्यवस्थित कार्रवाई के कारण है। इन एमएसओ ने अपने सिस्टम का ऑडिट नहीं कराया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा संचालित नेटवर्क की अखंडता पर संदेह हुआ। ऐसे एमएसओ सिग्नल की पायरेसी और सब्सक्राइबर बेस के दमन के लिए अधिक प्रवृत्त थे।

vii) प्लेटफॉर्म सेवा चैनल पंजीकरण

एमएसओ द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं पर ट्राई की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया और इस संबंध में अपेक्षित दिशानिर्देश 30 नवम्बर, 2022 को जारी किए गए। दिशानिर्देश 1 दिसम्बर, 2023 से लागू हुए। जबकि दिशानिर्देश केबल ऑपरेटर्स द्वारा अपने नेटवर्क पर प्रसारित स्थानीय सामग्री को विनियमित करने का प्रयास करते हैं, वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि केबल ऑपरेटर्स की नेटवर्क क्षमता का प्राथमिक उपयोग पंजीकृत टीवी चैनलों के वितरण के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एमएसओ के लिए दिशानिर्देशों में उनके ग्राहकों द्वारा स्थानीय सामग्री की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। पीएस दिशानिर्देश पीएस चैनलों पर सामग्री के संबंध में कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करने, 90 दिनों तक रिकॉर्डिंग रखने आदि को अनिवार्य करते हैं और पायरेसी के खतरे से निपटने में मदद करेंगे। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिशानिर्देश को लागू करने के लिए रूपरेखा विकसित की गई थी। जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, इस मंत्रालय को एमएसओ से उनके द्वारा पेश किए गए पीएस के पंजीकरण के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 228 पीएस चैनलों को पंजीकरण प्रदान किया गया है और दिशानिर्देशों

के अनुसार अन्य आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है।



प्रसार भारती

प्रसार भारती का गठन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के तहत 23 नवम्बर, 1997 को एक वैधानिक निगम के रूप में किया गया था। प्रसार भारती, आकाशवाणी (पूर्ववर्ती ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन के साथ अपने दो घटकों के रूप में, जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने तथा रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रसारण सेवा को व्यवस्थित और संचालित करने के लिए अधिकृत है।

बदलते समय के साथ प्रसार भारती ने डिजिटल रूप से उन्मुख मंच के 'मीडिया अभिसरण' की प्रगतिशील और परिवर्तनकारी मेगा वेब को भी पार कर लिया है। तेजी से बढ़ते मोबाइल और डिजिटल समझ रखने वाले लोगों के लिए, प्रसार भारती वैश्विक स्तर पर दर्शकों हेतु यूट्यूब और मोबाइल ऐप 'न्यूजऑनएआईआर' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी विविध सामग्री तक अधिक-से-अधिक लोगों को प्रदान कराता है। प्रसार भारती अपनी सामग्री और घटनाओं तथा समाचार का अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रसारित करने के लिए फेसबुक, X (ट्विटर) आदि जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करता है।

प्रसार भारती जैसे लोक सेवा प्रसारक की आवश्यकता 800 से अधिक चैनलों के मद्देनजर और भी अधिक उपयुक्त है जो मुख्य रूप से वाणिज्यिक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए, एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में, प्रसार भारती को निजी प्रसारकों के साथ प्रतिस्पर्धी दुनिया में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बने रहने के साथ-साथ प्रसार भारती अधिनियम में निर्धारित अपने अधिदेश को पूरा करने की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दोहरी चुनौतियों को संतुलित करना प्रसार भारती की नीतियों और पहल का केंद्र बिंदु रहा है।

प्रसार भारती वर्तमान में अपने रेडियो नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश के क्षेत्रफल के हिसाब से 90% और जनसंख्या के हिसाब से 98% तक पहुंचता है और टीवी नेटवर्क के सैटेलाइट मोड के माध्यम से लगभग 100% तक पहुंचता है। प्रसार भारती के पास वर्तमान में देश भर में विभिन्न आकाशवाणी और डीडी सेवाएं प्रदान करने के लिए 591 आकाशवाणी प्रसारण इस्टॉलेशनस और 66 दूरदर्शन केंद्र हैं।

उद्देश्य

उपधारा (2) के अनुसार, प्रसार भारती को दिया गया अधिदेश संगठन को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है: -

- देश की एकता, अखंडता और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखना।
- राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना।
- लोक हित के सभी मामलों पर नागरिकों को सूचित किए जाने के अधिकार की रक्षा करना और सूचना का निष्पक्ष और संतुलित प्रवाह प्रस्तुत करना।
- शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।
- महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना और बच्चों, वृद्धों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।
- विविध संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, श्रमिक वर्गों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
- अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना और प्रसारण प्रौद्योगिकी में विकास करना।

प्रसार भारती बोर्ड

प्रसार भारती का संचालन प्रसार भारती बोर्ड द्वारा शीर्ष स्तर पर किया जाता है, जिसे निगम के मामलों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन की शक्तियां दी गई हैं। प्रसार भारती बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और आकाशवाणी तथा

दूरदर्शन के पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष, जो भी पहले हो, के अधीन तीन वर्ष का होता है। कार्यकारी सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, जो कि 65 वर्ष की आयु सीमा, जो भी पहले हो, के अधीन होता है। सदस्य (वित्त) और सदस्य (कार्मिक) पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल छह वर्ष का होता है, जो कि 62 वर्ष की आयु-सीमा, जो भी पहले हो, के अधीन होता है। प्रसार भारती बोर्ड की बैठकें आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार आयोजित की जाती हैं। सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन को छोड़कर, जिसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन अलग से निर्धारित है, बोर्ड को पूर्ण वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं।

संगठनात्मक संरचना

आकाशवाणी का संगठनात्मक ढांचा

आकाशवाणी के प्रमुख महानिदेशक होते हैं, जिनकी सहायता कार्यक्रम, प्रशासन और वित्त विंग में अपर महानिदेशक (एडीजी) करते हैं; और इंजीनियरिंग विंग में एक इंजीनियर-इन-चीफ होते हैं। समाचार विंग का नेतृत्व प्रधान महानिदेशक (समाचार) करते हैं।

महानिदेशालय, आकाशवाणी नीति निर्माण, योजना और विकास, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी उन्नयन, बजटीय योजना और नियंत्रण, मानव संसाधन प्रबंधन; देश भर में स्थापित सभी आकाशवाणी के संचालन और रखरखाव गतिविधियों की देखरेख आदि के लिए जिम्मेदार हैं।

आकाशवाणी को कार्यक्रमों के भौगोलिक कवरेज के आधार पर पांच प्रोग्रामिंग जोन में विभाजित किया गया है। ये जोन उत्तरी क्षेत्र (मुख्यालय दिल्ली), दक्षिणी क्षेत्र (मुख्यालय चेन्नई), पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय कोलकाता), पश्चिमी क्षेत्र (मुख्यालय मुंबई) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (मुख्यालय गुवाहाटी) हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनलों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय क्षेत्र भी बनाया गया है। अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक प्रत्येक जोन में जोनल हेड (कंटेंट संचालन), जोनल हेड (ब्रॉडकास्ट संचालन) और जोनल हेड (एडमिन) के रूप में कार्य करते हैं।

दूरदर्शन की संगठनात्मक संरचना

दूरदर्शन का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जिन्हें कार्यक्रम, प्रशासन और वित्त विंग में अपर महानिदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और इंजीनियरिंग विंग में एक इंजीनियर-इन-चीफ होते हैं। समाचार विंग का नेतृत्व प्रधान महानिदेशक (समाचार) करते हैं।

दूरदर्शन के महानिदेशक, देश भर में स्थापित सभी दूरदर्शन के नीति निर्माण, योजना और विकास, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी

उन्नयन, बजटीय योजना और नियंत्रण, मानव संसाधन प्रबंधन, संचालन और रखरखाव गतिविधियों की देखरेख आदि के लिए जिम्मेदार हैं।

दूरदर्शन के भौगोलिक कवरेज के आधार पर पांच प्रोग्रामिंग जोन दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र), मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र), कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र) और गुवाहाटी (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) में हैं और राष्ट्रीय प्रोग्रामिंग जोन सभी महानिदेशक को रिपोर्ट करते हैं। समानांतर रूप से, भौगोलिक कवरेज और राष्ट्रीय इंजीनियरिंग जोन के आधार पर पांच इंजीनियरिंग जोन परियोजना और रखरखाव के लिए हैं।

2023-24 में आकाशवाणी और दूरदर्शन की महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियां

आकाशवाणी

राष्ट्रीय महत्व के कई कार्यक्रमों के कवरेज/प्रसारण में से कुछ प्रसारित घटनाओं/कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है;

- संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का कवरेज।
- 2 मार्च, 2023 को मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में विधानसभा चुनावों के परिणाम और मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह।
- श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा 36 उपग्रहों के साथ एलवीएम 3-एम3 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण।
- ऑस्कर पुरस्कार समारोह
- सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन : माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, हैदराबाद से सीधा प्रसारण और 8 अप्रैल, 2023 को परेड ग्राउंड, सिकंदराबाद और हैदराबाद से सार्वजनिक बैठक और विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन का सीधा प्रसारण।
- परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी): परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ एक अनूठा संवादात्मक कार्यक्रम है जो 29 जनवरी, 2024 को आयोजित किया गया था। समाचार सेवा प्रभाग : आकाशवाणी और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों ने 'परीक्षा पे चर्चा 2024' को कवर किया है। इससे संबंधित कहानियां समाचार बुलेटिन, चर्चा कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की गई हैं।
- मन की बात : प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को

एनएसडी मुख्यालय के प्रमुख समाचार बुलेटिनों और आरएनयू के बुलेटिनों में कवर किया गया। आरएनयू ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ट्वीट पोस्ट करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मासिक प्रसारण का व्यापक प्रचार भी किया। 'मन की बात' एपिसोड के अनुवादित संस्करण उर्दू, चीनी और फारसी जैसी भाषाओं में भी प्रसारित किए गए।

- राष्ट्रीय सम्मेलन : सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने विशिष्ट अतिथि, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में किया। सम्मेलन में चार पैनल परिचर्चाएं हुईं, जिनमें 'मन की बात' के दौरान प्रधानमंत्री की बातचीत के व्यापक विषयों पर प्रकाश डाला गया। प्रत्येक सत्र का संचालन प्रख्यात पैनलिस्टों द्वारा किया गया। पैनल चर्चाओं के विषय थे- 'नारी शक्ति', 'विरासत का उत्थान', 'जन संवाद से आत्मनिर्भरता' और 'आह्वान से जन आंदोलन'।

दूरदर्शन

- एमवी गंगा विलास कूज : दुनिया के सबसे लंबे रिवर कूज 'गंगा विलास' की यात्रा को डीडी न्यूज ने कूज से ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से व्यापक रूप से कवर किया। उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जहां माननीय प्रधानमंत्री ने कूज को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।
- जी-20 शिखर सम्मेलन : विशेष कार्यक्रमों की शृंखला इंडिया @ जी20 का प्रसारण हर दिन शाम 7.30 बजे डीडी इंडिया पर किया गया, जिसमें जी20 के सभी पहलुओं/विकास/गतिविधियों को शामिल किया गया। इंडिया कॉलिंग का प्रसारण किया गया, जिसमें सप्ताह की सभी गतिविधियों और जी-20 बैठकों की सोशल मीडिया कवरेज पर प्रकाश डाला गया।
- 'आजादी का अमृत महोत्सव' पर कार्यक्रम : 'जन की बात, जनप्रतिनिधि के साथ' सरकार की विकास यात्रा और अगले 25 वर्षों के लिए दृष्टिकोण (अमृत काल) पर केंद्रित था। शृंखला में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साक्षात्कार प्रसारित किए गए।
- दूरदर्शन के पास उपलब्ध समृद्ध अभिलेखीय सामग्री को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष शृंखला, 'डीडी दस्तावेज' प्रसारित की गई। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित विशेष एपिसोड प्रसारित किए गए।
- आकांक्षी जिलों पर ग्राउंड रिपोर्ट : डीडी न्यूज नियमित

रूप से देश के आकांक्षी जिलों पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत पर कहानियों का प्रसारण करता है, जिसमें लाभार्थियों की बाइट्स भी शामिल होती है।

- चंद्रयान-3 : लॉन्च का सीधा प्रसारण किया गया। सफल चंद्रयान-3 मिशन के व्यापक कवरेज में मिशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। कवरेज में चंद्रयान-3 और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर चर्चा कार्यक्रम शामिल थे। इसके अलावा, 'इसरो में नारी शक्ति' जैसे विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए।

2023-24 में आकाशवाणी और दूरदर्शन की महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियां

आकाशवाणी

- रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 28 अप्रैल, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 91 सौ वॉट के एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में लगाए गए हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

दूरदर्शन

इस अवधि के दौरान प्रमुख तकनीकी उन्नयन

- देश के विभिन्न भागों में स्थापित 66 स्टूडियो केंद्रों में से 62 को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है। शेष 4 स्टूडियो केंद्र एनालॉग हैं।
- डीडी फ्री डिश फ्री-टू-एयर (एफटीए) और उन लोगों के लिए एक वैकल्पिक किफायती डीटीएच प्लेटफॉर्म है जिनके पास उच्च सदस्यता शुल्क का भुगतान करने का साधन नहीं है। बाजार अनुमानों के अनुसार 43 मिलियन से अधिक घरों में सेट टॉप बॉक्स हैं जो डीडी फ्री डिश डीटीएच चैनल प्राप्त करने में सक्षम हैं।

इस वर्ष के दौरान हुई महत्वपूर्ण विकासात्मक गतिविधियां

- बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता के लिए कोलकाता (7.60 मीटर पैराबोलिक एंटीना) और तिरुअनंतपुरम में अपलिक एंटीना प्रणाली की स्थापना पूरी हो गई है।

- पटनीटॉप और ग्रीन रिज (जम्मू और कश्मीर) में एक-एक 10 किलोवॉट (1+1) डीवीबी-टी2 और टी2 लाइट रेडी यूएचएफ एनालॉग टेरिस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। इसके अलावा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर स्थलीय कवरेज के लिए राजौरी (जम्मू और कश्मीर) में 5 किलोवॉट के 2 डिजिटल रेडी यूएचएफ एनालॉग टेरिस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। ट्रांसमीटर कमीशनिंग के लिए तैयार हैं।
- समाचार उत्पादन उपकरणों के विस्तार के हिस्से के रूप में, डीडी न्यूज, दिल्ली के लिए टेलीप्रॉम्टर (संख्या 5) वीवीआईपी कवरेज में उपयोग के लिए प्रदान किए गए हैं।
- डीडी और आकाशवाणी चैनलों के फेसलिफ्ट के हिस्से के रूप में, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न डीडी केंद्रों को नॉन-लीनियर एडिटिंग सिस्टम तथा वर्कस्टेशन और डेस्कटॉप सिस्टम प्रदान किए गए हैं।

कार्यान्वयन के तहत प्रमुख परियोजनाएं जो चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी होने की संभावना है

- डीडीके, कोलकाता में अर्थ स्टेशन का आधुनिकीकरण ताकि इसे एचडी अनुरूप और स्पेक्ट्रम कुशल बनाया जा सके।
- मौजूदा अर्थ स्टेशन सेवाओं को कोलकाता, तिरुअनंतपुरम में नए अपलिक एंटीना सिस्टम में स्थानांतरित किया जाना है।
- बेहतर दक्षता और विश्वसनीयता के लिए चंडीगढ़ और चेन्नई में अपलिक एंटीना सिस्टम की स्थापना।
- लाइव कवरेज के लिए तकनीकी सुविधाओं को एचडी में अपग्रेड करने के हिस्से के रूप में, डीडीके, दिल्ली में 32 कैमरों और पांच स्टैंडअलोन कॉन्फिगरेशन वाले पूरी तरह से निर्मित और एकीकृत नेटिव अल्ट्रा हाई डेफिनिशन मांड्यूलर फ्लाइ पैक ओबी यूनिटों की खरीद के लिए कार्रवाई शुरू की गई।
- विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों/आरएनयू में सामग्री नवाचार के लिए प्रौद्योगिकी के हिस्से के रूप में स्ट्रेट व कर्ड एलईडी वीडियो वॉल की स्थापना की कार्रवाई शुरू की गई। वीडियो वॉल सेट के अवलोकन और समग्र उत्पादन गुणवत्ता में व्यापक सुधार प्रदान करता है।
- डीडी और आकाशवाणी के चैनलों के फेसलिफ्ट के हिस्से के रूप में, मोबाइल जर्नलिस्ट (एमओजेओ-मोजो) किट की खरीद, 4 कैमरा एमसीयू (मल्टी कैमरा यूनिट) की स्थापना, न्यूनतम 62.5 केवीए (संख्या 01) और 100 केवीए (संख्या

01) क्षमता के वाहन माउंट डीजी सेट की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की गई।

फ्री-टू-एयर डीटीएच 'डीडी फ्री डिश'

दूरदर्शन ने दिसम्बर, 2004 में 33 टीवी चैनलों के साथ अपनी फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा 'डीडी फ्री डिश' (पहले डीडी डायरेक्ट+) शुरू की थी। बाद में डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता को बढ़ाकर 59 टीवी चैनल कर दिया गया। छोटे आकार की डिश रिसेव यूनिट की मदद से देश में कहीं भी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) डीटीएच सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 10 चैनलों के साथ सी-बैंड में डीटीएच सेवा सितम्बर, 2009 से शुरू की गई थी। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म 'डीडी फ्री डिश' को 59 से 104 चैनलों तक अपग्रेड करने का काम दिसम्बर, 2014 में पूरा हुआ, जिसे बाद में बढ़ाकर 112 एसडीटीवी चैनल कर दिया गया। दूरदर्शन की स्वीकृत 3-वर्षीय (2017-20) विस्तार योजना के हिस्से के रूप में डीडी के डीटीएच प्लेटफॉर्म को 128 एसडीटीवी चैनलों तक का अपग्रेडेशन पूरा हो गया है। वर्तमान में, डीडी फ्री डिश विभिन्न शैलियों के 167 चैनलों को उपलब्ध करा रही है।

इसके अतिरिक्त, बीआईएसएजी (एन) की टेलीपोर्ट सुविधा के माध्यम से 306 शैक्षिक चैनलों को अपलिक करने के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी (एन)) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो बिना किसी मासिक सदस्यता के डीडी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होंगे। ऐप आधारित/कॉल आधारित/एसएमएस आधारित प्राधिकरण और सक्रियण सुविधा के प्रावधान के साथ 8.7 लाख एफटीए डीटीएच, गैर-सीएस, गैर-आरपीडी रिसेव सेट (एसटीबी के साथ) खरीदने की मंजूरी दी गई है।

स्थलीय प्रसारण का डिजिटलीकरण

प्रसार भारती ने 5जी प्रसारण जैसे उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल स्थलीय प्रसारण हेतु नेक्स्ट जेनेरेशन प्रसारण समाधान/रोडमैप विकसित करने के लिए आईआईटी, कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है।

हाई डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी)

- वर्तमान में, चार एचडी चैनल यानी डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी इंडिया उपग्रह मोड में उपलब्ध हैं और डीडी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं।
- दूरदर्शन की 3 साल (2017-20) विस्तार योजना के तहत, दिल्ली से शुरू होने वाले सभी 7 चैनलों के माइग्रेशन के लिए

डीडीके दिल्ली, डीडी न्यूज और सीपीसी दिल्ली में स्टूडियो सेंटर का एसडी से एचडी में उन्नयन पूरा हो गया है।

- प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना (2021-26) के हिस्से के रूप में, एचडी उत्पादन और निर्माण के लिए 24x7 क्षेत्रीय चैनलों पर मौजूदा तकनीकी सुविधाओं के उन्नयन की परिकल्पना की गई है।

वैश्विक आउटरीच

इस अवधि के दौरान प्रसार भारती द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)/समझौते

- प्रसार भारती और मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एमबीसी), मॉरीशस के बीच 12 मई, 2023 को कंटेंट के आदान-प्रदान, सह-निर्माण, कर्मियों/प्रशिक्षणों के आदान-प्रदान और मॉरीशस में डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी स्पोर्ट्स 2.0 चैनलों के निःशुल्क वितरण के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- डीडी नेटवर्क पर कार्यक्रम 'इको इंडिया' के प्रसारण से संबंधित प्रसार भारती और डॉयचे वेले जर्मनी के बीच 7 जुलाई, 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और यह दो साल 2023-25 के लिए वैध है।
- प्रसार भारती और आरटीएम मलेशिया के बीच 7 नवम्बर, 2023 को हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें विभिन्न विधाओं में कंटेंट का आदान-प्रदान, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों में समाचार तथा समाचार सामग्री और कार्यक्रमों का सह-निर्माण शामिल है।

अन्य गतिविधियां

वैश्विक आउटरीच प्रभाग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रसार भारती को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए कई गतिविधियों में लगा हुआ है। इनमें से कुछ गतिविधियां अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार हैं;

- संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन : प्रसार भारती, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से युक्त एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया ताकि दुनिया भर में डीडी इंडिया चैनल के वितरण की संभावनाओं की खोज सहित प्रसार भारती और अंतरराष्ट्रीय प्रसारकों के बीच सहयोग और सहभागिता बढ़ाने की रणनीति तैयार की जा सके। संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की आठवीं बैठक सीईओ, प्रसार भारती की अध्यक्षता में 29



एमबीसी (मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) के महानिदेशक श्री अनुज रामसूरन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 30 जून, 2023 को प्रसार भारती का दौरा किया और सीईओ, प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी से मुलाकात की।

नवम्बर, 2023 को आयोजित की गई।

डॉयचे वेले जर्मनी के महानिदेशक के बीच बैठक हुई।

- एमबीसी मॉरीशस : मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एमबीसी) के महानिदेशक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रसार भारती का दौरा किया और 30 जून, 2023 को सीईओ, प्रसार भारती के साथ बैठक की, जिसमें दोनों प्रसारकों के बीच सहयोग के क्षेत्रों जैसे सामग्री साझाकरण, स्टॉफ प्रशिक्षण, ओटीटी प्लेटफॉर्म और चैनलों के पारस्परिक आदान-प्रदान पर चर्चा की गई।
- अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल : अमेरिकी दूतावासों के प्रवक्ता श्री क्रिस एल्म्स के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 27 जुलाई, 2023 को प्रसार भारती का दौरा किया और सीईओ, प्रसार भारती से उनके कक्ष में मुलाकात की।



22 नवम्बर, 2023 को प्रसार भारती सचिवालय में महानिदेशक, डॉयचे वेले श्री पीटर लिम्बर्ग के साथ प्रसार भारती के सीईओ की मुलाकात।



अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने 27 जुलाई, 2023 को प्रसार भारती के सीईओ से मुलाकात की।

डॉयचे वेले, जर्मनी : डिजिटल मीडिया के लिए लाइव समाचार और सामग्री साझा करने पर चर्चा करने के लिए प्रसार भारती सचिवालय में 22 नवम्बर, 2023 को प्रसार भारती के सीईओ और

- भारत को जानिए यात्रा (बीकेजेवाई) 10 अगस्त, 2023 : विदेश मंत्रालय ने आधुनिक भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीति, संस्कृति, विरासत, स्वतंत्रता, संघर्ष, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा समग्र विकास पर अपने ज्ञान को बढ़ाने हेतु दुनिया भर के युवा प्रतिभागियों के लिए 'भारत को जानिए यात्रा' (बीकेजेवाई) नामक एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया। अंतिम 15 विजेताओं को विदेश मंत्रालय द्वारा भारत आमंत्रित किया गया और प्रसारण के बुनियादी ढांचे और डीडी न्यूज/ डीडी इंडिया स्टूडियो की स्थापना के बारे में जानकारी देने के लिए 10 अगस्त, 2023 को प्रसार भारती/डीडी न्यूज में उनका दौरा कराया गया।



विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 'भारत को जानिए यात्रा' (बीकेजेवाई) नामक ऑनलाइन विवज के 15 विजेताओं ने 10 अगस्त, 2023 को प्रसार भारती और डीडी न्यूज का दौरा किया।

- विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए 'भारत को जानिए कार्यक्रम' की शृंखला आयोजित की गई। इस यात्रा की योजना भारतीय मूल के प्रतिभागियों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक विकास और लोक प्रसारण सेवाओं-आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रसार भारती के बारे में जानकारी देने के लिए बनाई गई है।
- एआईबीडी अध्यक्ष : प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी को 2-4 अक्टूबर, 2023 को मॉरीशस के पोर्ट लुई में आयोजित एआईबीडी महासम्मेलन (जीसी) 2023 के दौरान 2023-25 की अवधि के लिए एशिया प्रशांत प्रसारण एवं विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है।



विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए आयोजित '66वें भारत को जानिए कार्यक्रम' के अंतर्गत 3 अगस्त, 2023 (पूर्वाह्न) को प्रसार भारती (डीडी न्यूज, दूरदर्शन) में भारतीय मूल के 60 से अधिक प्रतिभागियों का दौरा।

प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना (बीआईएनडी) के तहत निधि आवंटन के संबंध में प्रसार भारती का विवरण

बजट

प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना (बीआईएनडी) के तहत निधि आवंटन के संबंध में विवरण निम्नानुसार है :-

- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बीआईएनडी योजना के लिए स्वीकृत निधि- 375.99 करोड़ रुपये
- वित्त वर्ष 2023-24 (01.04.2024 तक) के लिए व्यय- 345.39 करोड़ रुपये
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बीआईएनडी योजना के लिए स्वीकृत निधि- 316 करोड़ रुपये
- 01.01.2023 से 31.03.2023 (3 महीने) की अवधि के लिए व्यय- 70.8 करोड़ रुपये



2-4 अक्टूबर, 2023 को मॉरीशस के पोर्ट लुई में प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी की अध्यक्षता में एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) का 21वां महासम्मेलन और एसोसिएटेड बैठक 2023 (जीसी 2023) का आयोजन हुआ।

बीआईएनडी योजना के तहत तकनीकी प्रगति

आधुनिकीकरण (डिजिटाइजेशन सहित), ट्रांसमीटरों का विस्तार और प्रतिस्थापन	गंगटोक में टावर को मजबूत बनाना।
सैटेलाइट प्रसारण उपकरणों का आधुनिकीकरण विस्तार और प्रतिस्थापन	11 स्थानों पर अर्थ स्टेशन का आधुनिकीकरण एसआईटीसी- अपलिक एंटीना सिस्टम (भुवनेश्वर, तिरुअनंतपुरम, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ और कोलकाता में)। चंडीगढ़ में एसआईटीसी- अपलिक एंटीना सिस्टम। डीटीएच अर्थ स्टेशन पीतमपुरा, दिल्ली (इनपुट और बेसबैंड सिस्टम) का उन्नयन।
स्टूडियो/नए स्टूडियो का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण।	विभिन्न केंद्रों के लिए 12वीं योजना के शेष स्टूडियो उपकरणों की खरीद/ बीआईएनडी योजना (2017-2021) के तहत स्टूडियो उपकरणों की खरीद। डीडीके, हैदराबाद में फ़ाइल आधारित वर्कफ्लो तकनीक के एसआईटीसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट।
डीटीएच का विस्तार	i) देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 1.2 लाख डीटीएच रिसीव सेट टॉप बॉक्स का वितरण। ii) डीटीएच पीतमपुरा (सी बैंड) में अर्थ स्टेशन का उन्नयन - उपकरणों की एसआईटीसी (संपीड़न और निगरानी प्रणाली उपकरण आदि)।
हार्ड-डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी)	न्यूज मुख्यालय, दिल्ली में स्वचालित समाचार उत्पादन प्रणाली की एसआईटीसी।
कर्मचारी क्वार्टर और अन्य कार्यों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे का विस्तार।	अमृतसर में टीवी टावर के पूरा होने, ट्रांसमीटर की शिफ्टिंग और अन्य संबंधित कार्यों के लिए शेष कार्य।
संवेदनशील क्षेत्रों में कवरेज को मजबूत करना	i) ग्रीन रिज और पटनीटॉप साइटों पर एचपीटी की स्थापना। ii) राजौरी, जम्मू और कश्मीर में एचपीटी की स्थापना।
डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म का विस्तार	i. टोडापुर, दिल्ली में मौजूदा चार संपीड़न शृंखला और विविध उपकरणों का उन्नयन। ii. अर्थ स्टेशन टोडापुर, दिल्ली में आरएफ सिस्टम के साथ अतिरिक्त दो धाराओं के एसआईटीसी द्वारा डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म का विस्तार।
डीटीएच आपदा रिकवरी केंद्र	मुख्य साइट क्षमता के समान डीडी डीटीएच प्लेटफॉर्म के लिए जियो डायवर्सिटी सेंटर की स्थापना।
एचडी के लिए कार्यक्रम उत्पादन सुविधाओं का स्वचालन और आधुनिकीकरण	एचडी उत्पादन और पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए 24 x7 क्षेत्रीय चैनलों पर मौजूदा तकनीकी सुविधाओं का उन्नयन। i. स्टूडियो आधारित उत्पादन सुविधाओं (पीसीआर उपकरण और एमएसआर/सीएआर उपकरण) का उन्नयन। ii. फ़ाइल आधारित उत्पादन और पोस्ट प्रोडक्शन वर्कफ्लो। iii. एचडी प्लेआउट सुविधा। iv. विविध तकनीकी सुविधाएं और अन्य संबंधित उपकरण जैसे स्टूडियो लाइट, अन्य ऑडियो वीडियो उपकरण। v. डीडी न्यूज के वीवीआईपी कवरेज के लिए कार्यक्रम उत्पादन सुविधा का संवर्धन और उन्नयन। vi. आवश्यक बुनियादी ढांचे एसी प्लांट इलेक्ट्रिकल और सिविल का संवर्धन।

सैटेलाइट ट्रांसमिशन सुविधाओं का स्वचालन और आधुनिकीकरण एचडी के लिए।	पीतमपुरा में सी बैंड डीटीएच अर्थ स्टेशन का उन्नयन और प्रतिस्थापन (आरएफ उपकरण)।
	डीडीके नई दिल्ली में (1+1) एचपीए प्रणाली का प्रतिस्थापन।
	लेह और विजयवाड़ा में अर्थ स्टेशन का एक चैनल अपलिक से 2 चैनल अपलिक सुविधा तक विस्तार और आइजोल, गुवाहाटी और शिलांग में 2x(1+1) अर्थ स्टेशन का उन्नयन और प्रतिस्थापन।
समाचार उत्पादन उपकरण का संवर्धन	समाचार मुख्यालय और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों, पीबीएनएस के लिए एमओजेओ किट, बैकपैक्स, टेलीप्रॉम्टर, एनआरसीएस प्रणाली एनएलई आदि जैसे समाचार अधिग्रहण और उत्पादन उपकरण।
लाइव कवरेज के लिए तकनीकी सुविधाओं को एचडी में अपग्रेड करना	i) वाहन और एचडी प्रोडक्शन उपकरण सहित मल्टी-कैमरा मोबाइल प्रोडक्शन सुविधाओं (ओबी वैन और ईएफपी वैन) का अपग्रेडेशन/-रिप्लेसमेंट। (ii) फ्लाइ अवे एचडी प्रोडक्शन सुविधाएं प्रदान करना।
कंटेंट नवाचार के लिए तकनीक (i) कंटेंट संवर्धन वीडियो वॉल, वर्चुअल सेट एआर उपकरण और वीआर समाधान पर पायलट सहित तकनीक (ii) 4के/यूएचडी कंटेंट प्रोडक्शन पर पायलट प्रोजेक्ट (iii) स्टूडियो प्रोडक्शन ऑटोमेशन पर पायलट प्रोजेक्ट	i) डीडीके के लिए सीधे और कर्ड एक्सेसरीज के साथ डायरेक्ट व्यू एक्टिव एलईडी वीडियो वॉल की एसआईटीसी। ii) डीडीके दिल्ली और सीपीसी दिल्ली में 12 कैमरों वाली नेटिव यूएचडी मल्टी फॉर्मेट मोबाइल प्रोडक्शन सुविधाओं (ओबी वैन/ट्रक) की एसआईटीसी।
कार्यनीतिक क्षेत्रों में डीडी फ्री डिश एसटीबी का वितरण (एप आधारित प्राधिकरण के साथ लगभग 7 लाख यूनिट) और वाई-फाई हॉट स्पॉट के माध्यम से डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध रेडियो चैनलों की स्ट्रीमिंग	7.5 लाख का वितरण प्रोजेक्ट मोड में एसआईटीसी मोड में डीटीएच रिसीव सेट। डीटीएच बीआईएनडी योजना 21-2017 के घटक विस्तार के तहत 1.2 लाख डीटीएच एसटीबी का वितरण (26-2021 की सतत योजना। (एसआईटीसी मोड में 8.7 लाख डीटीएच रिसीव सेट का वितरण एक साथ)।
डीडी और आकाशवाणी चैनलों का नया रूप	i) नॉन-लीनियर एडिटिंग सिस्टम। ii) एमओजेओ किट। iii) अन्य संबद्ध उत्पादन उपकरण।
क्षेत्रीय केंद्र पर फ़ाइल आधारित वर्कफ्लो सुविधाएं	14 दूरदर्शन क्षेत्रीय केंद्रों पर फ़ाइल-आधारित उत्पादन वर्कफ्लो की शुरुआत।
ओबी और ईएफपी वैन का प्रावधान	ओबी/ईएफपी मोबाइल वैन - (8 संख्याएं) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी।
एचडी में डीडी चैनल के लिए बीएआरसी वॉटरमार्किंग सिस्टम	दूरदर्शन के 28 क्षेत्रीय चैनलों के लिए दर्शकों की मापन सुविधा के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वार्षिक लाइसेंसिंग का प्रावधान।



ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। इसे 1995 में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण इंजीनियरिंग के संपूर्ण दायरे, प्रसारण सुविधाओं की स्थापना अर्थात् सामग्री उत्पादन सुविधाएं, टैरिस्ट्रल, भारत और विदेशों में उपग्रह तथा केबल प्रसारण को शामिल करते हुए परियोजना परामर्श सेवाएं और टर्नकी समाधान प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।

बेसिल ने अब कार्यनीतिक परियोजनाओं जैसे- सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (अर्थात् सीसीटीवी, अभिगम नियंत्रण, घुसपैठ, अग्नि सुरक्षा, हाइड्रेंट्स आदि), फिल्मों, सेंटिनल एनालिटिक्स, काउंटर ड्रोन/यूएवी आदि सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामग्री के क्षेत्रों में विविधता ला दी है। गतिविधियों में आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा कमीशनिंग, परामर्श सेवाएं, तकनीकी लेखा परीक्षा, मीडिया विश्लेषण, आर एंड डी, डिजिटल इंडिया से संबंधित परियोजनाएं, शहर निगरानी, सुरक्षित शहर, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, विनिर्माण, ऑडियो वीडियो और डेटा विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, इंजीनियरिंग, खरीद तथा निर्माण, परियोजना प्रबंधन सेवाएं, संचालन तथा रखरखाव, मानवशक्ति प्लेसमेंट, एएमसी और महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के लिए कुल टर्नकी परियोजना और अन्य सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

बेसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में और क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु तथा कोलकाता में हैं।

बेसिल व्यापार पोर्टफोलियो में विविधीकरण के कारण कई राज्यों में भौगोलिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।

वर्ष के दौरान निष्पादित प्रमुख परियोजनाएं/व्यावसायिक गतिविधियां

एफएम प्रसारण के लिए परामर्श और टर्नकी समाधान

भारत में निजी एफएम प्रसारकों को स्थापना और सामग्री निगरानी के लिए बेसिल सेवाएं प्रदान करने में शामिल रहा है। बेसिल निजी एफएम प्रसारकों के विभिन्न एफएम प्रसारण साइट्स के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में भी काम कर रहा है।

राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में सम्मेलन कक्ष में ऑडियो-विजुअल सिस्टम और ध्वनिकी का उन्नयन

बेसिल ने अपने अत्याधुनिक सम्मेलन कक्ष के डिजाइन में राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी (एनजीएमए) से परामर्श किया। इस कार्य में एनजीएमए में सम्मेलन कक्ष में मौजूदा ऑडियो-विजुअल सिस्टम और ध्वनिकी का डिजाइन और उन्नयन शामिल था, जिसका उपयोग संस्कृति मंत्रालय द्वारा जी20 बैठकों की मेजबानी के लिए किया गया था।

भारत के प्रेस महापंजीयक के कार्यालय का स्वचालन

कार्य के दायरे में वेब सक्षम अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन के लिए भारत के प्रेस महापंजीयक (पूर्ववर्ती आरएनआई) के कार्यालय को सहायता प्रदान करने के लिए मानवशक्ति, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाएं प्रदान करना शामिल है। परियोजना के भाग के रूप में - शीर्षक सत्यापन और ई-फाइलिंग एप्लीकेशन को विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल का पुनरुद्धार और उन्नयन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टसेवा पोर्टल के पुनरुद्धार और उन्नयन के लिए बेसिल को नियुक्त किया है। बेसिल ने विभिन्न विभागों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुसार पोर्टल के विकास का प्रबंधन किया है।

सीसीटीवी निगरानी अभिगम नियंत्रण प्रणाली

बेसिल ने झारखंड में जिला न्यायालयों और उप-मंडल न्यायालयों, केंद्रीय भंडारण निगम, गृह मंत्रालय, हरियाणा पुलिस आवास निगम, इसरो टेलीमेट्री में अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता नियंत्रण केंद्र, ट्रेकिंग और कमांड नेटवर्क, बंगलुरु और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में विभिन्न स्थानों जैसे विभिन्न सरकारी ग्राहकों को सीसीटीवी निगरानी अभिगम नियंत्रण प्रणाली की योजना और स्थापना की सेवाएं प्रदान की हैं।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना

बेसिल ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ; भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली; डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात; भारतेंदु मानव सेवा एवं विकास सोसायटी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश; सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल, गजानन महाराज मंदिर के पास, औरंगाबाद, महाराष्ट्र; प्रद्युमन सिंह शैक्षिक सामाजिक एवं पर्यावरण ट्रस्ट, बस्ती, उत्तर प्रदेश; शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर में शालीमार, श्रीनगर स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय; ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हिसार, हरियाणा जैसे विभिन्न संगठनों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है।

मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर 3 कैमरा वाले स्टूडियो सेटअप की स्थापना

बेसिल ने मध्य प्रदेश के भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर तीन कैमरा वाला स्टूडियो स्थापित किया है। इस सेटअप का उपयोग मुख्यमंत्री के संबंध में महत्वपूर्ण सार्वजनिक संदेशों, घोषणाओं, चर्चाओं, साक्षात्कारों, टॉक शो और इसी तरह के आयोजनों की रिकॉर्डिंग और उत्पादन के लिए किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ऑन-रोड इकाइयों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सॉफ्टवेयर

एनएचएआई की ऑन-रोड इकाइयों के लिए कम्प्यूटर एडेड

डिस्पैच सिस्टम सॉफ्टवेयर/जीआईएस सक्षम राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सॉफ्टवेयर को डिजाइन, विकसित, तैनात, संचालित और रखरखाव करने के लिए बेसिल को सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए राष्ट्रीय स्तर का पैक्स सॉफ्टवेयर

प्राथमिक कृषि समितियां (पैक्स) किसानों, ग्रामीण कारीगरों आदि के स्वामित्व में होती हैं और इनका उद्देश्य सदस्यों के बीच बचत और आपसी मदद को बढ़ावा देना; उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना और इनपुट आपूर्ति, भंडारण और कृषि उपज आदि के विपणन जैसी ऋण-लिंकड सेवाएं प्रदान करना है। छोटे और सीमांत किसानों तक पैक्स की बड़ी पहुंच उन्हें कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं का एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वर्ग बनाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अनुरूप पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना को लागू करने का फैसला किया है। बेसिल के एक संघ द्वारा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर क्रियान्वित की जा रही इस परियोजना का दायरा पैक्स के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण के लिए एक व्यापक, बहुक्रियाशील मॉडल और मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर प्रदान करना है।

निष्पादन एजेंसी के रूप में बेसिल और संघ की प्रमुख जिम्मेदारियां राष्ट्रीय स्तर का पैक्स ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रदान करना, प्रत्येक राज्य की आवश्यकता के आधार पर सॉफ्टवेयर को अनुकूलित करना और पैक्स सॉफ्टवेयर की तैनाती को सुविधाजनक बनाना है।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लिए बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर (सभागार) का निर्माण

बेसिल प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लिए बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर (सभागार) के निर्माण की परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है।

भारत हीरा केंद्र परियोजना

'भारत हीरा केंद्र (बीएचके)' बेसिल द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड पर क्रियान्वित की जा रही एक परियोजना है। बीएचके में 'स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोरंजन और खुदरा गतिविधियों' (एचईईआरए) और ई-कॉमर्स सेवाएं प्रदान करने वाले डिजिटल उपयोगिता केंद्र आदि के लिए स्थान शामिल हैं, जिन्हें लगभग 2000 वर्ग मीटर (आधे एकड़ से थोड़ा कम) के भूमि क्षेत्र पर स्थापित किया जाएगा, जो गांवों/कस्बों की लिंकिंग रोड पर 8-10 गांवों की 45-50 हजार की आबादी को कवर करेगा। प्रत्येक बीएचके स्थानीय पात्र निवासियों के लिए कम-से-कम 45 से अधिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा।

मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट वाटर मीटर

बेसिल स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एरिया बेस्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक पर आधारित मीटर के साथ 'ऑटोमेटेड मीटरिंग इंफ्रा' के माध्यम से नियंत्रित स्मार्ट वाटर मीटर उपलब्ध करा रहा है।

स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट से मैन्युअल मीटर रीडिंग की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जिससे उपभोक्ता सशक्त होंगे, जो मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने पानी की खपत की निगरानी कर सकते हैं। यदि फील्ड में इन्स्टॉल किया जाता है, तो यह ऐप क्वालिटी पैरामीटर और बल्क मीटरिंग पैरामीटर जैसे फील्ड डिवाइस के अन्य सॉफ्टवेयर एपीआई के साथ एकीकृत हो सकेगा।

साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक लैब

बेसिल ने रक्षा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, राज्य पुलिस, शिक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की डिजिटल जांच मांगों को पूरा करने के लिए एक उन्नत साइबर/डिजिटल फोरेंसिक लैब बनाने की महत्वाकांक्षी पहल की है। यह पूरा सेटअप आधुनिक तकनीकों और पेशेवर कर्मचारियों की पेशकश करके राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने का इरादा रखता है, और इसमें डिजिटल साक्ष्य की गहन जांच और विश्लेषण करने के लिए उन्नत क्षमताओं से लैस अत्याधुनिक साइबर/डिजिटल फोरेंसिक लैब शामिल होगी।

कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस)

कर्नाटक के तटीय समुदायों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी ईडब्ल्यूडीएस को शामिल करने वाली यह परियोजना, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने और कमजोर तटीय क्षेत्रों में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेसिल की प्रतिबद्धता का प्रमाण रही है। इस परियोजना में ईडब्ल्यूडीएस की स्थापना और संचालन शामिल है, जिससे राज्य और जिला नियंत्रण केंद्र ग्रामीणों और अन्य प्रथम-प्रतिक्रिया हितधारकों के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे।

संजीवैया पार्क (हुसैनसागर झील), तेलंगाना में वाटर स्क्रीन और म्यूजिकल फाउंटेन के साथ मल्टीमीडिया लेजर शो

बेसिल ने संजीवैया पार्क (हुसैनसागर झील), तेलंगाना में फाउंटेन शो के सिंक्रोनाइजेशन के साथ बड़ी एक्वा स्क्रीन प्रोजेक्शन मैपिंग सहित मल्टीमीडिया लेजर शो के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग को लागू और निष्पादित किया है। इस परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट ध्वनि प्रभावों, बैकग्राउंड स्कोर और सांस्कृतिक संगीत के माध्यम से इतिहास की आसान समझ के साथ पर्यटक को आकर्षित करने के लिए बेहतर बनाना है।

हैदराबाद, तेलंगाना के उस्मानिया आर्ट कॉलेज में ध्वनि और प्रकाश/मल्टीमीडिया/लेजर शो और बिल्डिंग के अग्रभाग को रोशन करना

बेसिल ने हैदराबाद के उस्मानिया आर्ट्स यूनिवर्सिटी में डिजिटल मल्टीमीडिया तकनीक का उपयोग करके ध्वनि और प्रकाश/मल्टीमीडिया/लेजर शो और बिल्डिंग के अग्रभाग को रोशन करने का काम किया है। परियोजना का मुख्य दायरा था:

- संरचना की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय को रोशन करना।
- रचनात्मक और कलात्मक तरीकों से कॉलेज के अग्रभाग को रोशन करना।

बांग्लादेश भारत डिजिटल सेवा और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना

बेसिल 'बांग्लादेश भारत डिजिटल सेवा और रोजगार प्रशिक्षण

केंद्र' (बीडीएसईटी) परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें शेख कमाल आईटी प्रशिक्षण और इनक्यूबेशन सेंटर, राजशाही, सिंगरा, खुलना, शेख हसीना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जशोर, ढाका और चटगांव (शेख कमाल आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर, सीयूईटी) में आईसीटी उपकरण और संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है। इस परियोजना को बांग्लादेश सरकार के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केंद्र का उन्नयन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन केंद्र (ईएमपीसी) और आईसीटी बुनियादी ढांचे का उन्नयन टर्नकी आधार पर बीईसीआईएल द्वारा किया जा रहा है।

नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में भवनों के लिए ऑडियो और वीडियो सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

बेसिल नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए ऑडियो और वीडियो सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। कार्य के दायरे में स्थानों का ऑडियो सुदृढीकरण, वीडियो सिस्टम, प्रोजेक्शन सिस्टम, वीडियो प्रबंधन प्लेटफॉर्म, कैमरे और डिजिटल पोडियम समाधान शामिल हैं।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी के लिए संबंधित ध्वनिकी और विद्युत कार्यों के साथ टीवी स्टूडियो की स्थापना

बेसिल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में (एमओओसी) टीवी स्टूडियो और सभी आवश्यक सहायक सुविधाओं जैसे ध्वनिकी, साज-सज्जा, स्टूडियो लाइटिंग, क्रोमा वॉल, एचवीएसी और विद्युत कार्यों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है।

झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची में आईआर के साथ एचडीटीवी स्टूडियो और सीआरएस की स्थापना

बेसिल झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची के लिए एचडीटीवी स्टूडियो, आईआर के साथ सीआरएस और सभी आवश्यक सहायक सुविधाओं जैसे ध्वनिकी, साज-सज्जा, स्टूडियो लाइटिंग, क्रोमा वॉल, एचवीएसी और विद्युत कार्यों की स्थापना के लिए एक परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है।

राष्ट्रीय विधिक अध्ययन एवं अनुसंधान अकादमी में एचडीटीवी स्टूडियो, पीसीआर, संपादन सुइट्स, हाइब्रिड स्मार्ट क्लासरूम, सम्मेलन कक्ष सुविधाओं की स्थापना

बेसिल ने राष्ट्रीय विधिक अध्ययन एवं अनुसंधान अकादमी में एचडीटीवी स्टूडियो, पीसीआर, संपादन सुइट्स, 15 हाइब्रिड स्मार्ट क्लासरूम, सम्मेलन कक्ष सुविधाओं की स्थापना के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया है।

मेघालय सरकार के लिए स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवाओं (अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली) का कार्यान्वयन भागीदार

मेघालय राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों और वितरण में लगातार सुधार किया है। राज्य अपने समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में और सुधार करना चाहता है और देश में सशक्त रूप से चहुंमुखी प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरना चाहता है।

छत्तीसगढ़ सरकार के लिए राज्य-व्यापी वाहन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के विकास, अनुकूलन, परिनियोजन और प्रबंधन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर

बेसिल ने छत्तीसगढ़ सरकार के लिए राज्य-व्यापी वाहन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के विकास, अनुकूलन, परिनियोजन और प्रबंधन के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया है। मोटे तौर पर, परियोजना में निर्दिष्ट वाहनों में आपातकालीन बटन के साथ वाहन ट्रैकिंग डिवाइस की स्थापना, आईसीसीसी के लिए आईटी अवसंरचना की खरीद और स्थापना के साथ-साथ साइट पर एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की स्थापना, उपयोगकर्ता विशिष्ट डैशबोर्ड का डिजाइन और विकास, सभी हितधारकों (विभाग और आम जनता) के लिए एक मोबाइल ऐप का डिजाइन और विकास, परियोजना के चालू होने के बाद अवसंरचना का संचालन और रखरखाव शामिल है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के लिए उद्यम संसाधन नियोजन

बेसिल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को 'प्रबंधित सेवा मॉडल पर वेब आधारित उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी), आपदा रिकवरी और क्लाउड आधारित समाधान' प्रदान कर रहा है। संगठन के भीतर सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान के लिए ईआरपी सभी स्थानों और कार्यात्मक क्षेत्रों में संचालित होगा।

राजस्थान के विश्वविद्यालयों के लिए राज्य विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली

बेसिल राजस्थान के विश्वविद्यालयों में राज्य विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए समाधान प्रदान कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ई-गवर्नेंस सिस्टम को लागू करना, अनुकूलित करना और बनाए रखना है।

नगर पालिका परिषद्, कासगंज और उन्नाव के लिए ईएससीओ मॉडल पर एलईडी परियोजना

यह परियोजना बेसिल को पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलकर ऊर्जा बचाने के लिए दी गई थी। नगर पालिका परिषद्, कासगंज और उन्नाव में सोडियम पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को सफलतापूर्वक एलईडी लाइटों में बदल दिया गया है।

अरुणाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के क्षैतिज विस्तार के लिए सरकारी कार्यालयों को फाइबर टू द ऑफिस कनेक्टिविटी का प्रावधान

बेसिल ने आईटी विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार को 17 जिलों में से प्रत्येक में 10 सरकारी कार्यालयों तक फाइबर टू द ऑफिस तकनीक शुरू कर जिला मुख्यालयों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सेवाएं प्रदान की हैं।

ओडिशा पुलिस और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को 1500 से अधिक एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लाइसेंस की आपूर्ति

बेसिल ने ओडिशा पुलिस और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को 1500 से अधिक एआई-आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लाइसेंस प्रदान किए हैं, जिससे उनकी कानून प्रवर्तन क्षमताएं बढ़ेंगी। यह अत्याधुनिक तकनीक कुशल और सटीक पहचान में

सहायता करेगी, जिससे राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा और अपराध की रोकथाम में योगदान मिलेगा।

कुतुब मीनार, नई दिल्ली में डिजिटल संकल्प परियोजना

बेसिल ने कुतुब मीनार, नई दिल्ली में डिजिटल संकल्प परियोजना को क्रियान्वित किया है, जिसमें पांच-वर्षीय एएमसी के साथ हार्डवेयर की खरीद और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक ऑनलाइन रियल-टाइम वेब एप्लीकेशन का विकास शामिल है।

भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड विभाग को प्रशिक्षण

बेसिल ने कर्नाटक राज्य में अप्रमाणित श्रमिकों को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान किया है। कार्यक्रम के दायरे में श्रमिकों का प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन शामिल है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बेसिल को अवारडिंग बॉडी (डुअल) के रूप में मान्यता

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बेसिल को कौशल खंड में अवारडिंग बॉडी (डुअल) के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता दी गई है। इससे बेसिल को कौशल खंड में अवारडिंग बॉडी/प्रमाणन प्राधिकरण और मूल्यांकन प्राधिकरण दोनों के रूप में काम करने का अनूठा गौरव प्राप्त होता है।

33/11 केवी सबस्टेशनों और एलटी/एचटी वितरण लाइनों का संचालन और रखरखाव

बेसिल ने मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न सर्किलों में 33/11 केवी सबस्टेशनों और एलटी/एचटी वितरण लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए परियोजना को क्रियान्वित किया है।

कर्मचारियों की मानवशक्ति नियुक्ति और तैनाती के बाद प्रबंधन

बेसिल देश भर में विभिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकायों में राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाओं के लिए मानवशक्ति

सेवाएं प्रदान करने वाला अग्रणी सरकारी संगठन है और इसके पास पेशेवर, तकनीकी, गैर-तकनीकी, कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल, उच्च कुशल जैसी विभिन्न श्रेणियों में जनशक्ति प्रदान करने के लिए एक अलग मानव संसाधन विभाग भी है।

बेसिल लगभग 40 सरकारी संगठनों को मानवशक्ति प्रदान कर रहा है, जिसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, एम्स, भारत निर्वाचन आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इंग्नु) आदि शामिल हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

बेसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1,000 करोड़ रुपये के कारोबार को पार करने की उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल कारोबार में 42.40% की वृद्धि दर्ज की है, यानी पिछले वर्ष के 754,20.02 लाख रुपये के कारोबार की तुलना में 1073,99.68 लाख रुपये, जो बेसिल की 28 साल की यात्रा में सबसे अधिक है। कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2022-23 में 405.89 लाख रुपये रहा जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 11,08.87 लाख रुपये था।





केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 13 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में प्रसार भारती - प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो-विजुअल (पीबी-शब्द) तथा डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार की नई वेबसाइटों और न्यूज ऑन एआईआर ऐप का शुभारंभ किया।



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर गोवा में 21 नवम्बर, 2023 को 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, (इफ्फ़ी) में '75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ़ टुमॉरो' के उद्घाटन समारोह में।

फिल्म क्षेत्र से संबंधित सभी मामले जैसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों के आयोजन, फिल्मों का प्रमाणन, फिल्म शूटिंग की अनुमति देना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के आयोजन सहित फिल्म सामग्री के निर्माण, प्रसार और संरक्षण को बढ़ावा देना आदि का काम फिल्म विंग द्वारा संभाला जाता है।

इस संबंध में मंत्रालय का लक्ष्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करना है, ताकि सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में सूचना का प्रभावी ढंग से प्रसार किया जा सके। फिल्म क्षेत्र से संबंधित मंत्रालय का उद्देश्य है :

- सभी आयु वर्ग के लोगों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए अच्छे और मूल्य-आधारित सिनेमा को बढ़ावा देना और विकसित करना तथा इसे प्राप्त करने के लिए नीतिगत संरचना तैयार करना।
- फिल्मों, वीडियो और ऑडियो संसाधनों की अभिलेखीय संपदा का जीर्णोद्धार, डिजिटलकृत, संरक्षित करना और उन तक सार्वजनिक पहुंच को विस्तारित करना।
- फिल्म महोत्सवों और समारोहों के माध्यम से अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना और फिल्म संस्कृति का प्रचार करना।



राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

क. एनएफडीसी में फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, चार पूर्ववर्ती फिल्म मीडिया इकाइयों अर्थात् फिल्म प्रभाग (एफडी); बाल चित्र समिति, भारत

(सीएफएसआई); फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) का पूरी तरह से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) में विलय कर दिया है। 1 जनवरी, 2023 से सभी गतिविधियां एनएफडीसी को हस्तांतरित कर दी गईं।

विलय के बाद एनएफडीसी पूर्ववर्ती फिल्म मीडिया इकाइयों की गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखेगा। यह विलय संसाधनों, परिचालन और विशेषज्ञता को मिलाकर विकास और दक्षता में सुधार सहित विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण साबित हुआ।

ख. फिल्म प्रोत्साहन गतिविधियां

1. 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), गोवा का 20-28 नवम्बर, 2023 तक सफल और बेहतरीन आयोजन

1952 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) दुनिया भर से शानदार फिल्मों का चयन करता रहा है। इसका लक्ष्य महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं, सिनेमा प्रेमियों और उद्योग के पेशेवरों को दुनिया भर के बेहतरीन सिनेमा तक सुगमता प्रदान करने के लिए एकल मंच प्रदान करना है। इफ्फी दक्षिण एशिया का एकमात्र फिल्म महोत्सव है जिसे प्रतिस्पर्धी फीचर फिल्म श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माता संघों के महासंघ (एफआईएपीएफ) द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिल्म उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई, वर्ष की अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को प्रदर्शित करके कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर इसने अपना कद ऊंचा रखा।

2004 से इफ्फी गोवा में अपने स्थायी आयोजन स्थल पर वापिस चला गया है। 54वें फिल्म महोत्सव (इफ्फी) का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा किया गया था। इफ्फी के आयोजन के लिए स्थानीय सहयोग गोवा सरकार की एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा (ईएसजी) द्वारा प्रदान किया जाता है।

54वें इफ्फी की मुख्य विशेषताएं

- 54वें इफ्फी में 105 से अधिक देशों से रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई और कुल 2,926 फिल्मों महोत्सव में प्रदर्शित की गईं। इस वर्ष महोत्सव में 13 विश्व प्रीमियर, 62 एशिया प्रीमियर और 17 अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर, 87 भारतीय प्रीमियर हुए। लाइन-अप में 12 फिल्मों शामिल हैं जो अपने-अपने देशों से ऑस्कर के लिए भेजी गई हैं। कार्यक्रम में महिला फिल्म निर्माताओं की 47 फिल्मों शामिल थीं। महोत्सव में 10,777 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या थी।
- विभिन्न क्यूरेटेड सेक्शन जैसे : फेस्टिवल क्लाइडोस्कोप, इंटरग्रेड (प्रयोगात्मक फिल्मों), मैकाब्रे ड्रीम्स (हॉरर), डॉक्यूमेंटार्ज, एक्सेसिबल फिल्मों, आदि।
- अब्बास अमिनी की फ़ारसी फिल्म 'एंडलेस बॉर्डर्स' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकाक पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- एंथनी चैन द्वारा निर्देशित 'ड्रिफ्ट' को आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक मिला।
- ओपनिंग फिल्म : कैचिंग डस्ट (स्टुअर्ट गैट की अंग्रेजी में स्लो-बर्न थ्रिलर फिल्म), मिड-फेस्ट फिल्म : अबाउट ड्राई ग्रासेस (नूरी बिलगे सीलान द्वारा तुर्की ड्रामा), क्लोजिंग फिल्म : द फेदरवेट (आर. कोलोडनी द्वारा अमेरिकी स्पोर्ट्स बायोपिक)
- 7 भारतीय फिल्मों और 2 वेब-सीरीज का विशेष स्टार-स्टेड गाला में प्रीमियर।
- फिल्म हेरिटेज मिशन के तहत एनएफएआई द्वारा जीर्णोद्धार की गई 7 क्लासिक्स फिल्मों की प्रस्तुति।
- **मास्टरक्लासेज/इन-कन्वर्सेशन सत्र** : प्रख्यात विशेषज्ञों जैसे ब्रिलिएंट मेंडोजा, ब्रेडन गैल्विन, तरसेम सिंह, विजय सेतुपति, पंकज त्रिपाठी, रेसुल पोकुट्टी, गुलशन ग्रोवर, थियोडोर ग्लुक (ऑस्कर अकादमी), माइकल डगलस, कार्टर पिल्वर, मनोज बाजपेयी, करण जौहर, जॉन गोलडवाटर, सनी देओल, राजकुमार संतोषी, मधुर भंडारकर, कार्तिकी गोंसाल्वेस, रानी मुखर्जी, विद्या बालन आदि ने कन्वर्सेशन सत्र में भाग लिया।
- **माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड** : सिनेमा की वैश्विक भाषा के प्रति सम्मान और प्रशंसा अभिव्यक्त करने के लिए हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस ने सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया।



अभिनेता और निर्माता श्री माइकल डगलस (बीच में) गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत और अभिनेता तथा गायक श्री आयुष्मान खुराना से सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करते हुए।



सुश्री माधुरी दीक्षित नेने (बीच में) को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से (बाएं से दाएं) श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री; डॉ. एल. मुरुगन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री; डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री, गोवा द्वारा सम्मानित किया।

उन्होंने भारतीय सिनेमा की सराहना करते हुए 'आरआरआर', 'ओम शांति ओम' और 'लंच बॉक्स' को अपनी पसंदीदा फिल्में बताया। कैथरीन जेटा-जोन्स ने भी भारत में मिले गर्मजोशी और आतिथ्य की प्रशंसा की।

- माधुरी दीक्षित नेने को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया गया।
- इस वर्ष फिल्म क्षेत्र में ओटीटी की बढ़ती भूमिका को चिह्नित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ओटीटी वेब सीरीज पुरस्कार की शुरुआत की गई और यह पुरस्कार अमेज़न के 'पंचायत सीजन 2' को दिया गया।
- कैथरीन जेटा-जोन्स, माइकल डगलस, शेखर कपूर, जेरोम पैलार्ड, कैथरीन डुसार्ट, हेलेन लीक, जोस लुइस अल्केन, जया अहसन, ह्यूग वेल्शमैन, शाहिद कपूर, सनी देओल, श्रेया घोषाल, सुखविंदर सिंह, सारा अली खान, आयुष्मान खुराना, अमित त्रिवेदी आदि सहित कई लोकप्रिय हस्तियों और फिल्मी दिग्गजों ने शानदार उद्घाटन और समापन समारोह में भाग लिया।



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 20 नवम्बर, 2023 को गोवा में 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फ़ी) के उद्घाटन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए। उनके साथ सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन तथा दिग्गज अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने भी शामिल हुए।



अभिनेता और निर्माता श्री माइकल डगलस अपनी पत्नी कैथरीन जेटा-जोन्स और बेटे डायलन के साथ 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रेड कार्पेट पर।



फिल्म 'द फेदरवेट' के कलाकार और कू 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फिल्म) और एमडी (एनएफडीसी) श्री पृथुल कुमार के साथ रेड कार्पेट पर।

- अंतरराष्ट्रीय जूरी में 5 सदस्य थे जिनमें एक भारतीय सदस्य जो जूरी के अध्यक्ष भी थे - शेखर कपूर (जूरी अध्यक्ष), हेलेन लीक, कैथरीन डुसार्त, जोस लुइस अल्केन और जेरोम पैलार्ड जूरी सदस्य थे।
- 200 से अधिक रेड कार्पेट कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रस्तुतियां/सम्मान समारोह जिनमें सलमान खान, अदिति राव हैदरी, एआर रहमान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नागा चैतन्य, भावना राव, श्रुति प्रकाश, संजय मिश्रा, वेद्रीमारन, गुलशन ग़ोवर, तरसेम सिंह, पूजा भट्ट, राधिका मदान, ऋषभ शेट्टी, कौशिक गांगुली, शूजित सरकार, नाना पाटेकर, विपुल शाह आदि शामिल थे।
- प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 75 रचनात्मक सृजनकर्ताओं (क्रिएटिव माइंड्स) में से 45 को फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

- सिने-मेले में नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित करने वाली इमर्सिव सिनेमा प्रदर्शनी शामिल थी।

2. 17वें फिल्म-बाज़ार का आयोजन

17वें फिल्म बाज़ार का आयोजन गोवा में 20-24 नवम्बर, 2023 को भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ़्पी) के साथ किया गया। फिल्म बाज़ार के इस 17वें संस्करण का आयोजन एनएफडीसी ने किया। यह भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के समुदाय और दुनिया भर से व्यवसाय में रुचि रखने वालों के लिए एक रोमांचक और प्रेरणादायक जगह बनी रही। 2023 में फिल्म बाज़ार में 31 देशों के 1,510 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यह आयोजन 2007 में हुई अपनी शुरुआत (18 देशों के 204 अतिथि) के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुका है। इस बार फिल्म बाज़ार में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या अब तक की सबसे अधिक थी। सह-निर्माण बाज़ार, कार्य-प्रगति प्रयोगशाला और बाज़ार स्क्रीनिंग में शामिल वृत्तचित्र, अत्याधुनिक



केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फिल्म) श्री पृथुल कुमार गोवा के मैरिस्ट रिसॉर्ट में फिल्म बाज़ार के उद्घाटन के दौरान।



भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 17 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में वर्ष 2021 के लिए विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए।

फिल्म प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने वाले वीएफएक्स और टेक पैवेलियन; ज्ञान शृंखला में 30 से अधिक क्यूरेटेड सत्र आदि का आयोजित किया गया। बाजार अब दक्षिण एशियाई फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी कहानियों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फिल्म बिरादरी के सामने पेश करने का केंद्र बिंदु बन गया है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में शामिल होना अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों, निर्माताओं, वितरकों और महोत्सव कार्यक्रमकर्ताओं के लिए वार्षिक कैलेंडर का अनिवार्य हिस्सा हो गया है। आखिरी, लेकिन खास बात कि यह एक ऐसा कार्यक्रम भी बन रहा है जहां उद्योग के पेशेवर व्यवसाय में भविष्य के रुझानों के बारे में जानने और अगली बड़ी फिल्म/फिल्म निर्माता की पहचान करने और उनके साथ साझेदारी करने के लिए आ रहे हैं।

वीएफएक्स और टेक पैवेलियन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य उन कंपनियों और हितधारकों को एक साथ लाना है जो सिनेमा, कंटेंट क्रिएशन/प्रोडक्शन और स्टोरीटेलिंग के भविष्य में तकनीकी नवाचारों के लिए बहुत प्रयासरत हैं और अपनी प्रतिभा का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही अपनी अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन और उद्योग के नेताओं के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं तथा अपने व्यवसायों का विस्तार करने के लिए नए अवसरों की खोज कर रहे हैं।

इस वर्ष, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, नेटफिल्क्स, अमेजन, सोनी, फूजीफिल्म और अन्य ने फिल्म बाजार के साथ मिलकर फिल्म निर्माण तकनीक में उन्नति की विभिन्न अवधारणाएं सामने रखीं और बताया कि कैसे इन तकनीकों के समावेश ने उत्पादन और पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रिया को त्वरित, आसान और कुशल बना दिया है।

ग) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 17 अक्टूबर, 2023 को विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार सुश्री वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। इस वर्ष के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ प्रमुख विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी में तमिल फिल्म 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' शामिल है। 'आरआरआर' ने सम्पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता, असमिया फिल्म 'अनुनाद - द रेजोनेंस' को

सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, निखिल महाजन ने 'गोदावरी' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा : द राइज' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जबकि आलिया भट्ट और कृति सेनन ने संयुक्त रूप से अपनी हिन्दी फिल्मों 'गंगूबाई कठियावाड़ी' और 'मिमी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। मलयालम फिल्म 'मेप्पाडियन' को निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला, जबकि मलयालम फिल्म 'आवासव्यूहम' ने पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। 'एक था गांव' सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म रही और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार 'म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल' को मिला।

एनएफडीसी ने 14-25 नवम्बर, 2023 तक नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पुरस्कृत फीचर और गैर-फीचर फिल्मों की सार्वजनिक स्क्रीनिंग आयोजित की।

घ) अंतरराष्ट्रीय प्रमोशन

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के अंतरराष्ट्रीय प्रमोशन ने 2023-24 में अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच भारत और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप किया। इसने भारत और दुनिया भर के बीच सार्थक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आधिकारिक भागीदारी सात प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाजारों में थी, जो इस प्रकार हैं -

अ. कान फिल्म फेस्टिवल, मार्च डू फिल्म 2023

कान फिल्म फेस्टिवल/मार्च डू फिल्म के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने किया। 'भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करना' विषय पर एक भारत मंडप स्थापित किया गया। इसे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा सरस्वती वीणा की अवधारणा पर डिजाइन किया गया था। इफ्की 2023 का पोस्टर और ट्रेलर भी लॉन्च किया गया। भारत और उसके वैश्विक समकक्षों के बीच सिनेमाई संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करने

और वैश्विक सिनेमाई समुदाय के साथ नेटवर्क और कनेक्ट करने के लिए पैनल चर्चा, गोलमेज और इन-कन्वर्सेशन सत्रों सहित समर्पित सत्र आयोजित किए गए।

आ. एनेसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (एमआईएफए) 2023

एनेसी फेस्टिवल और एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म मार्केट (एमआईएफए) के 2023 संस्करण में पहली बार एक भारतीय मंडप स्थापित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने किया था।

इ. टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023

एनएफडीसी ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में भारत की भागीदारी और भारतीय सिनेमा का मजबूत प्रतिनिधित्व किया। आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फिल्म्स) और एमडी(एनएफडीसी) श्री पृथुल कुमार ने किया। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को उजागर करने के लिए एक मंडप स्थापित किया गया था। यह टीआईएफएफ 2023 में भारत की गतिविधियों का केंद्र बन गया। एनएफडीसी, टेलीफिल्म कनाडा, ऑटारियो क्रिएट्स और क्रिएटिव ब्रिटिश कोलंबिया द्वारा सह-प्रस्तुत इंडिया स्पॉटलाइट सत्र का उद्देश्य भारत और कनाडा के बीच सह-निर्माण को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण संधि को सक्रिय करना था। एनएफडीसी ने बांग्लादेश फिल्म विकास निगम (बीएफडीसी) के साथ मिलकर 'मुजीब: द मेकिंग ऑफ नेशन' के विश्व प्रीमियर को सुविधाजनक बनाया। इसके अलावा, सुसी गणेशन द्वारा 'दिल है ग्रे' की एक मार्केट स्क्रीनिंग आयोजित की गई।

ई. ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023

ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 2023 संस्करण में, भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने किया। 2022 संस्करण की तरह, श्री उमेश मेहरा ने भारतीय फिल्म उद्योग का प्रतिनिधित्व किया।

उ. सेमिनसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (वेलाडोलिड, स्पेन, 2023)

भारत 'बियॉन्ड बॉलीवुड' थीम के साथ 'कंट्री ऑफ ऑनर' था। यह स्पेन में दूसरा सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, और स्पेन के साथ भारत के ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण समझौते को सक्रिय करने के लिए भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया। सेमिनसी में, आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर ने किया।

ऊ. यूरोपीय फिल्म बाज़ार 2024

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की विभिन्न पहल को वैश्विक दर्शकों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'फिल्म इन इंडिया' ब्रेकफास्ट नेटवर्किंग सत्र का आयोजन किया गया।

1.) फिल्म निर्माण और वितरण गतिविधियां

अ) फिल्म निर्माण

एनएफडीसी 'विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण' शीर्षक से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्मी सामग्री के विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) योजना के तहत भारतीय सिनेमा में विविधता को दर्शाने वाली फीचर फिल्मों का निर्माण और सह-निर्माण करता है। इस योजना के तहत यह नवोदित फिल्म निर्माताओं को उनकी पहली फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का 100% निर्माण करने और निजी फिल्म निर्माताओं के साथ साझेदारी में अच्छी गुणवत्तापूर्ण फिल्मों का सह-निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

2023-24 में एनएफडीसी द्वारा निर्माण के लिए ली गई फिल्मों का विवरण निम्नानुसार है:

अ. विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्में

- चांग्पा - द स्टोरी ऑफ पोशमीना (सह-निर्माण), भाषा - लद्दाखी, निर्देशक - असद खान
- फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया (स्वयं), भाषा-हिंदी, निर्देशक - अतुल छाबड़ा

- iii. थूया - प्योर सोल (सह-निर्माण), भाषा - असमिया, निर्देशक - प्रभाषित शर्मा
- iv. खासी - फ्रॉम नो व्हेयर टू एवरी व्हेयर (सह-निर्माण), भाषा - असमिया, निर्देशक - सुयश राज
- v. चोको - ए फ्रेंड इन द टी गार्डन (सह-निर्माण), भाषा - असमिया, निर्देशक - सुहानी दहिया

आ. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय फीचर फिल्में

- i. चौसांग ऑन (स्वयं), भाषा- खामती, निर्देशक - नांग तन्वी मनपोंग
- ii. करकेन (स्वयं), भाषा- गालो, निर्देशक - नेंडिंग लोडर
- iii. मोई एटिनिक्ससोर (सह-निर्माण), भाषा-असमिया, निर्देशक - बिद्युत कोटोकी
- iv. गुडबाय गुरुजी (सह-निर्माण), भाषा- असमिया, निर्देशक - अरुणजीत बोरा
- v. पुइनौ पुइदा (सह-निर्माण), भाषा-रोंगमेई, निर्देशक - कचंगथाई गोनन्मेई
- vi. नोरा (सह-निर्माण), भाषा- असमिया, निर्देशक - प्रकाश डेका
- vii. बिबो बिनानाओ (सह-निर्माण), भाषा- बोरो, निर्देशक - केनी देवरी बसुमतारी

इ. पूर्वोत्तर डॉक्यूमेंट्री फिल्में

- i. माजुली - द थ्रिकिंग आइलैंड (स्वयं), भाषा- असमिया, निर्देशक - रतुल बरुआ
- ii. कीपर्स ऑफ द वाइल्ड - अरण्यप्रहरी (सह-निर्माण), भाषा-कर्मा, निर्देशक -एस पलजोर
- iii. फाइंडिंग टिगटेला (सह-निर्माण), भाषा-तांगखुल और मणिपुरी, निर्देशक -ओइनम डोरेन
- iv. शांगरीला - ए हिडन पैराडाइज (स्वयं), भाषा-सिक्किमी, निर्देशक -समतेन भूटिया

ई. पूर्वोत्तर एनिमेशन फिल्मस

- i. इंडियन वूमेन एटलस (स्वयं), भाषा-अंग्रेजी, निर्देशक -सुनील धनकर
- ii. रानी गाइदिन्ल्यू - द आइकॉनिक वूमेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया (स्वयं), भाषा-अंग्रेजी, निर्देशक -एस.वी.
- iii. यू - कियांग नांगबाह - द ग्लोरियस रिबेल (सह-निर्माण), भाषा-हिंदी, निर्देशक -देवेन्द्र कुमार चोपड़ा
- iv. यू-वामांग, (स्वयं), भाषा-मीतेइलोन, निर्देशक -त्रिशूल युमनाम

उ. आज्ञादी का अमृत महोत्सव पर वृत्तचित्र

- i. ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, भाषा-हिंदी/मराठी/अंग्रेजी, निर्देशक - नीलेश शिर्के और बरमदेव शर्मा
- ii. भारती और बिबो, भाषा-हिंदी, निर्देशक - स्नेहा रविशंकर

ऊ. 2023-24 के दौरान पूर्ववर्ती फिल्म प्रभाग द्वारा शुरू किए गए वृत्तचित्रों की संख्या (राज्य और भाषावार)

क्र.सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	वृत्तचित्र	भाषा
1	मणिपुर	2	मणिपुरी और अंग्रेजी
2	उत्तर प्रदेश	2	हिंदी
3	पश्चिम बंगाल	1	अंग्रेजी
4	त्रिपुरा	1	डारलॉग
5	असम	1	अंग्रेजी
6	अरुणाचल प्रदेश	1	अंग्रेजी
7	जम्मू और कश्मीर	1	हिंदुस्तानी
	कुल	9	

ए. भारत - बांग्लादेश सह-निर्माण

बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान पर बायोपिक *मुजीब - द मेकिंग ऑफ़ ए नेशन (बांग्ला)*, जिसका निर्देशन श्री श्याम बेनेगल ने किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सह-निर्माण समझौते के तहत, एनएफडीसी इंडिया और बांग्लादेश फिल्म विकास निगम (बीएफडीसी) ने क्रमशः एनएफडीसी और बीएफडीसी के बीच 40:60 के अनुपात में बजट निवेश के साथ फिल्म 'बंगबंधु' के सह-निर्माण के लिए 14 जनवरी, 2020 को हस्ताक्षर किए। कुल उत्पादन बजट 72.73 करोड़ रुपये है, (एनएफडीसी 29.09 करोड़ रुपये और बीएफडीसी 43.64 करोड़ रुपये है)। फिल्म पूरी होने पर 12 अक्टूबर, 2023 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाणन प्राप्त हुआ। इसे पहली बार 13 सितम्बर, 2023 को टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया और उसके बाद 13 अक्टूबर, 2023 को बांग्लादेश में और फिर 27 अक्टूबर, 2023 को भारत और विदेशों में रिलीज किया गया।

2) फिल्मों का वितरण

एनएफडीसी ने अपनी फिल्मों का वितरण सिनेमा हॉल में वितरण, सिंडिकेशन, सिनेमा ऑफ़ इंडिया ओटीटी, निर्यात, और फिल्म समारोहों के माध्यम से किया। एनएफडीसी फिल्म प्रदर्शन और वितरण के सभी अद्यतन तरीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके दर्शकों को सिनेमा दिखाने में सफल रहा है। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पूरे साल एनएफडीसी फिल्मों को स्ट्रीम करता है और दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है।

एनएफडीसी ने इना10प्रा. लि. (एपिक ऑन) के साथ घरेलू वितरण में एनएफडीसी की 60 लाइब्रेरी फिल्मों के लिए 18 महीने की अवधि हेतु दुनिया भर के क्षेत्रों के लिए विशेष लाइसेंसिंग डील को औपचारिक रूप दिया। भारत में सैटेलाइट अधिकारों के लिए 5 साल की अवधि हेतु कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (सोनी) के साथ 10 मराठी फिल्मों के लाइसेंस सौदे को नवीनीकृत किया गया, साथ ही, नवीनीकरण सौदे में लाइसेंस समझौते में 3 बाल फिल्मों भी जोड़ी गईं।

निर्यात वितरण में कार्लोटा फिल्म्स के साथ सत्यजीत रे की 6 फिल्मों और वृत्तचित्रों सहित 5 साल की अवधि के लिए फ्रांस को लाइसेंस दिया। इसके अलावा, मणि कौल की 4 फिल्मों के लिए ईडी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ 3 साल की अवधि हेतु विशेष रूप से फ्रांस के क्षेत्र के लिए लाइसेंस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए। ऑस्ट्रेलिया में इफ्फी प्लेटफ़ॉर्म के लिए **माइंड ब्लोइंग फिल्म्स**, ऑस्ट्रेलिया के साथ एनएफडीसी के 12 शीर्षकों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, यह सौदा 12 महीने की अवधि के लिए नॉन-एक्सक्लूसिव आधार पर है।

एनएफडीसी की फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों और बच्चों की फिल्मों के लिए भारत और विदेशों में विभिन्न फिल्म समारोहों, संग्रहालयों और विभिन्न फिल्म क्लबों में स्क्रीनिंग आयोजित की गईं। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्वीकृति आदेशों के अनुसार भारत के 4 राज्यों अर्थात् नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में बाल फिल्मों की स्क्रीनिंग की गईं। इसके अलावा, एनएफडीसी ने स्कूली बच्चों के लिए एलसीडी से गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में बाल फिल्मों की स्क्रीनिंग की भी सुविधा प्रदान की।

एनएफडीसी ने अपना नवीनतम सह-निर्माण *'मुजीब - द मेकिंग ऑफ़ ए नेशन'* जारी किया। यह फिल्म 13 अक्टूबर, 2023 को बांग्लादेश में सिनेमा घरों में रिलीज हुई और देश के सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसने जोरदार प्रतिक्रिया हासिल की। फिल्म को भारत और विदेशों में पैनोरमा स्टूडियो इंटरनेशनल द्वारा 27 अक्टूबर, 2023 को रिलीज किया गया। फिल्म का भव्य प्रीमियर 12 अक्टूबर, 2023 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ जो एक महत्वपूर्ण अवसर था और जिसमें बांग्लादेश की महामहिम प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना उपस्थित थीं।

एनएफडीसी का वितरण विभाग दुनिया भर के सभी प्रमुख फिल्म बाजारों में अपना प्रतिनिधित्व बनाए है और सभी प्रसिद्ध बाजारों जैसे कि मार्च डू कान, यूरोपीय फिल्म बाजार (ईएफएम), फिल्मआर्ट आदि में 'एनएफडीसी' को ब्रांड के रूप में स्थापित करता है और ए-लिस्ट फेस्टिवल प्रोग्रामर्स, अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों/वितरकों और प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ बेहतरीन संबंध बनाता है और संभावित साझेदारी और कंटेंट विक्रय की तलाश करता है।

3) फिल्म संरक्षण

एनएफडीसी-भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफडीसी-एनएफएआई)

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) की स्थापना फरवरी, 1964 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। भारत में एनएफएआई एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे भारत की समृद्ध और विविध सिनेमाई विरासत को प्राप्त करने और संरक्षित करने का कार्य सौंपा गया है। 1 जनवरी, 2023 से राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) की सभी गतिविधियां राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को हस्तांतरित कर दी गई है।

फिल्म संरक्षण अनुभाग में अधिग्रहण

वर्ष 2023-24 के दौरान 150 शीर्षकों का अधिग्रहण किया गया। इस संग्रह में विभिन्न भारतीय भाषाओं- हिंदी, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल और गुजराती की फिल्में 35 मिमी और 16 मिमी फिल्में एलीमेंट में शामिल हैं। उपर्युक्त फिल्म एलीमेंट में मूल कैमरा निगेटिव, रिलीज प्रिंट, साउंड निगेटिव, मास्टर पॉजिटिव और डुप्लीकेट निगेटिव शामिल हैं। अधिग्रहण का ब्यौरा इस प्रकार है:

दीर्घकालिक ऋण (एलटीएल) के माध्यम से अधिग्रहण

- 106 शीर्षक

दान के माध्यम से अधिग्रहण - 108 शीर्षक

खरीद प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहित - 587 शीर्षक

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) : भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित परियोजना है जिसे नवम्बर, 2016 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत की फिल्म विरासत का संरक्षण, परिरक्षण डिजिटलीकरण और जीर्णोद्धार है। मंत्रालय ने एनएफएचएम को समर्थन देने के लिए 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए कुल 544.82 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसकी देखरेख एनएफडीसी-राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई), पुणे द्वारा की जाती है।

- मार्च, 2022 में, फिल्म रीलों के लिए **निवारक संरक्षण परियोजना** प्रसाद कॉरपोरेशन और एल'इमेजिन रिट्रोवाटा के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में शुरू की गई थी।

इस परियोजना में रीलों के क्षय की रोकथाम, क्षति होने पर मरम्मत, कैटलॉगिंग, मेटा-टैगिंग और अंतरराष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार मानकों के अनुसार फिल्म रीलों की पुनर्व्यवस्था सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं। एनएफडीसी-एनएफएआई ने वर्तमान में 2023 में 60,557 फिल्म रीलों में से लगभग 47,777 रीलों का निवारक संरक्षण पूरा कर लिया है।

- **डिजिटलीकरण परियोजना** 5,113 सेल्युलाइड फिल्मों पर केंद्रित है, जिसमें 2,345 फीचर और 2,768 शॉर्ट्स शामिल हैं। डिजिटलीकरण के लिए अत्याधुनिक अभिलेखीय फिल्म स्कैनर जैसे कि चित्र के लिए एरिस्कैन एक्सटी स्कैनर और सॉडोर रेजोनेंस ऑडियो स्कैनर का उपयोग किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत, रीलों की स्कैनिंग से पहले, आगे की स्कैनिंग के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तत्व का चयन किया जाता है। इसके बाद, अंतिम रूप से चुनी गई फिल्मों की रीलों की मैन्युअल जांच की जाती है और फिर रीलों को अल्ट्रा-क्लीनिंग सेक्शन में साफ किया जाता है। फिर, रीलों को अलग-अलग चित्र और ध्वनि स्कैनिंग के लिए भेजा जाता है। वर्ष 2023 में, एनएफडीसी-एनएफएआई ने 4 हजार और 2 हजार पिक्सल रिजॉल्यूशन में 755 फीचर फिल्मों और 1,418 लघु फिल्मों का डिजिटलीकरण किया है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मई, 2022 में एनएफएचएम के तहत 363 करोड़ रुपये के बजट के साथ **फिल्म संरक्षण (रिस्टोरिशन) परियोजना** की घोषणा की। इस परियोजना का लक्ष्य 2,253 फिल्मों का जीर्णोद्धार करना है, जिसमें 1,145 फीचर और 1,108 शॉर्ट्स शामिल हैं। जीर्णोद्धार के लिए शीर्षकों का निर्धारण करने हेतु भाषावार समितियां बनाई गई हैं जिनमें फिल्म निर्माता, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता, फिल्म इतिहासकार, निर्माता और अन्य डोमेन विशेषज्ञ शामिल हैं। एनएफडीसी-एनएफएआई ने जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया है। फीचर और शॉर्ट्स दोनों में 300 शीर्षकों पर जीर्णोद्धार का काम 2023 में शुरू हुआ।

फिल्म भंडारण/संरक्षण

एनएफडीसी-एनएफएआई में अभिलेखीय मानकों और विशिष्टताओं के साथ 27 अत्याधुनिक, फिल्म संरक्षण सुविधाएं/वॉल्ट हैं। इन वॉल्ट में लगभग 2 लाख फिल्म रील भंडारण की

क्षमता है। फिल्म वॉल्ट को ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों, रंगीन फिल्मों और नाइट्रेट-आधारित फिल्मों के आधार पर निश्चित तापमान पर रखा जाता है।

एनएफडीसी-एनएफएआई चरण 3 का विस्तार:

एनएफडीसी-एनएफएआई की चरण 3 विस्तार परियोजना 2024 में पूरी हो जाएगी। इस नए चरण में छह नए सेल्यूलॉइड वॉल्ट शामिल हैं, जो हमारी फिल्म संरक्षण क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। इन वॉल्ट को लगभग 2 लाख (200,000) फिल्म रील रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त, नई इमारत में कागज और फोटोग्राफिक सामग्री को संरक्षित करने के लिए चार विशेष वॉल्ट हैं, साथ ही एलटीओ टेप की सुरक्षा के लिए एक वॉल्ट भी है। यह विस्तार हमारे मौजूदा बुनियादी ढांचे में एक अमूल्य वृद्धि है, जिसमें पहले से ही 27 फिल्म संरक्षण सुविधाएं शामिल हैं, जो सभी अभिलेखीय मानकों और विनिर्देशों के अनुसार बनाई गई हैं।

2023-24 में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में एनएफडीसी-एनएफएआई की प्रमुख प्रसार गतिविधियां

- 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी), गोवा 2023 : 22 नवम्बर से 28 नवम्बर, 2023 तक इफ्फी, गोवा में एनएफडीसी-एनएफएआई संग्रह से प्रदर्शित दीवार पोस्टर, गीत पुस्तिकाएं, पैम्फलेट, स्लाइड और तस्वीरों की विशेषता वाला एक मंडप स्थापित किया गया। प्रदर्शनी ने एनएफडीसी-एनएफएआई के काम और फिल्म तथा संबंधित सहायक सामग्रियों को संरक्षित करने के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम किया।
- नवम्बर, 2023 में रिस्टोर्ड क्लासिक्स सेक्शन के तहत 54वें इफ्फी में निम्नलिखित फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई : बीस साल बाद (1962/हिंदी/बीरेन नाग/डीसीपी), हकीकत (1964/हिंदी/चेतन आनंद/डीसीपी), विद्यापति (1937/बांग्ला/देबकी बोस/डीसीपी), पातालभैरवी (1951/तेलुगु/के.वी. रेड्डी/डीसीपी), गाइड (1965/हिंदी/विजय आनंद/डीसीपी), कोरस (1974/बांग्ला/मृणाल सेन/डीसीपी), श्यामची आई (1953/मराठी/पी.के. अत्रे/डीसीपी)
- गोवा के मैरियट रिसॉर्ट में 20 से 24 नवम्बर, 2023 के बीच फिल्म बाजार के 17वें संस्करण में व्यूइंग रूम सेक्शन

के तहत निम्नलिखित फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई : नदिया के पार (1948/हिंदी/किशोर साहू/डीसीपी), सरगम (1950/हिंदी/पी.एल. संतोषी/डीसीपी), मिर्जा ग़ालिब (1954/हिंदी/सोहराब मोदी/डीसीपी)।

- शतरंज के खिलाड़ी (1977 / हिंदी / सत्यजीत रे / डीसीपी), सुवर्णरेखा (1965 / बांग्ला / ऋत्विक् घटक / डीसीपी), चंद्रलेखा (1948 / तमिल / एस.एस. वासन / डीसीपी), इरु कोडुगल (1969 / तमिल / के. बालचंद्र / डीसीपी), चिदंबरम (1985 / तमिल / जी. अरविंदन / डीसीपी) की स्क्रीनिंग जनवरी, 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में की गई।
- जीर्णोद्धार के बाद 4 हजार पिकसल की फिल्मों 'प्रतिद्वंदी' (1970/बांग्ला/सत्यजीत रे/डीसीपी), हीरक राजारदेशे (1980/ बांग्ला/सत्यजीत रे/डीसीपी) और सोनार केवला (1970/ बांग्ला/सत्यजीत रे/डीसीपी) की एकेडमी फिल्म म्यूजियम, लॉस एंजेलिस, अमेरिका में 'सत्यजीत रे रेट्रोस्पेक्टिव' के हिस्से के रूप में मार्च, 2023 में स्क्रीनिंग की गई।
- 23 मार्च को कोच्चि-मुजिरिस बिनाले में विद्यार्थी काले इथिले इथिले (1972/मलयालम/ जॉन अब्राहम) की स्क्रीनिंग हुई।
- अगस्त, 2023 में सिनेमैटेका ब्रासिलेरा (साओ पाउलो-ब्राजील में भारत के महावाणिज्य दूतावास, एक्सपीडी डिवीजन, विदेश मंत्रालय के माध्यम से) में आशानी संकेत (1973/बांग्ला/ सत्यजीत रे) की स्क्रीनिंग हुई।
- फिल्मोटेका डे कैटालुन्या, बार्सिलोना, स्पेन में भुवन शोम (1969/बांग्ला/ मृणाल सेन/डीसीपी) की 26-29 सितम्बर, 2023 को स्क्रीनिंग की गई।
- सितम्बर, 2023 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फिल्म पोडियम पर 4 हजार पिकसल रिस्टोर्ड गणशत्रु (1989/बांग्ला/सत्यजीत रे/डीसीपी) और आगंतुक (1991/बांग्ला/सत्यजीत रे/डीसीपी) की स्क्रीनिंग हुई।
- अभिनेता देव आनंद के जन्म शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में, एनएफडीसी-एनएफएआई ने फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के सहयोग से सितम्बर, 2023 में भारत के 30 शहरों में पीवीआर-आईएनओएक्स में निम्नलिखित स्क्रीनिंग की: गाइड

(1965/हिंदी/विजय आनंद/डीसीपी), सीआईडी (1956/हिंदी/राज खोसला/डीसीपी), ज्वेल थीफ (1967/हिंदी/विजय आनंद/डीसीपी) और जॉनी मेरा नाम (1970/हिंदी/विजय आनंद/डीसीपी)।

- माया दर्पण (1972/हिंदी/कुमार शाहनी/डीसीपी) की अक्टूबर, 2023 में स्पेन में सेमिनसी वलाडोलिड अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग की गई।
- नवम्बर, 2023 में बुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक, न्यूयॉर्क में कलकत्ता 71 (1972/बांग्ला/मृणाल सेन/डीसीपी) की स्क्रीनिंग हुई।
- नवम्बर, 2023 में शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो, अमेरिका में मृणाल सेन रेट्रोस्पेक्टिव के हिस्से के रूप में निम्नलिखित फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई : भुवन शोम (1969/बांग्ला/मृणाल सेन/डीसीपी), खंडहर (1984/बांग्ला/मृणाल सेन/डीसीपी), अकालेर संधाने (1982/बांग्ला/मृणाल सेन/डीसीपी)।
- 19 दिसम्बर, 2023 को बीएफआई, लंदन में 4 हजार पिक्सल की रिस्टोर्ड आशानी संकेत (1973 / बांग्ला / सत्यजीत रे / डीसीपी) की स्क्रीनिंग हुई।
- दिसम्बर, 2023 में 'रिवर टू रिवर फिल्म फेस्टिवल', फ्लोरेंस में निम्नलिखित फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई : 'भुवन शोम (1969/ बांग्ला/मृणाल सेन/डीसीपी) और इंटरव्यू (1971/बांग्ला/मृणाल सेन/डीसीपी)'।
- 13 फरवरी, 2024 को स्वीडिश फिल्म इंस्टीट्यूट, माल्मो, स्वीडन (डीसीपी) के फिल्मस्टेडन में दो बीघा जमीन (हिंदी/1953/बिमल रॉय/2 हजार पिक्सल) फिल्म की स्क्रीनिंग हुई।
- 9 मार्च, 2024 को स्वीडिश फिल्म इंस्टीट्यूट, गोथेनबर्ग में दो बीघा जमीन (हिंदी/1953/बिमल रॉय/2 पिक्सल रिस्टोर्ड वर्जन-2012 रिस्टोरेशन) की स्क्रीनिंग हुई।

च) फिल्म सुविधा कार्यालय

फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2015 में एनएफडीसी के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य फिल्म क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा

देना और विदेशी फिल्म निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने के लिए भारत को फिल्मांकन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना था। एफएफओ अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों फिल्म निर्माताओं को एकल खिड़की सुविधा और मंजूरी तंत्र प्रदान करता है। 1 फरवरी, 2019 से फिल्म सुविधा कार्यालय घरेलू फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए व्यापार करने में आसानी हो रही है। एफएफओ की भूमिका 1 जनवरी, 2023 से इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से संचालित की गई है, जो देश में विदेशी निवेश को संभालने के लिए शीर्ष निकाय है और राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क भी रखता है।

अ. वित्त वर्ष 2023-24 में एफएफओ द्वारा सुगम की गई अंतरराष्ट्रीय फिल्मों

प्रोडक्शन के प्रकार	नं.
फीचर फिल्मों	25
लघु फिल्मों	3
सह-निर्माण	7
एनिमेशन	4
रियलिटी टीवी शो/वेब सीरीज	8

आ. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एफएफओ द्वारा सुगम की गई घरेलू फिल्मों

प्रोडक्शन के प्रकार	नं.
फीचर फिल्म	16
रियलिटी टीवी शो/वेब सीरीज	5

प्रोत्साहनों में संशोधन: 2022 में फिल्म को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी निर्माणों और सह-निर्माण शुरू किए गए हैं और वह कई गुना बढ़े भी हैं। प्रोत्साहनों की सीमा को बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है और इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित और सरल बनाया गया है। संशोधित योजनाओं की घोषणा माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इफ्फी 2023 के उद्घाटन समारोह में की।

प्रोत्साहनों को लोकप्रिय बनाना: फिल्म सुविधा कार्यालय ने

कई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जैसे कि सम्मेलन, सत्र, विदेशी मिशनों के साथ गोलमेज चर्चा, वेबिनार, बैठकें आदि। मंत्रालय और एनएफडीसी द्वारा भाग लिए गए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कार्यक्रमों में भारत में फिल्मांकन के लाभों और प्रोत्साहन योजना पर एफएफओ द्वारा लघु फिल्म और अन्य प्रचार सामग्री तैयार की गई। प्रोत्साहन योजना में संशोधन के बाद, एफएफओ द्वारा निर्मित संशोधित योजना वाली अन्य फिल्म का उपयोग इफ्फी 2023 के उद्घाटन पर योजना की घोषणा करने के लिए किया गया। संशोधित प्रोत्साहन योजना पर डिजिटल मार्केटिंग अभियान भी शुरू किया गया है।

एफएफओ वेबपोर्टल का पुनरुद्धार: एफएफओ वेबपोर्टल ffo.gov.in को 2018 में फिल्मांकन अनुमतियों और भारत में फिल्मांकन से संबंधित अन्य संसाधनों के लिए एकल खिड़की संसाधन के रूप में कार्य करने हेतु लॉन्च किया गया है। अब वेबसाइट को पुनर्निर्मित और पुनः डिजाइन किया जा रहा है ताकि इसमें सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं और डिजाइन शामिल किए जा सकें और साथ ही सुविधा प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित किया जा सके।



भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत 1960 में की गई थी। 1971 में टेलीविजन विंग को जोड़ने के बाद, संस्थान का नाम बदलकर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) कर दिया गया। अक्टूबर, 1974 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत संस्थान को सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। एफटीआईआई सोसायटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्तियां, संस्थान के पूर्व छात्र और पदेन सरकारी सदस्य शामिल हैं। संस्थान का संचालन अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक शासी परिषद् द्वारा किया जाता है। संस्थान की शैक्षणिक नीतियां अकादमिक परिषद् द्वारा तैयार की जाती हैं। वित्त से जुड़े मामलों को स्थायी वित्त समिति

द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

संस्थान में दो विंग हैं: फिल्म और टेलीविजन। तीन वर्षीय पाठ्यक्रम निर्देशन और पटकथा लेखन, छायांकन, ध्वनि रिकॉर्डिंग और ध्वनि डिजाइन, संपादन और कला निर्देशन और उत्पादन डिजाइन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करते हैं। संस्थान स्क्रीन एक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग (फिल्म, टीवी और वेब सीरीज) में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। टेलीविजन पाठ्यक्रमों में टीवी निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमैटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शामिल है।

मुख्य विशेषताएं

- 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में एफटीआईआई ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिभागियों के लिए 75 लघु पाठ्यक्रम निःशुल्क संपन्न किए हैं। यह पाठ्यक्रम पूरे भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में संचालित किए जाते हैं और इस पहल से 1400 से अधिक प्रतिभागियों को लाभ हुआ है।
- एफटीआईआई ने अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान 39 लघु पाठ्यक्रम आयोजित किए। यह पाठ्यक्रम पूरे भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में संचालित किए जाते हैं और इस पहल से 1,149 से अधिक प्रतिभागियों को लाभ हुआ है।
- भारतीय सूचना सेवा-समूह 'ए' के अधिकारियों के लिए फिल्म एप्रिसिएशन और स्मार्ट फोन फिल्म निर्माण में बुनियादी पाठ्यक्रम में लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 जून से 30 जून, 2023 तक एफटीआईआई परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें 20 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।
- अमेज़न प्राइम वीडियो ने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर 30 जुलाई, 2023 को एफटीआईआई में 'क्राफ्टिंग स्टोरिज डैट रेजोनेट' विषय पर एक मास्टरक्लास का आयोजन किया। मीडिया, मनोरंजन और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा आयोजित यह पहला मास्टरक्लास था।

- एफटीआईआई के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष श्री आर. माधवन ने 5 अक्टूबर, 2023 को एफटीआईआई का दौरा किया। श्री आर. माधवन ने अपनी यात्रा के दौरान कई वार्ताओं और चर्चाओं में भाग लिया, जिससे एफटीआईआई समुदाय में ऊर्जा का संचार हुआ।
- एफटीआईआई ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में वृत्तचित्र फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया। निदेशक, एफटीआईआई ने शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्मों के विजेताओं को उपलब्धि का प्रमाण-पत्र और एक लाख रुपये (100000/- रुपये) का नकद पुरस्कार प्रदान किया। एफटीआईआई द्वारा 26 जनवरी, 2024 को पुरस्कारों की घोषणा की गई।

फिल्म समारोह/छात्र पुरस्कार

2018 बैच के एफटीआईआई टीवी निर्देशन के छात्र श्री सूरज मधाले ने 27 से 29 अप्रैल, 2023 तक उस्मानिया विश्वविद्यालय

के शैक्षिक और मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र में आयोजित 24वें सीईसी - यूजीसी शैक्षिक वीडियो महोत्सव में फिल्म 'वावतल' (वर्लविड) के लिए सर्वश्रेष्ठ एमेचर वीडियो प्रोडक्शन का पुरस्कार जीता। सूरज की यह फिल्म उनके टीवी निर्देशन के पाठ्यक्रम के दौरान एक अकादमिक प्रोजेक्ट थी।

एफटीआईआई ने छात्र फिल्म 'श्री टू वन' के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिसे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया। 'श्री टू वन' के निर्देशक हिमांशु प्रजापति को भी 17 अक्टूबर, 2023 को माननीय राष्ट्रपति से यह पुरस्कार मिला।

अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, एफटीआईआई ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग लिया, 22 राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 103 फिल्मों प्रस्तुत कीं। इसके बाद, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) की 25 छात्र फिल्मों को भारत भर में 14 राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में स्क्रीनिंग के लिए सफलतापूर्वक शॉर्टलिस्ट



फिल्म समीक्षक और '75 ईयर्स, 75 फिल्म्स: इंडियाज सिनेमैटिक जर्नी', नामक पुस्तक के लेखक श्री अमिताव नाग अगस्त, 2023 को एसआरएफटीआईआई में पुस्तकालय समिति के सदस्यों के साथ पुस्तक के विमोचन के अवसर पर। पुस्तक का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया।

किया गया। इन छात्र कृतियों में से 12 फिल्मों को 9 अलग-अलग राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जो एफटीआईआई से निकलने वाली उत्कृष्ट प्रतिभा को उजागर करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एफटीआईआई ने जनवरी, 2023 और मार्च, 2024 के बीच दुनिया भर के आठ देशों के 21 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 96 छात्र फिल्में प्रस्तुत करके अपनी पहुंच का विस्तार किया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 4 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में स्क्रीनिंग के लिए एफटीआईआई की 6 छात्र फिल्मों का चयन हुआ, जिससे इन उभरते फिल्म निर्माताओं को वैश्विक मंच उपलब्ध हुआ।



सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई)

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1995 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत किया गया था। कोलकाता में स्थित और महान फिल्मकार सत्यजीत रे के नाम पर स्थापित एसआरएफटीआई फिल्म और टेलीविजन निर्माण की कला तथा तकनीक में उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा व तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है।

संस्थान फिल्मों में 6 विशेषज्ञताओं में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। ये हैं - (1) निर्देशन और पटकथा लेखन, (2) छायांकन, (3) संपादन, (4) ध्वनि रिकॉर्डिंग और डिजाइन, (5) फिल्म और टेलीविजन के लिए निर्माण और (6) एनिमेशन सिनेमा। यह संस्थान इन 6 विशेषज्ञताओं में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया (ईडीएम) संबंधी 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा

कार्यक्रम प्रदान करता है - इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए छायांकन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए लेखन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए निर्देशन तथा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए संपादन तथा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए ध्वनि।

मुख्य विशेषताएं

- कोल इंडिया ऑडियो-विजुअल परियोजना के लिए पोस्ट-प्रोडक्शन ईडीएम विभाग के संपादन संबंधी संकाय द्वारा किया गया था। संस्थान द्वारा कई लघु वीडियो स्पॉट तैयार किए गए और 20 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत किए गए।
- एसआरएफटीआई ने 'बांग्ला अबार' के सहयोग से एसआरएफटीआई परिसर में 24 से 27 मार्च, 2023 तक चार दिवसीय फिल्म महोत्सव 'बंगाल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023' का आयोजन किया। इस महोत्सव का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री सी.वी. आनंद बोस ने किया।
- दुनिया भर के सीआईएलईसीटी से सम्बद्ध फिल्म स्कूलों की 278 छात्र फिक्शन, नॉन-फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों की समीक्षा विभिन्न विभागों के संकायों द्वारा की गई और मार्च-जून, 2023 के दौरान सीआईएलईसीटी पुरस्कारों के लिए मतदान किया गया।
- एसआरएफटीआई से चयनित छात्र अप्रैल, 2023 में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इटली में डॉक्यूमेंट्री के लिए जीएलआईजी स्कूल गए।
- 2 मई, 2023 को एसआरएफटीआई ने सत्यजीत रे की 102वीं जयंती 'शतरंज के खिलाड़ी' के डिजिटल रूप से जीर्णोद्धार संस्करण की विशेष स्क्रीनिंग के साथ मनाई, जिसके बाद प्रोफेसर एन. मनु चक्रवर्ती द्वारा 'सत्यजीत रे का सिनेमा और समय की वास्तविकताएं' पर सत्यजीत रे स्मारक वार्ता आयोजित की गई।

- एसआरएफटीआई ने कोलकाता के गोएथे-इंस्टीट्यूट के सहयोग से 29 से 31 मई, 2023 तक एसआरएफटीआई में दिग्गज जर्मन फिल्म निर्माता रेनर वर्नर फासबिंदर की तीन फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की।
- विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत, एसआरएफटीआई ने बांग्लादेश की 16 महिला टीवी पत्रकारों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सतत विकास लक्ष्यों पर 4 सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित किया। यह पाठ्यक्रम 31 जुलाई से 25 अगस्त, 2023 के बीच एसआरएफटीआई परिसर में आयोजित किया गया था।
- आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग (डीपीडी) ने प्रमुख फिल्म समीक्षक और एसआरएफटीआई पुस्तकालय समिति के विशेषज्ञ सदस्य श्री अमिताव नाग द्वारा लिखित '75 ईयर्स, 75 फिल्म्स : इंडियाज सिनेमैटिक जर्नी' नामक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक का विमोचन अगस्त, 2023 में एसआरएफटीआई में किया गया।
- एसआरएफटीआई ने 30 अगस्त से 11 सितम्बर, 2023 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 26 छात्रों के लिए दो सप्ताह का फिल्म एप्रिसिएशन पाठ्यक्रम आयोजित किया।
- एसआरएफटीआई ने नए युग के दर्शकों के लिए पीरियड ड्रामा बनाने पर अमेज़न प्राइम के सहयोग से 11 सितम्बर, 2023 को एक विशेष मास्टर क्लास आयोजित की। पैनल में प्रख्यात फिल्म निर्देशक श्री विक्रमादित्य मोटवाने, श्री सिद्धांत गुप्ता, प्राइम वीडियो इंडिया के हिंदी ओरिजिनल के प्रमुख श्री निखिल मधोक शामिल थे।
- अर्जेंटीना और क्यूबा के प्रतिभागियों के लिए 30 अक्टूबर, 2023 को एसआरएफटीआई में फिल्म निर्माण, सह-निर्माण और वितरण पर 3 सप्ताह का आईटीईसी पाठ्यक्रम शुरू हुआ। यह 17 नवम्बर, 2023 को एसआरएफटीआई के निदेशक की उपस्थिति में प्रतिभागियों के लिए एक विदाई कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ।
- एसआरएफटीआई द्वारा 13 से 15 दिसम्बर, 2023 तक क्लासरूम थिएटर में 'ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म एजुकेशन' पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण और सिद्धांतों के साथ मौजूदा फिल्म शिक्षा ढांचे की समीक्षा और मूल्यांकन करना था। इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों ने भाग लिया।
- निर्देशन और पटकथा लेखन विभाग ने विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए पटकथा लेखन पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का संचालन प्रख्यात बॉलीवुड फिल्म निर्माता श्री अभिषेक चौबे ने किया।
- एसआरएफटीआई ने 16 से 22 मार्च, 2024 तक एनएफडीसी और एनएफएआई के सहयोग से एक अनूठा कार्यक्रम, आर्क्यूरिया (एआरसीयूआरईए) प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य वैश्विक संदर्भ में फिल्म संग्रह, क्यूरेशन और जीर्णोद्धार के महत्त्व पर प्रकाश डालना था। 7 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम सिनेमा के साथ एक बहुआयामी शैक्षणिक जुड़ाव था, जिसमें फिल्म संग्रह और जीर्णोद्धार पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, भारतीय सिनेमा पर ध्यान केंद्रित करने वाले छात्रों के लिए एक सिनेमा क्यूरेशन कार्यशाला, एनएफडीसी-एनएफएआई द्वारा जीर्णोद्धार की गई फिल्मों का एक उत्सव, क्यूरेटेड पैकेजों से फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग, फिल्म का यादगार प्रदर्शन, लाइव प्रदर्शन और एक स्मरणोत्सव व्याख्यान शामिल थे।

4. फिल्म समारोहों में भागीदारी और पुरस्कार

नाम	विभाग	फिल्म का शीर्षक	पुरस्कार/महोत्सव
कानू बहल	निर्देशन और पटकथा लेखन (पूर्व छात्र)	आगरा	कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में प्रीमियर (16-27 मई, 2023) डायरेक्टर्स फोर्टनाइट
हाओबम पबन कुमार	निर्देशन और पटकथा लेखन (पूर्व छात्र)	जोसेफस सन	शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 2023 में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में वर्ल्ड प्रीमियर (9-18 जून, 2023)
सौरव राय	निर्देशन और पटकथा लेखन (पूर्व छात्र)	गुरास	विशेष जूरी पुरस्कार, कार्लोवी वैरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 (30 जून-8 जुलाई, 2023)
सूचना साहा	एनिमेशन सिनेमा (छात्र)	प्रियो अमी	युगो बाफ्टा स्टूडेंट्स अवार्ड्स 2023 (27 जुलाई, 2023)
थारिडु रामनायके	निर्देशन और पटकथा लेखन (पूर्व छात्र)	अंदाजा	सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सिन श्रेणी, इमेजिन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 2023, मैड्रिड, स्पेन (1-16 सितम्बर, 2023)
सुबर्णा दाश, विदुषी गुप्ता	एनिमेशन सिनेमा (छात्र)	दिस इज टीएमआई	टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 2023 (7-17 सितम्बर, 2023) आईडीएसएफएफके, 2022 (एनिमेशन फिल्में - 8-17 सितम्बर, 2023)
स्नेहा दास, मोनजिमा मलिक	एनिमेशन सिनेमा (छात्र)	इनकॉम्परिहेनसिबल डोकरास	आईडीएसएफएफके, 2022 (एनिमेशन फिल्में - 8-17 सितम्बर, 2023) वीजीआईके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मॉस्को, रूस, 2023 (16-27 अक्टूबर, 2023)
दिग्विजय अंधोरीकर	निर्देशन और पटकथा लेखन (छात्र)	गुलमोहर	जियो मामी, 2023 (27 अक्टूबर-5 नवम्बर, 2023)
डोमिनिक संगमा	निर्देशन और पटकथा लेखन (पूर्व छात्र)	रैप्चर	सांस्कृतिक विविधता पुरस्कार, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स 2023 (3 नवम्बर, 2023)

त्रिपर्णा मैती	एनिमेशन सिनेमा (छात्र)	नीर	फिल्म स्कूल फेस्ट, म्यूनख, 2023 (12-18 नवम्बर, 2023)
हिमांशु शेखर खट्टा	निर्देशक, एसआरएफटीआई	द सी एंड सेवन विलेजेज	गैर-फीचर फिल्म श्रेणी, भारतीय पैनोरमा, इफ्फी 2023 (20-28 नवम्बर, 2023)
कामिल सैफ	निर्देशन और पटकथा लेखन (छात्र)	लास्ट रिहर्सल	सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, लघु फिल्मों पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता, 29वां कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2023 (12 दिसम्बर, 2023)
सुबर्णा दास	एनिमेशन सिनेमा (छात्र)	द गर्ल हू लिव्ड इन दी लू	बर्लिनले फिल्म फेस्टिवल 2024 में विश्व प्रीमियर, (15 और 25 फरवरी, 2024)

5. अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

- देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास तथा फिल्म एवं टेलीविजन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर के युवाओं में प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल के तहत मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई) तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई) की तर्ज पर एक फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अरुणाचल प्रदेश में एफटीआई के निर्माण कार्य को पूरा करने का काम सौंपा गया है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माण कार्य प्रगति पर है (82% निर्माण पूरा हो चुका है)।
- अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में एसआरएफटीआई के संकाय एवं कर्मचारियों द्वारा 10 सप्ताह लंबा 'शॉर्ट ट्रिप टू सिनेमा' पाठ्यक्रम संचालित किया गया।
- 'शॉर्ट ट्रिप टू सिनेमा' कोर्स 6 नवम्बर, 2023 को ईटानगर के अस्थायी परिसर में शुरू हुआ, जिसमें 17 छात्रों का बैच था और यह 12 जनवरी, 2024 को समाप्त हुआ।



CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

फिल्मों का निर्माण और प्रदर्शन संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह कला के सबसे व्यापक रूप से सराहे जाने वाला और लोकतांत्रिक रूप है। फिल्में जनमत को आकार देने और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश में फीचर फिल्मों का निर्माण ज्यादातर निजी क्षेत्र में होता है।

हमारा संविधान मौलिक अधिकार के रूप में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है। ये प्रतिबंध 'भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता तथा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में' के हित में लगाए गए हैं। संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने में बोर्ड के मार्गदर्शन के लिए बुनियादी सिद्धांत सिनेमैटोग्राफ अधिनियम

1952 में निर्धारित किए गए। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5 बी (2) के तहत निर्देश (दिशानिर्देश) जारी किए गए हैं, जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को और अधिक विस्तार से निर्धारित करते हैं।

सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड में गैर-आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष (जिनमें से सभी को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है) होते हैं। मंत्रालय की 11 अगस्त, 2017 की अधिसूचना के अनुसार नियुक्त वर्तमान बोर्ड में 10 गैर-आधिकारिक सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष पुरस्कार विजेता लेखक, प्रख्यात गीतकार, कवि, पटकथा लेखक और विज्ञापन तथा संचार के क्षेत्र में अग्रणी श्री प्रसून जोशी हैं।

बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व क्षेत्रीय अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है और फिल्मों की जांच में सलाहकार पैनलों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। बोर्ड और सलाहकार पैनल के सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें शिक्षाविद, सामाजिक

कार्यकर्ता, गृहणियां, फिल्मी हस्तियां, डॉक्टर, पत्रकार आदि जैसे सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।

अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली फिल्मों को 'U' प्रमाण-पत्र दिया जाता है। ऐसी फिल्में जो अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी सामग्री है जिसके लिए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसके लिए माता-पिता को इस संबंध में चेतावनी के साथ फिल्म को 'UA' प्रमाण-पत्र दिया जाता है। ऐसी फिल्में जो गैर-वयस्कों के प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त पाई जाती हैं, लेकिन वयस्कों के लिए उपयुक्त होती हैं, उन्हें 'A' प्रमाण-पत्र दिया जाता है। ऐसी फिल्में जो आम जनता के लिए अनुपयुक्त मानी जाती हैं, लेकिन डॉक्टर आदि जैसे विशेष दर्शकों के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त होती हैं, उन्हें 'S' प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

फिल्मों का प्रमाणन

भारत दुनिया के प्रमुख फिल्म-निर्माता देशों में से एक है। 2020 में सार्स-कोविड-2 प्रकोप के कारण फिल्म निर्माण में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप कम प्रमाण-पत्र मिले। फिर भी, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान फिल्मों के प्रमाणन में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो देश भर में फिल्म निर्माण गतिविधियों में सुधार का संकेत है।

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारतीय दीर्घ फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	2258	3184	3847	3476
विदेशी दीर्घ फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	917	722	619	472
भारतीय लघु फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	4945	8326	13132	12805
विदेशी लघु फिल्में (डिजिटल और वीडियो)	179	487	472	678
कुल	8299	12719	18070	17431

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड ने कुल 17,431 प्रमाण-पत्र जारी किए, जिनमें से 5,855 प्रमाण-पत्र वीडियो फिल्मों के लिए और 11,576 प्रमाण-पत्र डिजिटल फिल्मों के लिए जारी किए गए। प्रमाणित फिल्मों का प्रमाण-पत्रवार और श्रेणीवार विवरण दर्शाने वाला समेकित विवरण आगे दिया गया है-

बोर्ड द्वारा 1-4-2023 से 31-3-2024 तक प्रमाणित फिल्मों का समेकित विवरण

अ – वीडियो									
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए*	एस	एस*	कुल
भारतीय दीर्घ फीचर फिल्में	96	70	331	361	9	4			871
विदेशी दीर्घ फीचर फिल्में	17	6	142	71	4				240
भारतीय लघु फिल्में	2892	73	1446	112	32	2			4557
विदेशी लघु फिल्में	51	1	133	1	1				187
कुल	3056	150	2052	545	46	6	0	0	5855
ब – डिजिटल									
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए*	एस	एस*	कुल
भारतीय दीर्घ फीचर फिल्में	440	265	603	1051	92	154			2605
विदेशी दीर्घ फीचर फिल्में	26	7	112	22	39	26			232
भारतीय लघु फिल्में	6325	42	1670	154	43	14			8248
विदेशी लघु फिल्में	115	1	345	1	27	2			491
कुल	6906	315	2730	1228	201	196	0	0	11576
कुल योग (अ+ब)	9962	465	4782	1773	247	202	0	0	17431

*कटौतियों के साथ

ई-सिनेप्रमाण : व्यवस्था में सुधार

फिल्म निर्माताओं/आवेदकों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीबीएफसी द्वारा कई पहल और व्यवस्थित सुधार किए गए। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं -

- सीबीएफसी वेबसाइट को अत्याधुनिक बनाया गया है जो द्विभाषी गतिशील उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करती है।
- आवेदन पत्र का सामान्य और सरलीकरण।
- संशोधनों/कटौतियों का ऑनलाइन अपलोड और सत्यापन।
- ऑनलाइन भुगतान के लिए भारतकोष एकीकरण।
- प्रमाणन जानकारी के प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड प्रणाली।
- लघु फिल्मों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग।
- वास्तविक समय खोज सुविधा के साथ नई वेबसाइट।

लोक सेवा जागरूकता (पीएसए) फिल्में

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पूर्ववर्ती फिल्म प्रभाग के पीएसए

फिल्मों से संबंधित कार्य के अधिदेश और गतिविधियों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया है। सिनेमाघरों में पीएसए फिल्मों की अनिवार्य स्क्रीनिंग और प्रदर्शकों/लाइसेंसधारियों/डिजिटल सिनेमा एजेंसियों को 'स्वीकृत फिल्म प्रदर्शन प्रमाण-पत्र' जारी करने का काम सीबीएफसी को उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- 2023-24 की अवधि के दौरान, सीबीएफसी ने विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में फिल्म उद्योग के हितधारकों के लिए एडब्ल्यूबीआई के सहयोग से अभिविन्यास-सह-कार्यशालाओं का आयोजन किया।
- श्रवण और दृश्य बाधित व्यक्तियों हेतु फिल्मों तक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी समाधान का प्रसार करने हेतु 25 जुलाई, 2023 को फिल्म उद्योग के हितधारकों के साथ कार्यशाला-सह-बैठक आयोजित की गई।
- सीबीएफसी के नवनियुक्त सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए सीबीएफसी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशाला-सह-अभिविन्यास आयोजित किए गए।

राजस्व प्राप्ति

सीबीएफसी को प्रमाणन शुल्क प्रभार के रूप में राजस्व प्राप्त होता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान एकत्रित राजस्व का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	अवधि (वित्तीय वर्ष के लिए)	राजस्व संग्रह (रुपये में)
1.	वित्तीय वर्ष 2019-20	13,67,45,463
2.	वित्तीय वर्ष 2020-21	8,40,92,178
3.	वित्तीय वर्ष 2021-22	12,21,40,116
4.	वित्तीय वर्ष 2022-23	14,95,52,543
5.	वित्तीय वर्ष 2023-24	15,29,94,177

महत्वपूर्ण संचार/आदेश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एम-11017/1/2023-डीओ (एफसी) के माध्यम से सीबीएफसी के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत निषिद्ध गैरकानूनी सूचना के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 के नियम 3(1) (डी) के साथ पढ़ें।

संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी डब की हुई फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में दिनांक 18-10-2023 को एक महत्वपूर्ण संचार संख्या 1/2023 जारी किया गया था, जहां फिल्म का मूल संस्करण प्रमाणित है।

बोर्ड द्वारा 1-1-2023 से 31-12-2023 तक प्रमाणित फिल्मों को दर्शाने वाला समेकित विवरण

अ - वीडियो								
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए *	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	121	84	391	359	8	7	0	970
विदेशी फीचर फिल्में	18	6	157	57	4	-	0	242
भारतीय लघु फिल्में	2916	79	1589	105	46	2	0	4737
विदेशी लघु फिल्में	54	1	113	1	3	-	0	172
कुल	3109	170	2250	522	61	9	0	6121
ब - डिजिटल								
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए *	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	444	230	606	1008	88	121	0	2497
विदेशी फीचर फिल्में	23	7	125	22	40	22	0	239
भारतीय लघु फिल्में	6308	41	1644	150	52	13	0	8208
विदेशी लघु फिल्में	95	1	365	-	30	1	0	492
कुल	6870	279	2740	1180	210	157	0	11436
कुल योग (अ+ब)	9979	449	4990	1702	271	166	0	17557

*कटौतियों के साथ

1-1-2024 से 31-3-2024 तक बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों को दर्शाने वाला समेकित विवरण

अ - वीडियो								
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए *	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	17	8	88	86	2	1	0	202
विदेशी फीचर फिल्में	11	3	34	18	-	-	0	66
भारतीय लघु फिल्में	658	9	292	31	4	-	0	994
विदेशी लघु फिल्में	1	-	32	-	-	-	0	33
कुल	687	20	446	135	6	1	0	1295
ब - डिजिटल								
	यू	यू*	यूए	यूए*	ए	ए *	एस	कुल
भारतीय फीचर फिल्में	74	79	139	271	14	66	0	643
विदेशी फीचर फिल्में	8	1	14	6	7	15	0	51
भारतीय लघु फिल्में	1223	8	394	36	7	2	0	1670
विदेशी लघु फिल्में	35	-	57	1	7	1	0	101
कुल	1340	88	604	314	35	84	0	2465
कुल योग (अ+ब)	2027	108	1050	449	41	85	0	3760

*कटौतियों के साथ

बोर्ड का वित्त

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है। हालांकि, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बोर्ड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में माना जाता है।

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 में दिए गए मानदंडों के

अनुसार प्रमाणन शुल्क के संग्रह के माध्यम से बोर्ड का राजस्व प्राप्त होता है। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई फिल्मों की स्क्रीनिंग के संबंध में प्रोजेक्शन शुल्क भी लगाता है। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान कुल उपार्जित आय 15,29,94,177/- रुपये (जीएसटी सहित) है। एकत्रित राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। बोर्ड इस संबंध में कोई बैंक खाता संचालित नहीं करता है।





9-10 सितम्बर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सड़क चौराहे पर पत्थर की नक्काशीदार कई मूर्तियां स्थापित की गईं।

7

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) का एक प्रतिनिधिमंडल 10 दिसम्बर, 2023 से 16 दिसम्बर, 2023 तक अध्ययन दौरे पर भारत आया। प्रतिनिधिमंडल में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ खलीफा बुट्टी थानी तारिश अल शम्सी के नेतृत्व में सोलह सदस्य और नई दिल्ली स्थित यूएई दूतावास के अधिकारी शामिल थे।

14 दिसम्बर, 2023 को न्यू मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर की अध्यक्षता में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और यूएई प्रतिनिधिमंडल के बीच

एक संवाद सत्र आयोजित किया गया। इस बातचीत का विषय 'राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों में मीडिया की भूमिका' था, जिसमें एक ब्रीफिंग सत्र शामिल था, जिसके बाद मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यूएई प्रतिनिधिमंडल का प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ।

भारत और यूनेस्को

भारत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जन संचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत सरकार द्वारा 1949 में यूनेस्को के साथ सहयोग के



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर 14 दिसम्बर, 2023 को नई दिल्ली में यूएई के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए।



14 दिसम्बर, 2023 को यूएई प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई मुलाकात।

लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों में रुचि रखने वाले अपने प्रमुख निकायों को यूनेस्को के काम से जोड़ना था। शिक्षा मंत्रालय आईएनसीसीयू से संबंधित मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। आईएनसीसीयू का गठन आखिरी बार 2020 में चार साल के कार्यकाल के लिए किया गया था। नए आईएनसीसीयू के पुनर्गठन के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय को दस संस्थागत और दस गैर-संस्थागत सदस्यों के नामांकन भेजे हैं।

आईएनसीसीयू में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और संचार पर पांच उप-आयोग शामिल हैं। संचार पर उप आयोग की अध्यक्षता सचिव (सूचना एवं प्रसारण) करते हैं और इसमें मंत्रालय के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी तथा मीडिया

इकाइयों के प्रमुख और प्रख्यात पत्रकार भी शामिल हैं। संचार पर उप आयोग की बैठक 8 नवम्बर, 2023 को बुलाई गई थी। उप आयोग ने फर्जी खबरों, तथ्यों की जांच, मीडिया में लैंगिक समानता, बहुलवादी मीडिया और देश की दस्तावेजी विरासत के डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उप आयोग द्वारा प्रस्तुत विचार 13 नवम्बर, 2023 से 14 नवम्बर, 2023 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित 42वें यूनेस्को महासम्मेलन में भारत के स्थान का हिस्सा बने।

अपर सचिव (सूचना एवं प्रसारण) को 13 नवम्बर, 2023 से 14 नवम्बर, 2023 तक पेरिस, फ्रांस में 42वें यूनेस्को महासम्मेलन के संचार एवं सूचना (सीआई) आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

विदेशी राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)

भारत सरकार की ओर से संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक

आदान-प्रदान कार्यक्रमों (सीईपी) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, ताकि देश-विदेश के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जा सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, ये कार्यक्रम/समझौते भारत और अन्य देशों के बीच मास मीडिया, पत्रकारिता, प्रसारण, अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और प्रकाशनों के क्षेत्र में विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 5 दिसम्बर, 2023 को केन्या सरकार (2023-27 की अवधि के लिए) और 26 अप्रैल, 2023 को कोलंबिया गणराज्य की सरकार (2023-2026 की अवधि के लिए) के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए गए।





9-10 सितम्बर, 2023 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम के सांस्कृतिक गलियारे में जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों के झंडे लगाए गए।

8

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उसके संबद्ध/अंतर्गत कार्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (31 मार्च, 2024 तक) निम्नवत है :

वर्ग	कुल कर्मचारी (स्वीकृत)	कुल कर्मचारी (कार्यरत)	अनुसूचित जाति (प्रतिनिधित्व)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिनिधित्व)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिनिधित्व)	ईडब्ल्यूएस वर्ग (प्रतिनिधित्व)	अनारक्षित (प्रतिनिधित्व)
क.	4,139	1,798	322	150	137	01	1,188
ख.	22,989	8,796	1,311	871	1,277	17	5,320
ग.	24,165	9,774	2,061	1,438	1,435	30	4,810
घ.	23	06	05	0	0	0	01
कुल	51,316	20,374	3,699	2,459	2,849	48	11,319

वर्ग	कार्यालय	कुल कर्मचारी (स्वीकृत)	कुल कर्मचारी (कार्यरत)	अनुसूचित जाति (प्रतिनिधित्व)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिनिधित्व)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिनिधित्व)	ईडब्ल्यूएस वर्ग (प्रतिनिधित्व)
क	मुख्य सचिवालय	639	415	62	31	54	01
	पीआईबी	3	1	0	0	0	0
	सीबीसी	18	9	3	1	0	0
	पीआरजीआई	10	9	1	1	0	0
	डीपीडी	9	0	0	0	0	0
	एनएमडब्ल्यू	5	2	0	0	0	0
	ईएमएमसी	5	3	1	0	0	0
	सीबीएफसी	13	7	0	0	0	0
	एसआरएफटीआई	35	30	1	0	0	0
	एफटीआईआई	66	25	04	2	01	0
	आईआईएमसी	34	30	2	1	4	0
	पीसीआई	9	04	1	0	0	0
	दूरदर्शन	1,096	462	77	38	28	0
	बेसिल	116	52	12	1	7	0
	आकाशवाणी	2,002	731	153	75	40	0
	एनएफडीसी	79	18	5	0	3	0
	कुल		4,139	1,798	322	150	137

वर्ग	कार्यालय	कुल कर्मचारी (स्वीकृत)	कुल कर्मचारी (कार्यरत)	अनुसूचित जाति (प्रतिनिधित्व)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिनिधित्व)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिनिधित्व)	ईडब्ल्यूएस वर्ग (प्रतिनिधित्व)
ख	मुख्य सचिवालय	619	473	63	21	119	16
	पीआईबी	14	7	1	1	0	0
	सीबीसी	185	91	10	6	25	0
	पीआरजीआई	41	27	11	0	6	0
	डीपीडी	31	06	01	01	0	0
	एनएमडब्ल्यू	14	4	0	0	0	0
	ईएमएमसी	0	0	0	0	0	0
	सीबीएफसी	23	11	3	0	2	0
	एसआरएफटीआई	28	20	1	0	3	0
	एफटीआईआई	51	27	6	3	2	0
	आईआईएमसी	36	18	6	2	4	0
	पीसीआई	26	20	5	01	02	0
	दूरदर्शन	9,818	3,085	451	300	431	1
	बेसिल	15	3	0	0	0	0
	आकाशवाणी	12,056	4,997	751	536	682	0
	एनएफडीसी	31	7	2	0	1	0
	कुल	22,989	8,796	1,311	871	1,277	17
ग	मुख्य सचिवालय	141	110	21	7	29	02
	पीआईबी	551	334	83	27	80	4
	सीबीसी	1,800	1,050	210	155	233	07
	पीआरजीआई	28	15	03	1	03	01
	डीपीडी	249	114	24	10	25	07
	एनएमडब्ल्यू	22	13	3	0	0	1
	ईएमएमसी	0	0	0	0	0	0
	सीबीएफसी	61	32	5	1	11	0
	एसआरएफटीआई	43	29	14	0	5	0
	एफटीआईआई	196	72	17	16	11	0
	आईआईएमसी	96	51	14	1	11	00
	पीसीआई	52	45	09	5	4	00
	दूरदर्शन	8,748	2,778	558	456	338	4
	बेसिल	41	3	0	0	0	0
	आईआईएस अनुभाग	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	आकाशवाणी	12,071	5,107	1,094	759	679	4
	एनएफडीसी	66	21	6	0	6	0
कुल	24,165	9,774	2,061	1,438	1,435	30	

वर्ग	कार्यालय	कुल कर्मचारी (स्वीकृत)	कुल कर्मचारी (कार्यरत)	अनुसूचित जाति (प्रतिनिधित्व)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिनिधित्व)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिनिधित्व)	ईडब्ल्यूएस वर्ग (प्रतिनिधित्व)
घ	मुख्य सचिवालय	0	0	0	0	0	0
	पीआईबी	0	0	0	0	0	0
	सीबीसी	0	0	0	0	0	0
	पीआरजीआई	0	0	0	0	0	0
	डीपीडी	0	0	0	0	0	0
	एनएमडब्ल्यू	0	0	0	0	0	0
	ईएमएमसी	0	0	0	0	0	0
	सीबीएफसी	1	0	0	0	0	0
	एसआरएफटीआई	0	0	0	0	0	0
	एफटीआईआई	0	0	0	0	0	0
	आईआईएमसी	0	0	0	0	0	0
	पीसीआई	0	0	0	0	0	0
	प्रसार भारती	0	0	0	0	0	0
	बेसिल	16	6	5	0	0	0
	एनएफडीसी	6	0	0	0	0	0
	कुल	23	6	5	0	0	0





केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष' पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चन्द्रा भी उपस्थित थे।

9

सेवाओं में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

नोडल मंत्रालय/विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में समय-समय पर जारी निदेश और दिशानिर्देश अनुपालन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय तथा सभी मीडिया इकाइयों को प्रसारित किए जाते हैं। मुख्य सचिवालय में दिव्यांगजनों के हितों की देखभाल के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है।

मंत्रालय में वार्षिक आधार पर दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व का लेखा-जोखा तैयार कर डीओपीटी को प्रेषित किया जाता है। इस दिशा में 1 जनवरी, 2024 को मंत्रालय में दिव्यांगजनों का समग्र प्रतिनिधित्व और सीधी भर्तियों एवं प्रोन्नति कोटा नीचे दिया गया है-

सेवा में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व दर्शाती वार्षिक तालिका
(वर्ष 2023 के लिए, 1 जनवरी, 2024 तक)

समूह	कर्मचारियों की संख्या						
	कुल पद	पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित पद	क	ख	ग	घ	ङ
समूह क	3,269	69	6	1	37	-	1
समूह ख	16,019	496	43	42	76	12	10
समूह ग और घ	17,678	434	60	40	72	18	17
कुल	36,966	999	109	83	185	30	28

- नोट :
- नेत्रहीन अथवा कमजोर दृष्टि क्षमता वाले व्यक्ति।
 - बधिर व्यक्ति तथा सुनने में कम सक्षम व्यक्ति।
 - मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, एसिड अटैक पीड़ित, मांसपेशीय दुर्बिकास सहित लोकोमोटिव विकलांगता।
 - ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी।
 - (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में अनेक दिव्यांगताएं शामिल हैं जिनमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए निर्धारित पदों में बधिरता और नेत्रहीनता भी शामिल है।



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा 30 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को 'सत्यनिष्ठा शपथ' दिलाते हुए।

10

राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने तथा संघ की राजभाषा नीति और इसके तहत बनाए गए राजभाषा नियमों का कार्यान्वयन करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) का हिन्दी अनुभाग निदेशक (रा.भा.) के एक पद, उप-निदेशक(रा.भा.) के एक पद, सहायक निदेशक (रा.भा.) के दो पद, वरिष्ठ अनुवादक के दो पद, कनिष्ठ अनुवादक के दो पद और अन्य सहायक कर्मचारियों के संस्वीकृत पदों के साथ कार्य कर रहा है। मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है जिसकी नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में मंत्रालय और इसके अधीनस्थ 17 मीडिया इकाइयों में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाती है और बैठक में लिए गए परामर्श/निर्णय सभी प्रभागों/स्कंधों को सूचित किए जाते हैं ताकि आधिकारिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके।

वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय द्वारा 2 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 96 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दिनांक 14 से 29 सितम्बर, 2023 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। 14 सितम्बर, 2023 को हिन्दी

दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का संदेश मंत्रालय और उसकी मीडिया इकाइयों को प्रसारित किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान कुल छह हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताएं में 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 68 अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार विजेता बने। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में सरकारी काम-काज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन हेतु प्रोत्साहन योजना प्रत्येक वर्ष लागू की जाती है। मंत्रालय में 27 मार्च, 2024 को हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह, 2023 आयोजित किया गया जिसमें सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक मंत्रालय के 35 अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसरण में मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा 21 फरवरी से 11 मार्च, 2024 के दौरान मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के 10 अनुभागों के राजभाषा संबंधी निरीक्षण किए गए। इस अवधि के दौरान दो अधीनस्थ मीडिया इकाइयों के भी राजभाषाई निरीक्षण किए गए। मंत्रालय की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को प्रेषित की गईं।

मंत्रालय की वेबसाइट को हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में बनाया गया है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।





केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 31 मार्च, 2023 को नई दिल्ली के आईआईएमसी में 2018, 2019 और 2020 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों के लिए आयोजित विदाई समारोह के अवसर पर।

राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार महिलाओं के लिए चल रही विकास योजनाओं के संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा/कार्यान्वयन की देख-रेख करने के लिए मंत्रालय ने 1992 में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया था। बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार *विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले* में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों के लिए शिकायत समिति के रूप में 16 मई, 2002 को इस प्रकोष्ठ को पुनर्गठित किया गया। 13 जनवरी, 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाह्य विशेषज्ञ को महिला प्रकोष्ठ के गैर-आधिकारिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया।

बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के आधार पर 25 अक्टूबर, 2013 को महिला प्रकोष्ठ का नाम बदलकर 'आंतरिक शिकायत समिति' कर दिया गया था।

अंतिम बार 5 अक्टूबर, 2023 को परिपत्र सं. बी-11020/17/2011-एडमिन-III (खंड-II) के आधार पर आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर को आईसीसी का अध्यक्ष नामित किया गया। इसके अलावा, सुश्री प्रनीता बिस्वासी,

राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, वाईडब्ल्यूसीए ऑफ इंडिया, को समिति की गैर-आधिकारिक सदस्य के तौर पर नामित किया गया। मंत्रालय के चार अधिकारी इसके आधिकारिक सदस्य हैं।

आंतरिक शिकायत समितियां मंत्रालय की संबद्ध/अधीनस्थ एवं स्वायत्त इकाइयों में भी कार्यरत हैं। समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (आचारण) नियमावली, 1964 के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को मंत्रालय द्वारा अनुपालन हेतु सभी मीडिया इकाइयों को प्रेषित किया जाता है।

इसके अलावा, 2022 में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के निदेशानुसार डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या (पीआईएल) 33000 के तहत माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय की कटक खंड पीठ के समक्ष श्रीमती बायोट प्रोजेना त्रिपाठी बनाम ओडिशा सरकार मामले में निर्णय के तहत इस मंत्रालय में पिछली आंतरिक शिकायत समिति की बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुपालन में, आवश्यक बिलबोर्ड, नोटिस बोर्ड, एसएचई बॉक्स (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) और 'क्या करें व क्या न करें' संबंधी पोस्टर मंत्रालय के सचिवालय के विभिन्न स्थानों पर लगाया जाना निदेशित हुआ।





22 मई, 2023 को श्रीनगर में तीसरी जी-20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति।

मंत्रालय का सतर्कता विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के समग्र देखरेख में काम करता है। मंत्रालय के सतर्कता विभाग की कमान संयुक्त सचिव स्तर के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पास होती है जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से मंत्रालय के संभाग प्रमुखों में से की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सीवीओ के अधीन एक उप सचिव (सतर्कता), एक अपर सचिव (सतर्कता) एवं सतर्कता अनुभाग होता है। मंत्रालय का सीवीओ मंत्रालय एवं उसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा सीवीसी के साथ-साथ सीबीआई के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रालय के अधीनस्थ/संबद्ध और स्वायत्त कार्यालयों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पंजीकृत सोसाइटियों में भी पृथक सतर्कता इकाइयां होती हैं। मंत्रालय का सीवीओ, सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है।

मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों में स्थापित सतर्कता विभाग प्रक्रियाओं के सुचारु कार्यान्वयन का प्रयास करता है ताकि भ्रष्टाचार मुक्त कार्य करने का माहौल बनाया जा सके। नियमित एवं औचक निरीक्षण, संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों की अदला-बदली, नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अवलोकन सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जाते हैं।

1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, 13 नियमित और 7 औचक निरीक्षण किए गए। साथ ही, इस उक्त अवधि के दौरान मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों को विभिन्न स्रोतों से 297 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इनकी जांच की गई और 27 मामलों में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 48 मामलों के संबंध में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुईं। 11 मामलों में बड़े जुर्माने हेतु विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। 23 मामलों में बड़े जुर्माने लगाए गए, और 5 मामलों में नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की गई।

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार निवारक सतर्कता सह आंतरिक हाउसकीपिंग गतिविधियों के लिए 16 अगस्त, 2023 से 15 नवम्बर, 2023 तक की अवधि के दौरान मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अगुवा के रूप में तीन महीने का लंबा अभियान आयोजित किया गया। इसमें 6 चिह्नित स्थानों : जनहित प्रकटीकरण और सूचना देने वालों की

सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प के बारे में जागरूकता निर्माण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रणालीगत सुधार के उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, शिकायत निपटान के लिए आईटी का लाभ, परिपत्रों/दिशानिर्देशों/नियमावली को अद्यतन करना व 30 जून, 2023 से पहले प्राप्त हुई शिकायतों का निपटान।

अभियान की अवधि के दौरान आउटरीच गतिविधियों के तहत मंत्रालय और मीडिया इकाइयां निवारक सतर्कता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। इस उद्देश्य के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कुल 750 स्कूली छात्रों और 650 कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में लोनी ब्लॉक की ग्राम सभा के साथ मंत्रालय द्वारा निवारक सतर्कता पर एक सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा पीआईडीपीआई पर एक स्ट्रीट प्ले का आयोजन किया गया, जिसमें सीबीसी के पेशेवर कलाकार शामिल थे।

मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 2023 तक एक सप्ताह का सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसका विषय था: “भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें।” सतर्कता को बढ़ावा देने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण-पत्र दिए गए। मंत्रालय के सतर्कता विंग और इसकी मीडिया इकाइयों की विभिन्न गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए ‘सतर्क’ नामक इन-हाउस सतर्कता पत्रिका का दूसरा संस्करण भी प्रकाशित किया गया।





केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा 26 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'मन की बात @100' पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के समापन सत्र में।

13 नागरिक घोषणा-पत्र और शिकायत निवारण

नागरिक घोषणा-पत्र

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नागरिक/उपभोक्ता घोषणा-पत्र मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर मौजूद है। मंत्रालय द्वारा अपने साझेदारों को प्रत्यक्ष दी जाने वाली निम्न 13 प्रमुख सेवाएं घोषणा-पत्र में शामिल की गई हैं:

- (i) भावी लाइसेंस धारक को डीटीएच सेवाओं के लिए लाइसेंस निर्गत करना;
- (ii) मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स को लाइसेंस निर्गत करना;
- (iii) भावी लाइसेंस धारक को हिट्स सेवाओं के लिए लाइसेंस निर्गत करना;
- (iv) भारत में कार्य के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण;
- (v) अपलिकिंग/डाउनलिकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलीपोर्ट्स की स्थापना;
- (vi) भारत से अपलिक किए गए टीवी चैनलों की अपलिकिंग/डाउनलिकिंग के लिए मंजूरी प्रदान करना;
- (vii) विदेश से अपलिक टीवी चैनलों के डाउनलिकिंग के लिए मंजूरी देना;
- (viii) नई एजेंसी द्वारा अपलिकिंग के लिए मंजूरी देना;
- (ix) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए अनुमति देना;
- (x) विदेशी पत्रिकाओं/जर्नलों/नियतकालिक पत्रों/नई पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों को विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रकाशन के लिए स्वीकृति-पत्र निर्गत करना;
- (xi) समाचार और समसामयिक घटनाओं से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं/समाचार-पत्रों के भारतीय संस्करण को विदेशी पूंजी निवेश प्राप्त संस्था/विदेशी निवेश प्राप्त/अप्राप्त संस्था द्वारा विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिलिपि संस्करण के प्रकाशन के लिए स्वीकृति पत्र निर्गत करना;

(xii) शिकायत निवारण तंत्र; और

(xiii) फ्रीचर फिल्मों/रियलिटी शो/कमर्शियल टीवी धारावाहिकों की भारत में शूटिंग के लिए विदेशी निर्माताओं को फिल्म सुविधा कार्यालय के माध्यम से स्वीकृति-पत्र प्रदान करना।

शिकायत निवारण तंत्र

मंत्रालय को प्राप्त होने वाली शिकायत याचिकाओं को कंप्यूटरीकृत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में पंजीकृत कर संसाधित किया जाता है। प्राप्त सभी याचिकाओं को नियमों के अनुसार स्वीकार किया जाता है और पावती सूचना में शिकायत संख्या, उसके निपटान का अनुमानित समय और संपर्क सूत्र का ब्योरा लिखा होता है। शिकायत याचिकाएं संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों/विभागों को शिकायत के निस्तारण हेतु भेजी जाती हैं। नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता को उचित उत्तर भेजने के निदेश के साथ इन याचिकाओं की निरंतर निगरानी होती है जिसके अंतर्गत संबंधित कार्यालयों/विभागों को अनुस्मारक-पत्र भेजना और समीक्षात्मक बैठकें आदि करना शामिल होता है। मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी मीडिया इकाइयों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामान्यतः एक अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे नहीं) को उस इकाई का लोक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में, संबंधित मीडिया इकाइयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी मामले के शीघ्र निपटान के संबंध में चर्चा करते हैं। याचिकाओं के अंतिम निस्तारण के संबंध में स्थिति की सूचना याचिकाकर्ताओं को डाक या सीपीजीआरएएमएस के जरिए भेजी जाती है।

जन शिकायतों के निपटान/निस्तारण के लिए तंत्र को सक्रिय करने संबंधी दिशानिर्देश प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, आदि से प्राप्त होते हैं जिन्हें सभी मीडिया इकाइयों/स्वायत्त निकायों आदि को समय-समय पर वितरित किया जाता है। शिकायतों के निस्तारण की मंत्रालय में शीर्ष स्तर पर और 'मासिक प्रगति' बैठकों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी निगरानी की जाती है।

शिकायत निवारण के लिए प्रस्तावित समय-सीमा

क्रम संख्या	विषय	समय
1	शिकायतकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना	3 दिन
2	संबंधित प्रशासनिक खंड/उत्तरदायी केंद्र तक शिकायत याचिका के स्थानांतरण में लगने वाला समय	7 दिन
3	शिकायतकर्ता से शिकायत या स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति जो भी बाद में प्राप्त हो, की तिथि से उसको दिये जाने वाले अंतिम उत्तर में लगने वाला समय	30 दिन

01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक मंत्रालय में शिकायत की स्थिति

31/12/2022 तक आगे बढ़ाई गई शिकायतें	प्राप्त शिकायतें (01.01.2023 से 31.03.2024 तक)	कुल शिकायतें	शिकायत निपटान (01.01.2023 से 31.03.2024 तक)	लंबित शिकायत 31.03.2024 तक
374	4,325	4,699	4,378	321

मंत्रालय को प्राप्त अधिकांश शिकायतें निम्न श्रेणियों की होती हैं :

क्र.सं.	शिकायत श्रेणी	01.01.2023 से 31.03.2024 तक प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत
1	अन्य मंत्रालयों के विषय में याचिकाएं	23.34%
2	स्वतः अग्रेषित होने के कारण श्रेणी निर्दिष्ट नहीं की गई	16.62%
3	पेंशन मामले (पेंशन एवं अन्य देय भत्तों के निर्गमन में विलंब)	10.32%
4	डीटीएच ऑपरेटर्स एलसीओ/एमएसओ के खिलाफ शिकायतें	9.23%
5	सलाह एवं प्रश्न	7.18%
6	प्रसारण विषयवस्तु समाचार एवं गैर-समाचार कार्यक्रम	4.37%
7	डिजिटल मीडिया विषयवस्तु	3.93%
8	पंजीकरण और शीर्षक सत्यापन	3.65%
9	प्रेस पत्रकारों के मामले	3.39%
10	फिल्म विषयवस्तु के मामले	3.35%
11	विविध	3.03%
12	सेवा मामले: अस्थायी कर्मचारी	2.69%
13	सेवा मामले: स्थायी कर्मचारी	1.93%
14	प्रसारण विषयवस्तु विज्ञापन	1.75%
15	भ्रष्टाचार एवं कदाचार	1.32%
16	सदाशयी नियुक्तियां	1.00%
17	प्रेस विषयवस्तु के मामले	0.94%
18	प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं की सदस्यता/प्रकाशन	0.68%
19	उत्पीड़न और दुर्व्यवहार	0.28%
20	पेंशन मामले : पेंशन का गलत निर्धारण	0.28%
21	पेंशन मामले: पेंशन का पुनर्निर्धारण	0.26%
22	अनिर्दिष्ट श्रेणी	0.18%
23	कोविड संबंधी मामले	0.16%
24	विज्ञापन और प्रचार मामले	0.06%
25	यौन उत्पीड़न	0.04%





केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 29 नवम्बर, 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए।



केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 27 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में विकसित भारत@2047 - 'विकसित भारत एवं उद्योग' पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में शामिल हुए।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों के संबंध में लोक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके। सूचना का अधिकार का मतलब इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना के अधिकार से है, जो किसी भी लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में या उसके पास है। इसमें निम्न अधिकार शामिल हैं-

1. कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
2. दस्तावेजों या रिकॉर्ड की टिप्पणी, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना;
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना;
4. सीडी के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्राप्त करना या यदि ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण में संगृहीत होती है तो उसका प्रिंटआउट लेना।

मुख्य सचिवालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आरटीआई से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए एक नोडल आरटीआई अनुभाग स्थापित किया गया। यह अनुभाग आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले आवेदनों को एकत्रित करता है, वितरित करता है और विषय-वस्तु से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)/लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मंत्रालय तथा इससे संबंधित कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी आवेदन, अपीलें और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्णय, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आरटीआई सेल) से प्राप्त होते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 24 केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों और 19 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को जानकारी प्रदान करने और दायर अपीलों पर निर्णय लेने के लिए नामित किया है। केंद्रीय

जनसूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार संबंधी वर्षवार प्राप्त आवेदन तथा अपीलें और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा नीचे दी गई है:

वर्ष	प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई
2020	1,673
2021	1,512
2022	1,365
2023	1,191

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में वर्ष 2023 के दौरान 1,107 आवेदन और 84 अपीलें प्राप्त हुईं जिसमें से 905 आवेदन और 66 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं। आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए सभी आवेदनों और अपीलों को संबंधित लोक प्राधिकरणों/सीपीआईओ को तुरंत हस्तांतरित/अप्रेषित कर दिया गया। 2023 की अवधि के दौरान आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क/निरीक्षण शुल्क के रूप में 4,822 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसके अलावा, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ आगंतुकों से प्राप्त आरटीआई संबंधी सभी सवालों के जवाब भी देता है।

आरटीआई आवेदनों के लिए निस्तारण तंत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाती है और जो आवेदन इस मंत्रालय से संबंधित नहीं होते, उन्हें संबंधित मंत्रालय के लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों को भेज दिए जाते हैं।

लंबित आवेदनों पर कार्रवाई के लिए बार-बार केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों को अनुस्मारक भेजे जाते हैं, ताकि आवेदक को जानकारी प्रदान करने में विलंब न हो।

आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन और अपीलों मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को ऑनलाइन भेजी जाती है। भौतिक रूप से प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों के त्वरित और समय पर निपटान

के लिए मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को स्कैन, अपलोड कर भेजी जाती है। सभी केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को आवेदनों/अपीलों की स्थिति की जांच करने और उनका ऑनलाइन उत्तर भेजने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सभी सूचनाएं स्वतः उपलब्ध कराने से संबंधित धारा 4 (बी) (i) और 4 (बी) (ii) के तहत दायित्वों को पहले ही पूरा कर लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के

तहत सूचना नियमावली को समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किया जा रहा है। प्राप्त, अस्वीकृत तथा हस्तांतरित किए गए आवेदनों/अपीलों के आंकड़ों की त्रैमासिक रिपोर्ट, नियमित रूप से केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों द्वारा केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं।





सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने 3 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में मंत्रालय के सांख्यिकीय प्रकाशन का पहला संस्करण 'मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर सांख्यिकीय पुस्तिका 2022-23' को जारी किया।



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छता 3.0 के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकारी के तौर पर वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक अपने कर्तव्यों का निर्वहन लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक, मुख्यालय स्थित 03 प्रधान लेखा अधिकारियों और 14 वेतन एवं लेखा कार्यालयों, जिसमें केवल जीपीएफ तथा पेंशन के प्रयोजन से प्रसार भारती और उसकी क्षेत्र संरचना से जुड़े 06 वेतन व लेखा कार्यालय शामिल हैं, की सहायता से करते हैं। क्षेत्रीय आंतरिक लेखा परीक्षा दल चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में तैनात हैं, जिनके कार्यों की निगरानी आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध द्वारा मुख्यालय में की जाती है।

दायित्व

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां निम्न हैं:

- मंत्रालय के मासिक खातों का एकीकरण और इसे लेखा महानियंत्रक (सीएजी) को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनियोग खाते।
- केंद्रीय लेन-देन का विवरण।
- 'एक नजर में लेखा' तैयार करना।
- केंद्रीय वित्त खाते जो लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय और लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- अनुदानग्राही संस्थाओं और स्वायत्त निकायों, आदि को अनुदान सहायता प्रदान करना।
- सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना, यदि आवश्यक हो तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक, आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ

परामर्श करके।

- प्राप्ति बजट की तैयारी।
- पेंशन बजट की तैयारी।
- पीएओ/चेक आहरण डीडीओ के लिए/की ओर से चेक बुक प्राप्त करना और आपूर्ति करना।
- लेखा महानियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और मान्यताप्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण को प्रभावी करना।
- मान्यताप्राप्त बैंक, जैसे भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से की गई सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सत्यापन और मिलान करना।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संभालना और शेष नकद राशि का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा इसके अनुदानग्राही संस्थानों, स्वायत्त निकायों, आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।
- सभी संबंधित प्राधिकरणों/प्रभागों को लेखांकन की जानकारी उपलब्ध कराना।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का बजट समन्वय कार्य।
- नई पेंशन योजना की निगरानी और समय-समय पर पेंशन मामलों का पुनरीक्षण।
- खातों और ई-भुगतान का कम्प्यूटरीकरण।

- लेखा संगठन के प्रशासनिक और समन्वय कार्य।
- अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत पीएफएमएस को पेश करना।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी)।

वेतन और लेखा विभाग, विभागीय लेखा संगठन की मूल इकाई है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

- नॉन-चेक आहरण डीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋण और सहायता अनुदान सहित सभी बिलों का प्री-चेक और भुगतान।
- प्रस्तावित नियम एवं कायदों के अंतर्गत सभी भुगतानों का सटीक और समयोचित निपटारा।
- रसीदों की समयोचित प्राप्ति।
- चेक आहरण डीडीओ को पाक्षिक लेटर ऑफ क्रेडिट देना और उनके वाउचर/बिलों का कार्य के पश्चात निरीक्षण।
- रसीदों और खर्चों का मासिक संकलन और चेक आहरण डीडीओ के खातों के साथ उन्हें संलग्न करना।
- विलयित डीडीओ के अतिरिक्त जीपीएफ खातों की देख-रेख और सेवानिवृत्ति लाभों को अधिकृत करना।
- सभी डीडीआर प्रमुखों का संधारण।
- बैंकिंग व्यवस्था द्वारा ई-भुगतान के जरिए मंत्रालय/विभाग की सेवाओं को प्रभावशाली बनाना।
- प्रस्तावित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन।
- समयोचित, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और लाभकारी वित्तीय रिपोर्टिंग।

प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकारी को लेखांकन जानकारी और डेटा भी प्रदान किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुदान के विभिन्न सब-हेड/ऑब्जेक्ट-हेड के तहत मासिक और क्रमिक व्यय के आंकड़े मीडिया प्रभाग के संयुक्त सचिव सहित मंत्रालय की बजट शाखा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते

हैं। बजट प्रावधानों के निमित्त व्यय की प्रगति को साप्ताहिक रूप से सचिव तथा अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार के साथ-साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के व्यय की बेहतर निगरानी के प्रयोजनों से अनुदान को नियंत्रित करते हैं।

लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भवन निर्माण अग्रिम और सामान्य भविष्य निधि खातों जैसे लंबी अवधि के अग्रिमों के खातों का भी रखरखाव करता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार का सत्यापन और प्रमाणीकरण वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा सेवा विवरणों और कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा पेश किए गए पेंशन कागजातों के आधार पर किया जाता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान जैसे- ग्रेज्युटी, अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना के तहत भुगतान, सामान्य भविष्य निधि, आदि डीडीओ द्वारा उपयुक्त जानकारी/बिल प्राप्त होने पर वेतन व लेखा कार्यालयों द्वारा जारी किए जाते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध

आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों की लेखा-परीक्षा करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। मुख्य लेखा प्राधिकारी और वित्तीय सलाहकार के अधीन समग्र मार्गदर्शन में काम करने वाले आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध ने एक कुशल और प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा परम्परा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तरीके से शासन संरचनाओं को मजबूत करने, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय के अधीन भारत भर में 213 विभिन्न मीडिया इकाइयां (प्रसार भारती-135 और गैर-प्रसार भारती-78) हैं जो आंतरिक लेखा परीक्षा के समीक्षा क्षेत्र में आती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 54 दफ्तरों की लेखा परीक्षा की गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती में 01 जनवरी, 2023 तक और 31 मार्च, 2024 तक के बकाया आंतरिक लेखा पैरा की स्थिति इस प्रकार है:

I. प्रसार भारती				
क्षेत्र	दिनांक 01.01.2023 तक बकाया पैरा	01.01.2023 से 31.03.24 तक बढ़ाया गया पैरा	01.01.2023 से 31.03.2024 तक ड्रॉप किए गए पैरा	31.03.2024 को कुल बकाया पैरा
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	488	232	146	574
पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)	326	89	5	410
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	327	323	260	390
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	558	284	215	627
कुल (I)	1,699	928	626	2,001
II. गैर-प्रसार भारती				
क्षेत्र	दिनांक 01.01.2023 तक बकाया पैरा	01.01.2023 से 31.03.24 तक बढ़ाया गया पैरा	01.01.2023 से 31.03.2024 तक ड्रॉप किए गए पैरा	31.03.2024 को कुल बकाया पैरा
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	329	25	52	302
पश्चिमी क्षेत्र (मुंबई)	557	97	23	631
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	484	163	146	501
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	320	105	48	377
कुल (II)	1,690	390	269	1,811
कुल योग (I + II)	3,389	1,318	895	3,812

आईआरएलए (व्यक्तिगत रनिंग लेजर अकाउंटिंग सिस्टम)

वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) दूसरे मंत्रालयों के अन्य विभागीय पीएओ के साथ अस्तित्व में आया। आईआरएलए प्रणाली (गुप-ए अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत रनिंग लेजर अकाउंटिंग प्रणाली) का विचार एक केंद्रीय प्रणाली में सभी सेवा और भुगतान विवरण रखने से उत्पन्न हुआ ताकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती के अधिकारियों, जिनका भारत में कहीं भी स्थानांतरण हो सकता है, अपना वेतन सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकें। वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) देशभर के विभिन्न शहरों में स्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों और प्रसार भारती (दूरदर्शन और आकाशवाणी) के कार्यालयों के सेवा और वेतन रिकॉर्ड का रखरखाव कर

रहा है। प्रसार भारती में तैनात आईआरएलए अधिकारी वेबसाइट <https://accounts.prasarbharati.org> पर लॉग इन कर के वेतन पर्ची, आय कर फॉर्म-16 और जीपीएफ स्टेटमेंट, आदि देख सकते हैं और अन्य आईआरएलए अधिकारी पीएफएमएस के ईआईएस मॉड्यूल में उपरोक्त सुविधाएं (आयकर फॉर्म-16 को छोड़कर) प्राप्त कर सकते हैं।

बैंकिंग व्यवस्था : भारतीय स्टेट बैंक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पीएओ और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मान्यताप्राप्त बैंक हैं। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा प्रोसेस्ड ई-भुगतान विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खाते के पक्ष में सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से किए जाते हैं। कुछ मामलों में, पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए मान्यताप्राप्त बैंक की

नामित शाखा को प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर-कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा, रसीदें संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा मान्यताप्राप्त बैंकों को भी भेजी जाती हैं। मान्यताप्राप्त बैंक में किसी भी बदलाव के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

प्रधान लेखा कार्यालय में कुल 14 वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं जिनमें से प्रसार भारती से जुड़े 6 पीएओ हैं। पांच कार्यालय दिल्ली में हैं तथा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में दो-दो और नागपुर, लखनऊ व गुवाहाटी में एक-एक पीएओ स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से जुड़े सभी भुगतान, संबंधित पीएओ के साथ संलग्न पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अपनी मांगों/बिलों को नामित पीएओ/सीडीडीओ के पास प्रस्तुत करते हैं, जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सिविल लेखा नियमावली, प्राप्ति और भुगतान नियमों तथा अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के बाद चेक/ई-भुगतान जारी करते हैं। पीएफएमएस और ई-भुगतान के माध्यम से भेजे गए सभी भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचते हैं।

ई-भुगतान पर पहल : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में ई-भुगतान प्रणाली 2011 से सफलतापूर्वक लागू की गई थी।

ई-भुगतान प्रणाली : चूंकि आईटी अधिनियम, 2000 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को या अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को मान्यता प्रदान करता है, तो लेखा महानियंत्रक ने डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ई-भुगतान) के लिए 'कॉम्पैक्ट' (COMPACT) नाम से एक सुविधा विकसित की थी। इसने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में सभी वेतन व लेखा कार्यालयों में चल रहे 'कॉम्पैक्ट' एप्लीकेशन का लाभ उठाते हुए चेक के माध्यम से भुगतान की मौजूदा प्रणाली को बदल दिया था।

विकसित की गई ई-भुगतान प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं की पूरी तरह से सुरक्षित एक वेब आधारित प्रणाली थी, जिसने सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत सरकार से बकाए का भुगतान एक सुरक्षित संचार चैनल पर 'सरकारी ई-भुगतान गेटवे' (जीईपीजी) कॉम्पैक्ट के माध्यम से जनरेट किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-एडवाइस के जरिए सीधे प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में धन जमा कर किया जाता था। इसकी शुरुआत करने के लिए आवश्यक कार्यात्मक और सुरक्षा प्रमाणीकरण, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय से प्राप्त किए गए थे। इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में लागू किया गया था।

जीईपीजी को आगे पीएफएमएस प्रणाली में अपग्रेड किया गया है, जो स्वीकृति की तैयारी, बिल संसाधन (प्रोसेसिंग), भुगतान, प्राप्ति प्रबंधन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, निधि प्रवाह प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए लेखा महानियंत्रक की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है।

डिजिटल हस्ताक्षर का पंजीकरण : वेतन और लेखा अधिकारी एनआईसी प्रमाणन प्राधिकरण से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है। एनआईसी प्रमाणन प्राधिकरण से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर एक यूएसबी टोकन में स्टोर किए जाते हैं जिन्हें आई-की कहा जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से पीएओ पीएफएमएस पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत करता है। संबंधित बैंक पीएफएमएस पोर्टल से पीएओ के डिजिटल हस्ताक्षर डाउनलोड करते हैं। बैंकों द्वारा पीएओ को प्रदान किए गए ई-भुगतान स्कॉल के प्रमाणीकरण के लिए संबंधित बैंकों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर भी पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

बिल जमा करना : आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) ई-भुगतान के लिए बिल के साथ प्राप्तकर्ता का मैडेट फॉर्म और बैंक शाखा का आईएफएससी कोड, खाता संख्या, नाम, पता आदि विवरण वेतन व लेखा अधिकारी के पास जमा कराते हैं। 'कॉम्पैक्ट' से एक टोकन नंबर जनरेट किया जाता है और डीडीओ को

सूचित किया जाता है।

बिल पर कार्यवाही : बिलों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से वेतन एवं लेखा कार्यालय में संसाधित किया जाता है।

डिजिटल हस्ताक्षर : पीएओ द्वारा बिल पास होने के बाद सुरक्षित आई-की का उपयोग करके यह हस्ताक्षरित होता है और सिस्टम द्वारा ई-भुगतान स्वीकृति जेनरेट की जाती है।

ई-स्कॉल : डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक स्कॉल सभी सफल ई-भुगतानों के लिए पीएफएमएस पर बैंक द्वारा जेनरेट और अपलोड किया जाता है। ई-स्कॉल मिलान तथा अन्य एमआईएस उद्देश्यों के लिए पीएओ द्वारा डाउनलोड किए जाते हैं।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक कार्यालय (सीजीए), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। पीएफएमएस की विभिन्न मोड/कार्यों द्वारा क्रियान्वित आउटपुट/डिलिवरेबल्स में शामिल हैं (परंतु इन तक सीमित नहीं हैं) :

- भुगतान एवं राजकोषीय नियंत्रण
- प्राप्तियों का लेखा (कर और गैर-कर)
- लेखा कार्यों का संकलन और राजकोषीय रिपोर्ट तैयार करना
- राज्यों की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकरण

पीएफएमएस का प्राथमिक कार्य आज एक कुशल निधि प्रवाह के साथ-साथ भुगतान-सह-लेखा नेटवर्क की स्थापना करके भारत सरकार के लिए सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है।

पीएफएमएस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत भुगतान, लेखा और रिपोर्टिंग के लिए भी चैनल है। जैसे भारत सरकार का हर विभाग/मंत्रालय पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभार्थी

(व्यक्तिगत या संस्था) को धनराशि अंतरित करता है।

मौजूदा समय में, पीएफएमएस के जरिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (जिनमें छह पीएओ जीपीएफ और पेंशन के लिए प्रसार भारती से जुड़े हैं) के सभी 14 वेतन एवं लेखा कार्यालय सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

पीएफएमएस के विभिन्न माड्यूल

I. पीएफएमएस का कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस)

माँड्यूल: यह माँड्यूल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में लागू किया गया है।

II. पीएफएमएस का सीडीडीओ माँड्यूल:

पीएफएमएस के सीडीडीओ माँड्यूल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी चेक आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में विस्तारित किया गया है।

III. मंत्रालय में गैर-कर राजस्व के संग्रह के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोष)

- गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 01 नवम्बर, 2016 से कार्य कर रहा है।
- एनटीआरपी का उद्देश्य भारत सरकार को देय गैर-कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नागरिकों/कॉरपोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं को एक वन-स्टॉप विंडो प्रदान करना है।
- भारत सरकार के गैर-कर राजस्व में अलग-अलग विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्रित प्राप्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है। मुख्य रूप से ये प्राप्तियां लाभांश, ब्याज प्राप्तियां, स्पेक्ट्रम शुल्क, आरटीआई आवेदन शुल्क, छात्रों द्वारा प्रपत्र/पत्रिकाओं की खरीद और नागरिकों/कॉरपोरेट/अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐसे कई अन्य भुगतानों के रूप में आती है।
- पूरी तरह से सुरक्षित आईटी व्यवस्था में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आम उपयोगकर्ताओं/नागरिकों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंकों में जाकर ड्राफ्ट बनवाने और फिर

सरकारी कार्यालयों में जाकर इन साधनों को जमा कराने के झंझट से बचाने में मददगार होते हैं। यह इन साधनों के सरकारी खाते में प्रेषण में देरी से बचने में मदद करता है और यह इन साधनों के बैंक खातों में देरी से जमा होने की अवांछनीय प्रथाओं को समाप्त करता है।

- एनटीआरपी ऑनलाइन भुगतान तकनीकों जैसे- इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके पारदर्शी वातावरण में तत्काल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- 01 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए गैर-कर राजस्व का संग्रहण एनटीआर ई-पोर्टल पर भारतकोष के माध्यम से 1323.82 करोड़ रुपये रहा।

मंत्रालय में नए बदलाव

I. स्वायत्त निकायों में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स (टीएसए)

मॉड्यूल: स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों को 'तत्क्षण' सरकारी अनुदान जारी करने की सुविधा प्रदान करने और पीएसबी में निधि की पार्किंग से बचाव तथा स्वायत्त निकायों/एजेंसियों के पास अप्रयुक्त अनुदानों के संचय से बचने के उद्देश्य से स्वायत्त निकायों को टीएसए सिस्टम के तहत लाया गया है। यह स्वायत्त निकायों/एजेंसियों को एकमुश्त नकद हस्तांतरण से भी बचाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी खाते से आहरण की सुविधा प्रदान करेगा।

टीएसए का उद्देश्य

- स्वायत्त निकायों के लिए निधियों को जारी करने के लिए 'तत्क्षण' सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार में बेहतर नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करके निधि प्रवाह की दक्षता में वृद्धि करना।
- ऋण की राशि को कम करके सरकार के ब्याज के बोझ को कम करना।
- सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों को उनके बैंक खातों में जारी

निधि की पार्किंग से बचाव।

टीएसए प्रणाली पहले से ही पांच स्वायत्त निकायों यानी प्रसार भारती, आईआईएमसी, पीसीआई, एसआरएफटीआई और एफटीआईआई में लागू की जा चुकी है। स्वायत्त निकायों के अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान टीएसए का कार्यान्वयन एनएफडीसी (पीएसयू) में चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा।


II. पीएफएमएस में इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) सिस्टम

मॉड्यूल: केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 46वें नागरिक लेखा दिवस के अवसर पर केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रोसेसिंग सिस्टम लागू किया। यह व्यापक पारदर्शिता लाने और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'व्यापार करने में आसानी' और 'डिजिटल इंडिया इको-सिस्टम' का हिस्सा है। यह आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपना दावा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान कर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेस-पेपरलेस भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देगा, जो तत्काल ट्रैक करने योग्य होगा।

पीएफएमएस का ई-बिल मॉड्यूल सीजीए कार्यालय द्वारा पीएफएमएस में विकसित किया गया है। पीएफएमएस केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के पीएओ/डीडीओ के उपयोग के लिए सीजीए कार्यालय के माध्यम से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को पेपरलेस अवधारणा में बदलने के लिए केंद्र सरकार की प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) नई प्रणाली में शामिल है। ई-बिल प्रणाली का उद्देश्य भुगतान में लगाने वाले समय को कम करना और सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ाना है। यह एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसमें दावेदारों और दावों को प्राप्त और संसाधित करने के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के पास व्यक्तिगत तौर पर पहुंच कायम करने की बाध्यता को कम किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 9 पीएओ में पीएफएमएस का ई-बिल मॉड्यूल पहले ही शुरू किया जा चुका है।

मंत्रालय का लेखा संगठन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में लेखा संगठन का ढांचा



1. वेतन और लेखा कार्यालय (एमएस) नई दिल्ली
2. वेतन और लेखा कार्यालय (सीओसी आदि) नई दिल्ली [पूर्व में पीएओ (डीएवीपी आदि)]
3. वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए) नई दिल्ली
4. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) नागपुर
5. वेतन और लेखा कार्यालय (एफडी) मुंबई
6. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) चेन्नई
7. वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी) लखनऊ
8. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) कोलकाता
9. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) नई दिल्ली
10. वेतन और लेखा कार्यालय (डीडी) गुवाहाटी
11. वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी) चेन्नई
12. वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी) कोलकाता
13. वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी) मुंबई
14. वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी) नई दिल्ली
15. 21 वरिष्ठ लेखा अधिकारी विभिन्न क्षेत्रीय लोक संपर्क विभाग (आरओबी) में अपर महानिदेशक (क्षेत्रीय) के एनसीडीडीओ / सीडीडीओ और आईएफए के रूप में कार्यरत हैं।



31 दिसम्बर, 2023 को दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के बिजवासन गाँव में प्राथमिक विद्यालय में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम' के दौरान कैलेंडर वितरण।

16

लेखा पैरा

क [सीएंडएजी] पैरा

01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए सीएंडएजी से प्राप्त लेखा पैरा की सूची

क्रम संख्या	रिपोर्ट संख्या एवं वर्ष	पैरा संख्या	कार्रवाई
1.	2023 की रिपोर्ट सं. 25 (अध्याय 6)	6.1	38.50 करोड़ का निष्फल व्यय





केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 15 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रसारण एवं मीडिया प्रौद्योगिकी पर 28वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी - 'बीईएस एक्सपो 2024' में भाग लिया।

17 कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन

वर्ष 2022-23 के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और विभिन्न मीडिया इकाइयों के कैट संबंधी मामलों के निर्णयों/आदेशों के कार्यान्वयन की जानकारी इस प्रकार है:

क्रम संख्या	मीडिया इकाइयां	वर्ष 2022-23 के लिए कैट से प्राप्त आदेशों की संख्या	2022-23 में कार्यान्वित निर्णयों/आदेशों की संख्या
1.	महानिदेशक : दूरदर्शन	32	21
2.	महानिदेशक : आकाशवाणी	54	34
3.	सतर्कता विंग	5	5
4.	सीबीसी	11	4
5.	एसआरएफटीआई	4	4
6.	सीबीएफसी	2	2
7.	पीआईबी	2	1
8.	एनएफडीसी	2	0
9.	आईआईएमसी	1	1
10.	प्रकाशन विभाग	1	1
11.	आईआईएस अनुभाग	1	0
	कुल	115	73





20 नवम्बर, 2023 को गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) की झलकियां।

18

योजना परित्यय

बजट अनुमान (2023-24)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबंध में 2023-24 के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना परित्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	बजट अनुमान (2023-24)
1	सूचना क्षेत्र (विकास संचार और सूचना प्रसार - डीसीआईडी)	200
2	फिल्म क्षेत्र (विकास संचार और फिल्मी सामग्री का प्रसार - डीसीडीएफसी)	300
3	प्रसारण क्षेत्र (मुख्य सचिवालय) {क तथा ख}	605
	क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन (सीआरएस)	5
	ख) प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)	600
	कुल योग	1,105

योजना परित्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	बजट अनुमान 2023-24
1.	सूचना क्षेत्र	200
2.	फिल्म क्षेत्र	300
3.	प्रसारण क्षेत्र	605
	कुल	1,105

कुल केंद्रीय क्षेत्र योजना परित्यय (बजट अनुमान) के पूर्वोत्तर घटक का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	बजट अनुमान 2023-24
1.	सूचना क्षेत्र	20
2.	फिल्म क्षेत्र	30
3.	प्रसारण क्षेत्र	60.50
	कुल	110.5





केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर 28 अप्रैल, 2023 को लद्दाख में आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन के अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए।

19

मीडिया इकाई-वार बजट

मांग संख्या 61 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
मीडिया इकाई-वार बजट				
*चुनावी वर्ष होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 के संबंध में डेटा अंतरिम प्रकृति का है। अंतिम बजट जारी होने पर इसका अद्यतन किया जाएगा।				
राजस्व अनुभाग				
श्रेणी-I केंद्र का स्थापना व्यय (गैर-योजनागत व्यय)				
(रुपये हजार में)				
मीडिया इकाई/गतिविधियों के नाम	वास्तविक 2022-23	बजट अनुमान 2023-24	वास्तविक अनुमान 2023-2024	बजट अनुमान 2024-2025*
मुख्य शीर्ष- '2251' -सचिवालय सामाजिक सेवाएं				
मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)**#	1063957	1105600	1130400	878260
प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ)	0	0	0	293540
कुल मुख्य शीर्ष '2251'	1063957	1105600	1130400	1171800
**वित्तीय वर्ष 2023-24 तक मुख्य सचिवालय और प्रधान लेखा कार्यालय के लिए सिंगल लाइन बजट आवंटन प्रविष्टि थी। # वित्तीय वर्ष 2024-25 से निजी एफएम रेडियो स्टेशन का आवंटन मुख्य सचिवालय में विलय कर दिया गया है।				
मुख्य शीर्ष - '2205' - कला एवं संस्कृति सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों का प्रमाणन				
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	175409	279900	455349	369300
मुख्य शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म एवं प्रचार				
फिल्म प्रभाग	374740	0	0	0
फिल्म समारोह निदेशालय	90578	0	0	0
राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय	70498	0	0	0
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी)	135720	160600	131502	142500
न्यू मीडिया विंग (पूर्व में अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग)	14121	17600	21275	23800
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईवी)	1003788	1086400	1066900	1188100
केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)	1790955	2000800	1926735	2001100
प्रकाशन विभाग	872983	509000	531400	516700
भारत के प्रेस महापंजीयक	97731	123600	111990	116600
निजी एफएम रेडियो स्टेशन #	171	17200	0	0
संचार के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) में योगदान	0	1	0	1

(रुपये हजार में)				
मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	वास्तविक अनुमान 2022-23	बजट अनुमान 2023-24	वास्तविक अनुमान 2023-2024	बजट अनुमान 2024-2025*
एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) में योगदान	3207	3200	3350	3399
एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेजेस आर्काइविस्ट्स (एएमआईए) की वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान	0	40	40	0
एनएफएआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए योगदान	214	259	259	0
कुल : मुख्य शीर्ष '2220'	4454706	3918700	3793451	3992200
कुल : केंद्र का स्थापना व्यय (राजस्व)	5694072	5304200	5379200	5533300
मुख्य शीर्ष-'4220' - सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत व्यय				
मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)*	0	1937	17305	20000
प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ)	0	0	0	3000
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	0	28163	43595	31800
पीआईबी के राष्ट्रीय प्रेस केंद्र और मिनी मीडिया सेंटर की स्थापना	0	0	0	100
प्रकाशन विभाग	0	20500	16500	16500
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	0	1200	1000
केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)	0	0	40000	29900
भारत के प्रेस महापंजीयक	0	0	0	0
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी)	0	200	12200	28500
कुल : मुख्य शीर्ष '4220'	0	50800	130800	130800
कुल : केंद्र का स्थापना व्यय (राजस्व+पूंजीगत)	5694072	5355000	5510000	5664100
श्रेणी-II केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (योजनागत व्यय)				
सूचना क्षेत्र				
विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2220'	2848986	1800000	1775500	1343800
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	200000	197300	149300
कुल (डीसीआईडी)	2848986	2000000	1972800	1493100
फिल्म क्षेत्र				
विकास संचार और फिल्म सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी)				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2220'	972077	2442400	2892400	2892400

(रुपये हजार में)				
मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	वास्तविक अनुमान 2022-23	बजट अनुमान 2023-24	वास्तविक अनुमान 2023-2024	बजट अनुमान 2024-2025*
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	300000	350000	350000
पूँजीगत मुख्य शीर्ष '4220'	256498	257600	257600	257600
कुल (डीसीडीएफसी)	1228575	3000000	3500000	3500000
प्रसारण क्षेत्र				
भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2220'	20082	45000	45000	45000
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	5000	5000	5000
कुल	20082	50000	50000	50000
प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)				
सामान्य-मुख्य शीर्ष '2221'	1599110	5400000	4275000	4500000
पूर्वोत्तर क्षेत्र-मुख्य शीर्ष '2552'	0	600000	475000	500000
कुल (बीआईएनडी)	1599110	6000000	4750000	5000000
कुल (प्रसारण क्षेत्र)	1619192	6050000	4800000	5050000
कुल केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं	5696753	11050000	10272800	10043100
पूर्वोत्तर क्षेत्र आवंटन	0	1105000	1027300	1004300
पूँजीगत के तहत आवंटन	256498	257600	257600	257600
श्रेणी-III अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (गैर-योजनागत व्यय)				
भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)	292074	446700	370000	546900
भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई)	60653	182100	106400	156400
बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई)	21065	0	0	0
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई)	685263	647500	734700	871100
सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई)	601000	951300	829700	814500
प्रसार भारती	27108222	28083600	26440200	25099400
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	82198	203800	233800	230000
कुल - अन्य केंद्रीय व्यय (स्वायत्त निकाय)	28850475	30515000	28714800	27718300
कुल - मांग सं. 61	40241300	46920000	44497600	43425500





केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 30 दिसम्बर, 2023 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 2024 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर विमोचन समारोह में।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पदनाम (2023-24)

सचिव	सचिव
एएस	अपर सचिव
एएस एंड एफए	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
सि. ईए	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (आर्थिक विंग)
जेएस (पी एंड ए)	संयुक्त सचिव (नीति और प्रशासन)
जेएस (बी-1)	संयुक्त सचिव (प्रसारण-1)
जेएस (एफ)	संयुक्त सचिव (फिल्म)
जेएस (बी-2)	संयुक्त सचिव (प्रसारण-2)
जेएस (फिन. एंड बजट)	संयुक्त सचिव (वित्त एवं बजट)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
अपर आर्थिक सलाहकार I एवं II	अपर आर्थिक सलाहकार [आर्थिक विंग] I एवं II
सीसीए	मुख्य लेखा नियंत्रक
ओएसडी (आईपी)/अवर सचिव (बीसी-1, II, III)	विशेष कार्य अधिकारी (सूचना नीति) अवर सचिव को अतिरिक्त प्रभार (प्रसारण सामग्री - I, II, III)
निदेशक (फिल्म-1)	निदेशक (फिल्म-1)
निदेशक (टीवी - इनसैट)	निदेशक (भारतीय उपग्रह टेलीविज़न)
निदेशक (आईआईएस)	निदेशक (भारतीय सूचना सेवा)
निदेशक (आईपी)	निदेशक (सूचना नीति)
निदेशक (बीसी)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक (ओएल)	निदेशक (राजभाषा)
अपर निदेशक (बीपी एंड एल)	अपर निदेशक (प्रसारण नीति और विधान)
अपर निदेशक (सीआरएस)	अपर निदेशक (सामुदायिक रेडियो स्टेशन)
अपर निदेशक (प्रसारण)	अपर निदेशक (प्रसारण)

निदेशक (बीएपी)	निदेशक (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम)
निदेशक (फिन.)	निदेशक (वित्त)
उप सचिव (फिल्म)-II	उप सचिव (फिल्म-II)
डीएस (बी एंड ए)	उप सचिव (बजट और लेखा)
डीएस (बीडी एंड बी फिन.)	उप सचिव (प्रसारण विकास एवं प्रसारण वित्त)
डीएस (डीएम)	उप सचिव (डिजिटल मीडिया)
डीएस (पीपीसी एंड आईपी एंड एमसी)	उप सचिव (नीति नियोजन प्रकोष्ठ एवं सूचना नीति और मीडिया समन्वय)
निदेशक (कैश, एडमिन एंड एचओडी)	निदेशक (रोकड़, प्रशासन और विभागाध्यक्ष)
डीएस (डीएस)	उप सचिव (डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम)
डीएस (पार्ल. एंड ईडब्ल्यू)	उप सचिव (संसद एवं आर्थिक विंग)
डीएस (वीआईजी)	उप सचिव (सतर्कता)
डीएस (बीईई एंड बीसी-IV)	उप सचिव (प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी और प्रसारण सामग्री-IV)
अपर निदेशक (एफएम)	अपर निदेशक (फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन)
सीए	लेखा नियंत्रक
यूएस (एडमिन. I, II, III, IV एंड एचओओ)	अवर सचिव (प्रशासन I, II, III, IV एवं कार्यालय का प्रमुख)
यूएस (आईआईएस)	अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा)
यूएस (एमयूसी)	अवर सचिव (मीडिया यूनिट समन्वय)
यूएस (प्रेस)	अवर सचिव (प्रेस)
यूएस (विजिलेंस)	अवर सचिव (सतर्कता)
यूएस (कैश एंड पार्ल.)	अवर सचिव (रोकड़ और संसद)
यूएस (एनएमसी)	अवर सचिव (न्यू मीडिया सेल)
यूएस (पीपीसी एंड आईपी एंड एमसी)	अवर सचिव (नीति नियोजन प्रकोष्ठ, सूचना नीति एवं मीडिया समन्वय)
यूएस (इनसैट-TV)	अवर सचिव (भारतीय उपग्रह टेलीविजन)

यूएस (डीएस)	अवर सचिव (डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम)
यूएस (बीपी एंड एल)	अवर सचिव (प्रसारण नीति और विधान)
यूएस (एफएम)	अवर सचिव (फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रकोष्ठ)
यूएस (बीडी एंड बी फिन.)	अवर सचिव (प्रसारण विकास और प्रसारण वित्त)
यूएस (बीएपी)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन कार्यक्रम)
यूएस (बीए-ई एंड बीसी-IV)	अवर सचिव (प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी एवं प्रसारण सामग्री-IV)
यूएस (एफ-I एंड III)	अवर सचिव (वित्त-I और वित्त-III)
यूएस (फिन-II)	अवर सचिव (वित्त-II)
यूएस (बी एंड ए)	अवर सचिव (बजट और लेखा)
यूएस (ईडब्ल्यू)	अवर सचिव (आर्थिक विंग)
यूएस [एफ (सी), एफ (एफ), एंड एफ (आई)]	अवर सचिव (फ़िल्म प्रमाणन, फ़िल्म समारोह और फ़िल्म उद्योग)
यूएस [(एफ (ए), एफ (एफटीआई) और एफ (पीएसयू)]	अवर सचिव (फ़िल्म प्रशासन, फ़िल्म और टेलीविजन संस्थान और फ़िल्म सार्वजनिक वित्त उपक्रम)
डीडी (ओएल)	उप निदेशक (राजभाषा)
डीडी (एमसीयू)	उप निदेशक (मीडिया समन्वय इकाई)
एडी (ओएल-1)	सहायक निदेशक (राजभाषा-1)
एडी (ओएल-2)	सहायक निदेशक (राजभाषा-2)
एस.ओ. (एडमिन-I)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-I)
एस.ओ. (एडमिन-II)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-II)
एस.ओ. (एडमिन-IV)	अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-IV)
एस.ओ. (कैश-I और II)	अनुभाग अधिकारी (रोकड़-I)/अनुभाग अधिकारी (रोकड़-I)
एस.ओ. (संसद प्रकोष्ठ)	अनुभाग अधिकारी (संसद प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (एमयूसी-I और II)	अनुभाग अधिकारी (मीडिया इकाई सेल-I एवं II)
एस.ओ. (विजिलेंस-I और II)	अनुभाग अधिकारी (सतर्कता-I और II)

एस.ओ. (आईपी एंड एमसी)	अनुभाग अधिकारी (सूचना नीति और मीडिया समन्वय)
एस.ओ. (पीपीसी)	अनुभाग अधिकारी (नीति नियोजन प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (प्रेस)	अनुभाग अधिकारी (प्रेस)
एस.ओ. (आईआईएस-I)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा)-I
एस.ओ. (आई.आई.एस-II)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय सूचना सेवा)-II
एस.ओ. [एफ (एफ)]	अनुभाग अधिकारी (फ़िल्म समारोह)
एस.ओ. [एडमिन-III (I & II)]	अनुभाग अधिकारी [प्रशासन-III (I & II)]
एस.ओ. (एफ [एफटीआई])	अनुभाग अधिकारी [फ़िल्म (फ़िल्म एवं टीवी संस्थान)]
एस.ओ. (एफ (ए) डेस्क)	अनुभाग अधिकारी [फ़िल्म (प्रशासन)]
एस.ओ. [एफ (सी) डेस्क]	अनुभाग अधिकारी [फ़िल्म (प्रमाणन)]
एस.ओ. [एफ (आई) डेस्क]	अनुभाग अधिकारी [फ़िल्म (उद्योग) डेस्क]
एस.ओ. [एफ (पीएसयू) डेस्क]	अनुभाग अधिकारी [फ़िल्म (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) डेस्क]
एस.ओ. (बीसी-I)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-I)
एस.ओ. (बीसी-II)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-II)
एस.ओ. (बीसी-III)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-III)
एस.ओ. (बीसी-IV)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण सामग्री-IV)
एस.ओ. [बी (डी)]	अनुभाग अधिकारी [प्रसारण (विकास)]
एस.ओ. [बी (फिन)]	अनुभाग अधिकारी [प्रसारण (वित्त)]
एस.ओ. (बीपी एंड एल)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण नीति और विधान-I एवं II)
एस.ओ. (बीएपी-I और II)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन- कार्यक्रम-I एंड II)
एस.ओ. (बीई-I और II)	अनुभाग अधिकारी (प्रसारण प्रशासन अभियांत्रिकी-I और II)
एस.ओ. (एफएम सेल)	अनुभाग अधिकारी (फ़्रिक्वेंसी मॉड्युलेशन सेल)
एस.ओ. (सीआरयू)	अनुभाग अधिकारी (सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट)

एस.ओ. (डीएस)	अनुभाग अधिकारी (डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम)
एस.ओ. (इनसैट-टीवी I एंड II)	अनुभाग अधिकारी (भारतीय उपग्रह टेलीविजन)-I और II
एस.ओ. (फिन-I एंड III)	अनुभाग अधिकारी (वित्त I और III)
एस.ओ. (फिन-II)	अनुभाग अधिकारी (वित्त II)
एस.ओ. (पीसी सेल)	अनुभाग अधिकारी (योजना समन्वय प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (बी एंड ए)	अनुभाग अधिकारी (बजट और लेखा)
एस.ओ. (पीएमएस)	अनुभाग अधिकारी (प्रदर्शन प्रबंधन अनुभाग)
एस.ओ. (एनएमसी)	अनुभाग अधिकारी (न्यू मीडिया सेल)
एस.ओ. (आरटीआई सेल)	अनुभाग अधिकारी (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
एस.ओ. (सीपीजीआरएएमएस)	अनुभाग अधिकारी (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली)
पी एंड एओ	वेतन और लेखा अधिकारी





सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार